Dr. Madhukarrao Wasnik

PWS Arts and Commerce College

Kamptee Road, Nagpur-26

Bibliometrics of the Publication During the year 2017-2018

Sr. No	Title of the Paper	Name of the Author	Title of the Journal	Year of the Publication	Citation Index	Institutional Affiliation as mentioned in the Publication	Number of Citations excluding self-citations
1	Mannerwarlu Janjati me Samajik Pariwartan Ek Samajshatriya Adhyan (Nanded Jilhe Ke Vishesh Sandarbha Me)	Dr. Manohar Yerkalwar	Grurukul International Multidisciplinary Journal Online Volume VI ISSN: 2394-8426 IIF -3.325	Sept-2017	Impact Factor -3.325	-	-

Bibliometrics of the Publication During the year 2018-2019

Sr. No	Title of the Paper	Name of the Author	Title of the Journal	Year of the Publication	Citation Index	Institutional Affiliation as mentioned in the Publication	Number of Citations excluding self-citations
1	Paryawaran Pradushanacha Manavi Jivanawar Zalela Parinam	Dr. Manohar Yerkalwar	Souvenir Taywade College, Nagpur Sankalp Publication ISBN: 978-81937717-6-1	Dec-2018	**-**	-	**-**
2	Jagtikikarnacha Aadivasi Samaj Jivanawar Zalela Parinaam	Dr. Manohar Yerkalwar	Samajshatra Sanshodhan Patrika Peer Reviewed Journal Issue-23 ISSN: 2230-7745	Dec-2018	**-**	-	**-**
3	Aadivasi Jamatichya Samajik Parivartanamadhe Jansanwad Madhyamanchi Bhumika	Dr. Manohar Yerkalwar	Vidyawarta Interdisciplinary Multilingual Referred Journal ISSN: 2319-9318	Jan-2019	**Impact Factor** **5.131**	-	**-**

Bibliometrics of the Publication During the year 2019-20

Sr. No.	Title of the Paper	Name of the Author	Title of the Journal	Year of the Publication	Citation Index	Institutional Affiliation as mentioned in the Publication	Number of Citations excluding self-citations
1.	Kamathi Panchayat Samite meEkatmik Gramin Vikas Yojana Ka Alochanatmak Adhyayan	Dr. Manohar Yerkalwar	International Research Journal of Management Sociology & Humanity (IRJMSH) Vol 10 Issue 11 [Year 2019] ISSN 2277 – 9809 (0nline) 2348–9359 (Print)	2019			
2.	Rojgar ki Khoj Me Stanant Hue Logo ke Samasyao ka Samajshahtriy Adyayan	Dr. Manohar Yerkalwar	UPA National Peer reviewd E-Journal ISSN 2455-4374	2020			

Bibliometrics of the Publication During the year 2020-2021

Sr. No.	Title of the Paper	Name of the Author	Title of the Journal	Year of the Publication	Citation Index	Institutional Affiliation as mentioned in the Publication	Number of Citations excluding self-citations
1	Janajatiya Vikas Ki Dasha Aur Disha	Dr. Manohar Yerkalwar	Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org UGC Care Group I Listed Journal Vol-10 ISSN- 2278-4632 Peer Reviewed Impact Factor- 6.62	June 2020			
2	Adhunik Yug Me Mahila Sashaktikaran ke Chunautiya Evam Vyavhar	Dr. Manohar Yerkalwar	International Peer Reviewed Open Access Journal JETIR Vol-7 Issue- 12 ISSN- 2349-5162				

			Impact Factor- 5.87				
3	Aadhunik Yug Me Baudha Dhamma Ki Prasangikta	Dr. Manohar Yerkalwar	UPA National Peer Reviewed Interdisciplinary E- Journal Vol- VIII ISSN- 2455-4375				
4	Vivah Evam Pariwar Ka Badlata Swarup: Maharashtra Ke Gond Janjati Ke Sandarbh Me	Dr. Manohar Yerkalwar	An International Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal Approved UGC Care Shodh Sanchar Bulletin Vol- 10 Issue- 40 ISSN- 2229-3620	Oct-Dec 2020			
5	Stalantarit Janjatiyonke Arthik, Samajik , Shaikshnik Shtitipar Covid-19 ka Prabhav- Ek Samajshatriya Adhyayan	Dr. Manohar Yerkalwar	Ajanta Publication , Aurangabad UGC Listed Journal Vol- X Issue- II ISSN- 2277-5730 Impact Factor- 6.399	April- June 20			

Bibliometrics of the Publication During the year 2021-2022

Sr. No.	Title of the Paper	Name of the Author	Title of the Journal	Year of the Publication	Citation Index	Institutional Affiliation as mentioned in the Publication	Number of Citations excluding self-citations
1	Sthalantarit Janjatiyonke Aarthik, Samajik, Shaikshanik Sthiti par Covid-19 Prabhav- Ek Samajshatriya Adhyayan	Dr. Manohar Yerkalwar	Ajanta Publication, Aurangabad Peer Reviewed Referred & UGC Listed Journal No. 40776 Vol- X Issue-II	April-June 2021	-	-	-
2	Jal, Jangal Aur Jamin Sambandhi Aadivasi Samuday ki Samasyaye Aur Suzav	Dr. Manohar Yerkalwar	Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies Vol-10 Issue-57	April- June, 2021	-	-	-
3	Tarunanchya Shaikshnik Pragatiwar Covid-19 cha Prabhav : Ek Samajshtriya Adhyayan	Dr. Manohar Yerkalwar	UPA National Peer Reviewed Interdisciplinary Peer Reviewed Indexed E-Journal. Vol- VII Issue-XI	Oct. 2021	-	-	-

4	Ghumantu Janjati ke Pariwar Aur Sansruti Ka Badalta Swarup	Dr. Manohar Yerkalwar	Nagfani A Peer Reviewed Referred & UGC Care Listed Journal Vol-39	Oct- Dec 2021	-	-	-
5	Gramin Samudayachya Vikasatil Samasya Ek Chintan	Dr. Manohar Yerkalwar	IDEAL, An International Multidisciplinary Half Yearly Peer Reviewed Referred & UGC Listed Research Journal No. 47026 Vol- X Issue-II	March-August 2022	-	-	-
6	Paryavaran Pradushan Ka Manavi Jivan Pan Prabhav	Dr. Manohar Yerkalwar	Samichin A Peer Reviewed & UGC Care Listed Journal Vol-31	April-June 2022	-		

Principal

Dr. Yeshwant Patil

''कामठी (जिला नागपूर) पंचायत समिति में एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना का आलोचनात्मक अध्ययन''

– मनोहर भी. येरकलवार
सहाय्यक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
पी. डब्ल्यू. एस. कला व वाणिज्य
महाविद्यालय, नागपूर

प्राक्कथन :–

भारत देश आजादी के 70 सालों के बाद भी गाँवों का देश रहा है। भारत की अधिकतर जनसंख्या आज भी गाँवों में ही निवासरत है। गाँवों के विकास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश गाँवों का आर्थिक, सामाजिक एवं षैक्षणिक विकास करना है। ताकि गाँवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। आज भारत देश में बहुत सारी योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद भी गाँवों कि स्थिती बहुत ही पिछडी हूई दिखाई देती हैं। भारत में तेजी से विकास की ओर बढ़ने वाले राज्यों में महाराष्ट्र एक राज्य है। और इस राज्य का विदर्भ भाग नैसर्गिक संसाधनों से समृद्ध है। फिर भी विकास की गति बहुत धीरे धीरे चल रही है। सामाजिक जीवन के किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तनों में ग्रामीण विकास यह गाँवों की अहम भूमिका रही है। शासन द्वारा सभी वर्गों के लिए विशेषकर गाँवों के गरीब और किसानों के हितो में अनेक कल्याणकारी योजनाएँ और कार्यक्रम बनाए गए हैं। एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इस माध्यम से ग्रामीण समाज का विकास होते हुए नजर आ रहा है।

एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना के द्वारा ग्रामीण समुदाय के लोगों के जीवन में सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विकास की प्रक्रिया यह एक जटिल प्रक्रिया है। विकास के प्रमुख सहयोगी कारक है भूमि, पूंजी, श्रमिकों की मात्रा एवं गुण, तकनीकी दशा यह सब एक साथ मिलकर विकास पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस योजना का मुख्य आधार यह है कि, इसके माध्यम से जन स्वभाव तथा स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके उन्हें विकास की ओर लिया जाए और एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में इस योजना के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि विकास इन सारे क्षेत्रों में परिवर्तन

लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को अपना विकास स्वयं करने के लिए लायक बनाया जा रहा है।

कल्याणकारी राज्य का मूल उद्देश्य यह होता है कि, सामान्य प्रशासनिक सेवाओं को विकास सेवाओं के रूप में परिवर्तित करना। यह बात दोहराने के बाद पता चलता है कि, अलग–अलग विकास सेवाओं का सृजन नहीं किया जाना चाहिए और वर्तमान तंत्र को कल्याण कार्यों में लगाने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया था। जिससे सामान्य प्रशासन विभाग को इस प्रयोजन के लिए एक नया रूप देकर उसका पुनर्गठन किया जाए और विकास आयुक्त द्वारा कोई अलग विकास विभाग स्थापित नहीं किया जाना चाए ताकी उसे अपने ही राज्य के विभिन्न विकास विभागों को जैसे कृषि, पशुपालन, पंचायत, सहकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभाग प्रमुखों को इसका अध्यक्ष बनाया जाए और इसके माध्यम से ग्रामिण समाज का सामाजिक विकास का प्रयास किया जाए।

स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण लोगों को विकास की प्रक्रिया में लाने के लिए पाँचवी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि, सुव्यवस्थित ग्रामीण विकास करना। "जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के सभी घटकों आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि के समन्वय की बात की गई थी।"[1] इस विकासात्मक कार्यक्रम को 1978–79 में विस्तृत पैमाने पर चालू किया गया। प्रारंभ में केवल 2300 विकास खंडों तक सीमित था। फिर अक्टूबर 1980 से इसे देश के सभी 5011 विकास खंडों में लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत पशुधन, कृषि कार्य, कास्तकारी सेवा एवं व्यवसायिक क्रियाओं आदि को सम्मिलित किया गया। जिसके माध्यम से विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित कर के वहाँ के मानवीय, भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों के आदर्श प्रयोग के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना है। "ब्रिटिश काल में ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण, ग्रामीण उन्नयन अथवा ग्रामीण उन्नति शब्द का प्रयोग किया जाता था।"[2] इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि, गाँव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लाभार्थी परिवारों को आय उत्पन्न करनेवाले उत्पादों, परिसंपत्तियों के लिए ऋन सुविधाओं अनुदान का आदान प्रदान करके उन्हें स्थाई रूप से गरीबी रेखा से ऊपर उठाना यह भी इस योजना का एक उद्देश्य था।

एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना की स्थापना महाराष्ट्र में 1992 किया गया है। एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से महाराष्ट्र के छोटे–छोटे गाँवों में भी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर कृशी की उन्नत फसलें विभिन्न तकनीकी से विकसित किया जा रहा है। इस योजना का वास्तविक लाभ जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। इसके लिए यह और भी जरूरी है कि, इन योजनाओं का प्रचार, प्रसार और तेजी से किया जाए ताकि जिन को जरूरी है उन्हीं को इस योजना की सही तरह से जानकारी मिल सके। जिस

माध्यम से ग्रामीण गरीब लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। वैश्वीकरण, औद्योगीकरण, शहरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में आज भी दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक योजनाओं की सही जानकारी का अभाव महसूस हो रहा है। शासन द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है। ताकि आने वाले दिनों में जरूरतमंद लोग ग्रामवासी इस योजनाओं का लाभ उठा सकें और इसके माध्यम से अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा कर आने वाली पीढ़ी को रोजगार के सशक्त माध्यम उपलब्ध करा सके। इन्हीं सब तथ्यों का अध्ययन करने के लिए 'कामठी (नागपूर जिला) पंचायत समिति के एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना का आलोचनात्मक अध्ययन : एक सूक्ष्म अध्ययन' यह विषय मैं अनुसंधान के लिए तय किया था।

अध्ययन क्षेत्र का चुनाव (त्मेमंतबी ।तमं) :–

एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना का आलोचनात्मक अध्ययन करने के लिए मैं महाराष्ट्र के नागपूर जिले के कामठी तहसील के 05 गाँव को चुना है। यह गाँव सापेक्षिक रुप से काफी पिछड़े है। अभी तक इस विभाग में इस कार्यक्रम के मूल्यांकन और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में कोई अध्ययन नहीं हुआ। इस गाँवों से नागपुर करीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस विभाग में कोराडी और खापरखेड़ा औष्णिक विद्युत केंद्र के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए इस एरिया कें यह 5 गाँव को चयन करने का मुख्य उद्देश्य था कि, इस गाँव में आम आदमी ग्रामीण विकास के माध्यम से किस तरह से परिवर्तन कर चुका है और परिवर्तन कर रहा है। परिवर्तन के लिए यह योजना कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है। इसका अध्ययन करने के लिए मैं नागपूर जिले के कामठी तहसील के अंतर्गत आने वाले गादा, खैरी, कवठा, खसाळा और अजणी इस पाँच गाँवों का चयन किया हूँ। जो कि अध्ययन के लिए यह गाँव महत्वपूर्ण लगते हैं।

इसीलिए ग्रामीण समुदाय के विकास की प्रक्रिया में गरीबी दूर करना एक अनिवार्य एवं तर्कसंगत दिशा है। अतः ग्रामीण समुदाय के विकास को सुनियोजित एवं विकसित हुए बिना न केवल गरीबी उन्मूलन का सपना अधूरा है। बल्कि ग्रामीण समुदाय अभ्युदय एवं सामाजिक न्याय को गतिशील बनाने का लक्ष्य भी दिवास्वप्न बनकर रह जाएगा। इसीलिए ग्रामीण भारत में व्यापक रूप से गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता, गंदगी और शिक्षा, कृषि का पिछड़ापन, विषमता तथा सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं दिखाई देते हैं। जिनका प्रभावपूर्ण समाधान किए बिना कल्याणकारी राज्य के लक्षणों को किसी भी प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता।

अध्ययन की वैचारिक नीव :–

स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामों का विकास करने हेतु आचार्य विनोबा भावेजी ने भूदान आंदोलन के माध्यम से भारत के जमींदारों के द्वारा ज्यादा जमीन निकालकर जरूरतमंद काष्तकारों को उस जमीन का हिस्सा दिया गया। जिसके माध्यम से ग्रामीण किसानों का सर्वांगीण विकास करना उनका एक मुख्य उद्देश्य था। इस लक्ष्य को लेकर उन्होंने ज्यादा

जमीन वाले किसानों की ज्यादा जमीन निकालकर सरकार को देने की घोषणा की और सरकार द्वारा जिनके पास जमीन नहीं है और ज्यो लोग खेती करनेवाले किसान है उन्हीको जमीन का हिस्सा दिया गया। विनोबा भावेजी के मतानुसार व्यक्ति केवल स्वयं के प्रति न सोचकर पहले अपने पड़ोसी के विषय में सोचना चाहिए। इस तत्व को लेकर उन्होंने "1952 से 1954 के बीच 30 लाख एकड से अधिक भूमि भूदान आंदोलन के रूप से प्राप्त की। अधिकतर प्राप्त भूमि उड़ीसा तथा बिहार राज्य में थी। 1955 के मध्य तक लगभग 37.50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई। जिसमें से 2 लाख एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी थी।"[3] इसके माध्यम से उन्होंने ग्रामीण किसानों का सर्वांगीण विकास करने हेतु भूदान आंदोलन चलायी और उनके आंदोलन को लोगों ने भी अच्छा प्रतिसाद देखकर ग्रामीण विकास करने के लिए बडे जमीनदार लोग अपनी जमीन ग्रामीण गरीब किसानों को देने के लिए खुद की जमीन विनोबा भावे का भूदान आंदोलन के लिए समर्पित कर दिए।

ग्रामीण चरित्र एवं ग्रामीण जीवन के पुनरुद्धार के लिए महात्मा गांधी ने जोर दिया था। उन्होंने हरिजन में 4 अप्रैल 1936 को लिखा था। "भारत की पहचान उसके कुछ शहरों में न होते हुए इसके 7 लाख गाँवों में है। लेकिन हम कस्बों शहरों में रहने वाले लोगों का मानना है कि, भारत कस्बों/शहरों में रहता है। तथा गाँवों को हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। हमने तनिक ठहर कर यह जानने का प्रयास किया कि, क्या इन गरीब ग्रामीणों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन एवं पहनने को कपड़े हैं। तथा क्या उनके पास धूप एवं बारिश से बचने के लिए अपनी खुद की छत है।"[4] विकास परिवर्तन का कारण एवं परिणाम दोनों है। इनके मध्य दो तरफा संबंध है। जिसमें विकास परिवर्तन को प्रभावित करता है। यह परिवर्तन से प्रभावित भी होता है। परिवर्तन में भौतिक तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन समाविष्ट है। विकास की सभी परिवर्तनों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि, सभी परिवर्तन विकास की ओर नहीं जाते। परिवर्तन या तो बेहतर विकास के लिए अथवा अवनति के लिए हो सकता है।

भारत के 62 प्रतिषत लोग गाँवों में निवास करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण खेती करने वाला किसान पूरे देश के आबादी का खाना अपने खेती में बोता है। देष को पालनेवाले इस किसान को दिन–प्रतिदिन अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो देश के किसानों की मेहनत पर चलता है उसी देश में किसानों की क्या स्थिती है? क्या पीडा है? यह सही तरह से जाँचना, परखना मेरा मक्सद था। इसलिए मैं यह विषय तय किया हूँ।

पूर्व साहित्य का अवलोकन ;त्मअपमू व िस्पजमतंजनतमद्ध :–

एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण समुदाय में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। इसकी जानकारी लेने के लिए संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण किया गया है। संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करने के बाद यह पता चलता है, कि समय–समय पर

ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण होता जा रहा है। ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण होने के बाद उस योजनाओं की जानकारी सही समय पर ग्रामीण लोगों को मिल रहा है, या नहीं इसका अनुसंधानात्मक अध्ययन होना बहुत जरूरी है। योजनाओं का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा होता है और योजनाओं की अमल बनी होती है। समय समय पर उस योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भागों में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास होना जरूरी है। इस माध्यम से उस योजना का लाभ लेते समय विभिन्न प्रकार की समस्याएँ आते हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेते समय ग्रामीण किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए भ्रष्टाचार का आवलंब होता जा रहा है। ग्रामीण योजनाओं के माध्यम से लोगों को कितना लाभ मिला है और किन–किन योजनाओं का लाभ लेते समय समस्याएँ आ रही है। इसलिए पूर्व में लिखे गए किताब और अनुसंधानात्मक कार्य में उस समय की योजनाओं का आयोजन किस तरह से किया गया था और आज के समय में इस योजनाओं का कार्यान्वयन किस तरह से हो रहा है। और ग्रामीण लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, या नहीं? इसके लिए यह अवलोकन करना बहोत जरूरी होता है।

1. जी. डी. षुक्ल ने अपने **'भारत का ग्रामीण समाज' (1978)** इस किताब में भारत का ग्रामीण समाज के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। उन्होंने अपने किताब में ग्रामीण समाज की संकल्पना एवं विकास के विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी है और ग्रामीण नियोजन और पुनर्निर्माण के भी समालोचनात्मक अध्ययन किया है। ग्रामीण संस्था और उनका नेतृत्व ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह निर्माण योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी है। ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार के पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों का समालोचन भी इस किताब में किया गया है। वैश्वीकरण और निजीकरण के माध्यम से ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है? इस पर विमर्श नहीं हुआ है।
2. कटार सिंह ने अपनी इस किताब **'ग्रामीण विकास सिद्धांत नीतियाँ एवं प्रबंधन' (2011)** में से उन्होंने ग्रामीण विकास की संकल्पना, विकास के मूलतत्व, ग्रामीण विकास की बढ़ती हूई अपेक्षाएं एवं परिवर्तन, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विकास के मापक, ग्रामीण विकास की विभिन्न नीतियां, प्राकृतिक संसाधन एवं रचनात्मक विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास के लिए नियोजन, ग्रामीण विकास का विस्तार पोषण, ग्रामीण विकास की योजनाओं का विश्लेषण किया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास की अवस्थाओं को दिखाई दिया है। ग्रामीण विकास की नीतियाँ सही है मगर उसकी अमल में गड़बड़ियाँ हैं। इस पर सही तरह से इन्होंने इस किताब में चर्चा नहीं की है।
3. **'ग्रामीण विकास योजनाएं एक मार्गदर्शिका'** हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा (2018) प्रकाशित मार्गदर्शिका में ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से दी गई है। इसके माध्यम से ग्रामीण लोगों

को विकास करने के लिए योजनाओं की जानकारी दी गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सही तरह से जानकारी मिल सके और इस योजनाओं के माध्यम से उनका विकास हो सके। इसलिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी योजनाओं की जानकारी दी गई है, मगर इस योजनाओं का लाभार्तीयों से पूछताछ करके फिर से योजनाएं बनानी चाहिए। इसमें यह दिक्कत दिखाई देती है।

ग्रामीण समाज के विकास के लिये आवष्यक है कि उनकी प्रमुख समस्याओं के कारणों को जानने की। उपरोक्त षोध कार्य से पूर्व इस विशय के सम्बन्ध में साहित्य का पुनरावलोकन के द्वारा षोध कार्यों व पुस्तकों का अध्ययन कर पूर्व धारणाओं व अभिमतों का भी विष्लेशण किया गया है। संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करने के बाद इन संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण में इस ग्रामीण समाज के बारे में बहुत कुछ जानकारी छूट जाने की संभावना है, इन सारी साहित्य सर्वेक्षण में जो अनुसंधान में खंड हुआ है, उसको खोजने की कोशिश इस अनुसंधान के माध्यम से किया गया है। इन सारी जानकारियों को ध्यान मे लेकर और ग्रामीण समाज की बदलती हूई भूमिकाओं को जानने के लिए मैं इस ग्रामीण समाज का सामाजिक अध्ययन करने के लिए यह विषय तय किया था।

अध्ययन के उद्देश्य ;व्इरमबजपअमेद्ध :–

प्रत्येक वैज्ञानिक षोध के मूल में कोई न कोई उद्‌देष्य अवष्य होता है। किसी भी चीज को जानने की इच्छा ही अध्ययनकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में आमंत्रित करता है। सामाजिक षोध सामाजिक वास्तविकता से सम्बन्धित है। अतः इसका उद्‌देष्य सामाजिक वास्तविकता को यथा सम्भव वस्तुनिश्ठ एवं क्रमबद्ध रूप में समझना है। इसका उद्‌देष्य ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है अपितु ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिये प्रयोग में लाना है। किसी भी अनुसंधान का मौलिक उद्‌देष्य ज्ञान में वृद्धि करना होता है। उद्देश के आधार पर अनुसंधान पद्धति का चयन किया जाता है। ‘कामठी (नागपूर जिला) पंचायत समिति के एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना का आलोचनात्मक अध्ययन : एक सूक्ष्म अध्ययन’ इस अनुसंधान विषय के लिए निम्न उद्देश्य तय किए गये था।

1) ग्रामीण समुदाय के आर्थिक जीवन का अध्ययन करना।
2) ग्रामीण समुदाय की शैक्षणिक स्थिति को जानना।
3) सामुदायिक विकास योजना और उनकी कार्यकुशलता का अध्ययन करना।

उपकल्पना ;भ्लचवजीमेमेद्ध :–

उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। उपकल्पना दो अथवा दो से अधिक चरों के बीच अनुभवमुलक संबंध का अनुमानित विवरण है। गुड ओर हैंड के अनुसार ‘उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं। एक उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक प्रस्तावना है, जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने

हेतु उस का परीक्षण किया जा सकता है। यह सही भी सिद्ध हो सकता है और गलत भी।' "उपकल्पना इस बात का वर्णन करता है, कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं। प्रारम्भिक स्तर पर एक उपकल्पना प्रतिभा, काल्पनिक विचार या सहज ज्ञान हो सकता है, जो क्रिया या अनुसंधान का आधार बन सकता है।" उपयुक्त अध्ययन से स्पश्ट होता है कि, उपकल्पना एक प्रारम्भिक विचार है, जो सामाजिक तथ्यों व घटनाओं की खोज करने में मदद करती है। इस अनुसंधान विषय के उपकल्पना यह थे।

1) खेती में नापिकी के कारण ग्रामीण समुदाय का आर्थिक जीवन बिकट होते जा रहा है।

2) शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव से ग्रामीण लोगों में निरक्षरता का प्रमाण दिखाई देता है।

3) शिक्षा के अभाव के कारण ग्रामीण लोग विकास योजनाओं का लाभ नहीं उठाते हैं।

अध्ययन की विषयवस्तु एवं प्रविधि ;डंजमतपंसे – डमजीवकेद्ध : –

षोध कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिये प्रथम आवष्यकता षोध विशय से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन करने की होती है। इसके लिए विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित हैं। षोधार्थी का षोध प्रबन्ध विष्लेशणात्मक पद्धति पर आधारित है। षोध अध्ययन की पूर्ती के लिये विद्वानों, समाजषास्त्रियों, विचारकों के विचारों को प्रकाष में लाकर ग्रामीण समाज का सूक्ष्म विष्लेशण किया है। विभिन्न ग्रामिण लोगों से साक्षात्कार करते हुए तथ्यों का संकलन किया गया है। अवलोकन का प्रयोग तथ्यों की पुश्टि व प्रमाणीकरण के लिये किया गया है।

अनुसंधान की विधियों का वर्गीकरण विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है। एक विद्वान ने इसे शिक्षा, मनोविज्ञान तथा इतिहास संबंधी अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत किया है। अध्ययनकर्ता, अवलोकन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कर सकता है। प्रस्तुत षोध प्रबंध में षोधार्थी ने व्यक्तिगत रूप से ग्रामीण समाज के निवास स्थान पर जाकर उनकी विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन किया है। षोधार्थी ने सहभागी अवलोकन का प्रयोग करते हुए अवलोकित समूह का सदस्य बनकर अवलोकन किया है। इस अनुसंधान में वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया हैं। तथा इसके माध्यम से इस ग्रामीण समाज का विशयानुसार विष्लेशण किया गया हैं। निर्देशन का चुनाव निर्देशन की कार्यप्रणाली यद्यपि एक सरल प्रक्रिया लगती है। परंतु व्यवहार में यह कठिन कार्य है। सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन की अनेक पद्धतियॉ है, इस षोध कार्य में संभावित निदर्शन और असंभावित निदर्शन पद्धतियों के माध्यम से साक्षात्कार, अनुसूची, निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संकलन करके जानकारी इकट्ठी की गयी हैं। इस ग्रामीण समाज का अध्ययन करने के लिए यह पद्धति मुझे उपयुक्त लगती है। ग्रामीण समाज का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन, विकासात्मक परियोजना एवं उसका प्रभाव को ध्यान में लेकर अनुसंधान किया गया हैं।

जब मैं एकात्मीक ग्रामीण विकास योजना का आलोचनात्मक अध्ययन करने के लिए नागपुर (महाराष्ट्र) के कामठी तहसील के गाँवों में जाकर इस योजना का कार्यान्वयन के बारे में जानकारी लेते समय बहुत कुछ नई समस्याएं सामने आई। इस विकास योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस ग्रामीण लोगों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए जब फॉर्म भरने के लिए तहसील जाना होता है तब एक दिन की मजदूरी या खेती का काम बंद करके तहसील जाना होता है और वहाँ जाने पर भी वहां के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें सही तरह से सरकार्य नहीं मिलता है और वहां कुछ दलाल लोगों के द्वारा उन्हें उस योजना का लाभ लेने के लिए पैसों की मांग करते हैं। अगर उन्हें पैसे नहीं दिया गया तो उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिलता है और उनका काम और पैसा भी व्यस्ट हो जाता है। इस तरह से विभिन्न तरह की योजनाओं की जानकारी उन्हें सही समय पर और सही तरह से नहीं मिलने के कारण भारत के विभिन्न ग्रामीण भागों में रहने वाले किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। अगर जानकारी होती है तो भी उनका सही लाभ उन्हें नहीं मिलता है। इस तरह से बहुत कुछ समस्याएँ लोगों ने बताए। इन सारी झंझटों को देखकर कुछ लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। इस योजनाओं का लाभ उन्हें को मिलता है जिनके पास बहुत कुछ पैसा है और जो गरीब है उनको इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए समय नहीं होता है। उनको अपने पेट की समस्याओं को मिटाने के लिए दिन भर काम करना होता है। काम नहीं किया तो उनके बच्चे खाली पेट रहते हैं। इसीलिए उन्हें अपने बच्चों की और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण लोगों में अशिक्षा का प्रमाण ज्यादा होने के कारण उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए कौन–कौन सी प्रमाण पत्र जरूरी है? इसके बारे में उनमें जागृति नहीं होने के कारण भारत की जो ग्रामीण विकास की योजना है इस योजना का वह सही तरह से लाभ नहीं ले सकते है।

निष्कर्ष एवं सुझाव (ब्वदबसनेपवद ंदक ैनहहमेजपवदे)

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से कामठी विभाग में एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से ग्रामीण भागों में रहने वाले श्रमिक, कृषक को एवं अन्य निर्धन परिवारों का आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत आने वाले कृषि, शिक्षा, बिजली, जल चिकित्सा, लघु एवं कुटीर उद्योगों, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में गाँवों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ताकि गाँव आत्मनिर्भर हो सके इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। जो सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभदायक साबित होता है। भारत का ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समस्याओं से ग्रस्त है। यह गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा को पोषण सुरक्षा, भ्रष्टाचार, जातिवाद रूढ़िवादिता, यातायात, संचार, आधारभूत

सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, सिंचाई, स्वच्छ पेयजल की कमी तथा अन्य अनेक प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से जूझ रहा है।

वर्तमान अध्ययन ग्रामीण समाज के सामाजिक अध्ययन पर आधारित है। प्रषासन द्वारा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिये अनेक योजनाऐं कार्यरत हैं, लेकिन योजनाओं की सही जानकारी न होने के कारण, वे इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। संकलित सामग्री के विष्लेशण में ग्रामीण समाज की सामान्य जानकारी या सामान्य परिचय, पारिवारिक स्थिति, षैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ग्रामीण समाज की प्रमुख समस्याएं, प्रषासन द्वारा ग्रामीण समाज के हित में किए गए विभिन्न प्रकार के सूविधाएँ एवं प्रावधान आदि विवरण प्रस्तुत करके और उपकल्पनाओं का सत्यापन करणे के बाद निश्कर्श निकाला गया है।

निष्कर्ष (ब्वदबसनेपवद):–

1. ग्रामिण समुदाय में षिक्षा की अच्छी सूविधा नही होती है। उन्हे षिक्षा लेने के लिए 5 से 10 किमी पैदल चलते जाना पडता है।
2. ग्रामीण समाज अत्यन्त गरीब है वे न तो स्वयं की स्थिति को ऊँचा उठाना चाहते हैं और न ही समाज के प्रति जागरूक हैं। अषिक्षित होने के कारण उनमें जागरूकता की कमी है। वे संविधान द्वारा दिये गऐ मौलिक अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। इसी कारण षोशण व दासता को अपना नसीब मानते हैं।
3. ग्रामीण समाज के लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नही होती है। सालभर में सिर्फ चार महिने ही पानी की सुविधा होती है बाकी दिनों मे बहुत दूर से पानी लाना पडता है।
4. ग्रामीण समाज के लोगों को सही समय पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा नही मिल पाती है। उन्हे चिकित्सा के लिए 10 से 20 किमी की दूरी पर जाना होता है।
5. ग्रामीण समाज के लोगों को उनकी आमदनी सें उनके पूरे परिवार का सही तरह से भरण पोशण नही हो पाता है। उनके परिवारो में छूपी बेरोजगारी का प्रमाण ज्यादा होने से उनके सालभर की कमाई से उनकी प्राथमिक सुविधाएँ पूरी नही हो पाती है।
6. ग्रामीण समाज में मुख्य रूप से मजदूरी व कृशि कार्य किया जाता है। इसका कारण उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त न होना है, इसीलिए कुटीर उद्योगों के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़ी हुई है। स्त्रियों को कुटीर उद्योग आदि का प्रषिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके।
7. ग्रामीण समाज के लोगों के लिए क्षेत्रीय विकास हेतु विभिन्न योजनाएं तैयार की जाती है। पर उसका सही तरह से अमल नही हो पाता। उसमे भ्रश्टाचार का प्रमाण ज्यादा तौर पर दिखाई देता है।
8. ग्रामीण समाज के लोगों को रहणे के लिए आवास की उचित व्यवस्था नही है। ग्रामीण समाज के विकास को सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं में लाभान्वित व्यक्तियों को चिन्हित करना चाहिए। साथ ही उनके षैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए गैर सरकारी संगठनों व स्थानीय

व्यक्तियों की सहायता से उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये सरकार को प्रयास करना चाहिए तभी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

सुझाव ¼नहहमेजपवदे½%&

1. आवासीय विद्यालयों में छात्र – छात्राओं को नियमित अध्ययन, अध्यापन के अलावा उनके व्यक्तिगत विकास हेतु खेल – कूँद, सामान्य ज्ञान तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने हेतु अन्य प्रकार के क्रियाकलाप एवं कम्प्यूटर तथा अन्य व्यावहारिक प्रषिक्षण उपलब्ध करना चाहिऐं ।
2. ग्रामिण समुदाय में षिक्षा के प्रचार – प्रसार के माध्यम से वर्तमान में चलाई जा रहीं शैक्षणिक विकास की विभिन्न योजनाओं का ईमानदारी पूर्वक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण होना आवष्यक है।
3. ग्रामिण लोगों के परिवार का सर्वे एवं अध्ययन के उपरांत उनकी रुचि एवं व्यवसायिक दक्षता के आधार पर ही स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाना चाहिये।
4. ग्रामिण लोगों को समय – समय पर क्षेत्रों में षिविर लगा कर योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाना चाहिये तथा उनकी मॉनीटरिंग करना चाहिये।
5. ग्रामिण क्षेत्रों में चलित अस्पताल के माध्यम से आंतरिक क्षेत्रों में जहाँ चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ उपलब्ध कराई जाना चाहिये।
6. ग्रामिण क्षेत्रों में प्रसूति हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रषिक्षित दाई/नर्स/स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पदस्थ कियें जाने चाहिये।
7. ग्रामिण क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास हेतु चलाये जा रहें अन्य कार्य जैसे भवन, तालाब, सड़क, सिचाई, शौचालयों सुविधाओं का अभाव एवं पेय जल की व्यवस्था आदि की गुणवत्ता पर और अधिक ध्यान देने की आवष्यकता है।
8. ग्रामीण समाज के को षासकीय योजनाओं से अवगत करना चाहिए ताकि वे षासकीय योजनाओं का लाभ उठा सके और आर्थिक स्थिति सुधार सके।

– संदर्भ ;References)

1. सिंह आर. जे. (1993) समकालीन ग्रामीण विकास ग्रामीण,विकास संस्थान, गोरखपुर,पृ.सं. 3.
2. मदन जी. आर. (1983) इंडिया डेवलपिंग इंडिया, लखनऊ पृ. संख्या 29.
3. षुक्ल जी. डी. (1978) 'भारत का ग्रामीण समाज' एस. चंद एंड कंपनी लिमिटेड, दिल्ली. पृष्ठ क्रमांक. 33.
4. गांधी मोहनदास करमचंद्र, 'ग्राम योजनाएं' 'हरिजन' 20 मार्च 1940.

जागतिकीकरणाचा आदिवासी समाज जीवनावर झालेला परिणाम

मनोहर भी. येरकलवार, मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. महाविद्यालय, नागपूर. मो. ८६२५९७७४५८

आज जगाने एकविसाव्या शतकात पदार्पण केले आहे.या शतकाच्या सुरूवातीपासूनच जागतिकीकरणाची प्रक्रिया ही झपाट्याने वाढतांना दिसून येते. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्राचा विकास अगदी जलद गतीने होतांना दिसून येत आहे. या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत मानवाने स्वत:ला एवढे वाहून घेतले आहे की, तो जगातील प्रत्येक क्षेत्रामध्ये सहभागी होण्याचा कसोशिने प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे तो नेहमी जगातील प्रत्येक गोष्टीला आपलेसे करण्याच्या प्रयत्नात असतो. परंतु या नादात तो आपले असणारी जवळची माणसे, पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पती, निसर्गसौंदर्य व नैतिक मूल्ये यांच्यापासून फारच लांब जात असल्याचे दिसून येते. कारण हा जागतिकीकरणाचा त्याच्यावर झालेला प्रतिकूल परिणाम होय.

आजच्या ह्या धावपळीच्या युगामध्ये प्रत्येक व्यक्ती स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी धावपळ करत आहे. यामूळे त्यांच्या जीवनातील प्रत्येक क्षेत्र हे धावते झाले आहे. त्यामध्ये त्याचे साम, दाम, दंड, भेद, व्यवहार, जीवन, मृत्यु यामध्ये गती आलेली आहे. म्हणून मानवी जीवन हे वाऱ्यासारखे झाले आहे. अशा या प्रतिकूल परिस्थितीने मानवी जीवनाला अशा प्रकारे वेढलेले आहे की, तो यापासून स्वत:ला सावरू शकत नाही. प्रत्येक मानवाला जीवनामध्ये अनेक प्रकारच्या सुख—सुविधांची आवश्यकता वाटते. पण ज्यांच्यामूळे त्यांना हे सर्व मिळतात त्या जीवलग माणसांनाच (आई, वडील, पालक) विसरत चालला आहे. त्यामूळे आजचा हा मानव भौतिक दृष्टीने जरी सुखी वाटत असला तरी, तो मानसिक दृष्टीने फारच दु:खी, कष्टी, नैराश्यमय जीवन जगत असल्याचे दिसून येते. त्या दु:खाचे मुळ कारण म्हणजे भौतिक सुखसुविधांची खैरात घेवून आलेली ही जागतिकीकरणाची प्रक्रिया होय. यामध्ये व्यक्ती स्वत:ला जास्तीत जास्त भौतिक सुख सुविधेमध्ये रममाण होण्यातच आपले पूर्ण आयुष्य घालवत आहे. भौतीक सुखाच्या मागे धावण्यातच तो स्वत:वर दु:खाचा डोंगर ओढवून घेत आहे. "वैश्वीकरण अनियंत्रित है। जिसकी एक विशेषता यही है कि, इसके विरुद्ध जन आंदोलन प्रतिबंधित है। सबसे बड़ी बात है कि, अमीर देशों और गरीब देशों के बीच पूँजी प्रवाह अत्यंत असंतुलित है। पिछले दो दशकों में अमीर देशों ने गरीब या विकसित देशों को ५० से ८० अरब डॉलर की सहायता की है। पर इन्हीं देशों से ५०० से ८०० अरब डॉलर अवैध रूप से वसूल किए गए हैं। इसका अर्थ यह भी हुआ कि अवैध दिए गए डॉलर के बदले में अवैध तरीके से ही १० गुणा डॉलर खींच लिए गए हैं।"[१]

जागतिकीकरणामुळेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मुक्त व्यापार करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे जागतीक दर्जाचे भांडवलदार ज्या देशामध्ये खर्च कमी व नफा जास्त मिळतो त्या ठिकाणी भांडवल गुंतवून नफा कमावण्याच्या मागे लागतात. त्यामुळे फुटीरतेची बिजे पेरली जाऊन त्या देशांमध्ये गरिबी, बेरोजगारी, मागासलेपणा, गून्हेगारी यामध्ये वाढ होते. त्यामुळे विकासाची उर्मी दडपली जाते. त्यातूनच व्यक्तीला सामाजिक हितापेक्षा स्वत:चे हित महत्वाचे वाटते. त्यामुळे अरेरावी, हुकूमशाही व एकाधिकारशाहीमध्ये वाढ होते. त्यातून विजय माल्या, निरव मोदी सारखे उद्योगपती देशातील अर्थव्यवस्थेला खोल गर्तेत टाकून देशाबाहेर सुखरूप जातात व तेथे आनंदाने जीवन जगू लागतात. हा जागतिकीकरणाचा नकारात्मक परिणाम आहे.

जागतिकीकरण म्हणजे स्थानिक वस्तूंना किंवा घटकांना जागतिक स्तरावर स्थान प्राप्त करून देण्याची प्रक्रिया होय. या संकल्पनेला 'विश्वची माझे घर' या अर्थाने उपयोगात आणली गेली आहे. जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारांची देवाणघेवाण होते. तसेच व्यापार, पर्यटन, विदेशी गुंतवणूक व भांडवलाचे हस्तांतरणही होते .

भारतामध्ये जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने १९९१ सालापासून सुरुवात झाली. एकेकाळी भारतातून सोन्याचा धूर निघत होता. त्याच देशांमध्ये आज जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून अनेक कुटीरउद्योगांचा ऱ्हास होताना दिसून येतो. शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी उध्वस्त होताना दिसून येतात. जंगल कापला जातो व त्या ठिकाणी मोठमोठ्या जागतिक कंपन्या स्थापन होत आहेत व इथला शेतकरी भूमीहीन, बेरोजगार होत आहे. प्रदूषणाची समस्या वरचेवर वाढत चालली आहे. अनेक आदिवासींच्या जमिनी, जंगल हस्तांतरित केल्या जात आहेत. त्यामुळे सोन्याचा धूर निघणाऱ्या या देशांमध्ये आज आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या चितेचा धूर निघताना दिसून येतो.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतातील ७० टक्के लोक हे शेतीवरच जीवन जगत असतात.

त्यातल्या त्यात ९० टक्के आदिवासींच्या उपजीविकेचे साधन म्हणजे शेती व जंगलसंपत्ती आहे. परंतु जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या जगण्याचा मुख्य आधार असलेली शेती व जंगलाचा नायनाट होऊन, त्या ठिकाणी विदेशी कंपन्यांचे टोलेजंग इमारती व कारखाने स्थापल्या जात आहेत. त्यामुळे आदिवासींच्या स्वयंपूर्ण असणाऱ्या अर्थव्यस्थेला ग्रहण लागले असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आदिवासी जमातींचे संपूर्ण जीवनच उद्ध्वस्त होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर इंग्रजांची गुलामी संपूष्टात आली, परंतु स्वतंत्र भारताची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली, त्यातून सावरणे फारच जिकरीचे व कठीण वाटत होते व भारत सरकार समोर अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्या समस्या सोडविण्यासाठी भारताला इतर विकसीत देशांची मदत घेणे फारच गरजेचे होते. त्यामुळे “शासनाने १९९१ च्या जून—जुलै महिन्यात रिझर्व बँकेकडील ६७ किलो टन सोने विकून परकीय चलन मिळविले.”[२] परंतु त्यातूनही भारतीसमोरील प्रश्न सुटले नाहीत. त्यामुळे भारताने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले व भारतीय बाजारपेठ विदेशातील कंपण्यासाठी खुले करण्यात आले. त्यामुळे भारतातील अनेक छोटे—मोटे व्यवसाय व कुटीरउद्योग बंद पडू लागले. गरीब—श्रीमंत दरी वाढू लागली. अशाप्रकारे जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने संपूर्ण व स्वच्छंदी जीवन जगणाऱ्या आदिवासी जमातींनाही देशोधडीला लावले.

जागतिकीकरणाचा आदिवासी समाज जीवनावर झालेला प्रभाव :—

१. **सांस्कृतिक प्रभाव :—** जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून विश्व एक कुटुंब बनलेले आहे. त्यामुळे धार्मिक व सांस्कृतिक बंधने शिथिल झालेली आहेत. त्यातूनच रेडिओ, टीव्ही, सिनेमा, फेसबुक, व्हाटसअप, ट्विटर यासारख्या माध्यमातून आदिवासींची संपन्न असणारी संस्कृती हळूहळू बिघडत चालली आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामाजिक जबाबदारी व मानवी मूल्यांचा ऱ्हास होऊन एक नैतिकतेची पोकळी निर्माण झालेली आहे. जाहिरातीच्या धंद्यामुळे लैंगिकता एका अभूतपूर्व टोकाला जाऊन पोहोचलेली आहे. नफा मिळविण्याच्या आशेने स्त्रियांच्या शरीराचे विचित्र पद्धतीने प्रदर्शन होतांना दिसून येत आहे. अशा प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून आदिवासी जमातीचे तरूण आपली संस्कृती विसरून विकृत मार्गाकडे लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या पवित्र संस्कृतीचे विकृतीकरण होताना दिसून येते.

२. **भाषिक परिणाम :—** जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या भाषेवरही त्याचा आघात होताना दिसून येतो. कारण आदिवासींच्या भाषेला लिपी नसल्यामुळे ते लिखित स्वरूपात उपलब्ध होत नाही. दुसऱ्यांना आदिवासींच्या भाषेचा काही उपयोग होत नसल्यामुळे ते त्या भाषेचा वापर करत नाहीत. परंतु आदिवासींना जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सामील होण्यासाठी व विकासाच्या प्रक्रियेत सामील होण्यासाठी इतर प्रमाण भाषेचा स्वीकार करणे गरजेचे आहे. म्हणून इंग्रजी व हिंदी भाषेच्या प्रभावामुळे त्यांची असणारी मुळ भाषा लयास जात आहे. जर आदिवासींना मुख्य प्रवाहात यायचे असेल तर इतरांची भाषा शिकणे हा घटक फारच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे त्यांची असणारी मुळ भाषा ते विसरत चालले आहेत.

३. **शैक्षणिक परिणाम :—** जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून आजच्या काळात जागतिक दर्जाची भाषा म्हणून इंग्रजी भाषेचा प्रभाव वाढत आहे. त्यामुळे प्रत्येक भारतीयांना असे वाटत आहे की, इंग्रजी भाषा आपल्यालाही आली पाहिजे, त्यामुळे इंग्रजी भाषेच्या शाळा खाजगी तत्वावर चालवल्या जात आहेत व त्या शाळेत प्रवेश घेणे म्हणजे प्रतिष्ठेचे मानले जात आहे. म्हणून भारतातील प्रत्येक व्यक्ती आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळेत प्रवेश देण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावत आहेत. आदिवासी जमातींच्या पालकांना इंग्रजी भाषेच्या शाळेमध्ये त्यांच्या मुलांना प्रवेश देणे म्हणजे त्यांच्यासाठी फारच कठीण काम आहे. कारण त्यांची परिस्थिती ही अत्यंत नाजूक आहे. तसेच त्यांच्या घरी आदिवासी भाषा बोलल्या जाते. तर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इंग्रजी, हिंदी किंवा मराठीमध्ये संभाषण केल्या जाते. त्यामुळे या जमातीच्या मुलांना इंग्रजी भाषा शिकणे म्हणजे फारच कठीण असते. कारण त्यांच्या कुटुंबामध्ये इंग्रजी भाषा कुणालाही येत नाही. त्यामुळे ते इंग्रजी भाषेमध्ये आपल्या मुलांना बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांची मुले आनंदाने शाळेत जात नाहीत. तसेच महाराष्ट्र शासनाने मराठी माध्यमांच्या शाळेत विद्यार्थी येत नाहीत म्हणून “राज्यातील तेराशे शाळा बंद करण्याचे धोरण राज्यसरकारणे अवलंबिले आहे”[३]. त्याचाही दूरगामी परिणाम म्हणुन आदिवासी जमातीच्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे चित्र दिसून येते. आदिवासी जमातीच्या मुलांना इंग्रजी भाषेचे शिक्षण देणे म्हणजे फारच कसरत असते. कारण त्यांच्या कुटुंबामध्ये कुणालाही इंग्रजी भाषा समजत नाही, त्यामुळे ते आपल्या मुलांना इंग्रजी भाषा शिकवू शकत नाहीत. तसेच शाळेतील शिक्षक त्या मुलांना त्यांच्या

भाषेतून इंग्रजी शिकवू शकत नाहीत. म्हणून आदिवासी जमातीच्या मुलांना इंग्रजी भाषा शिकणे कठीण जाते.

४. **बेरोजगारीची समस्या :—** जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारचे मोठमोठे उद्योग स्थापले जात आहेत. त्यामुळे त्या ग्रामीण व आदिवासी भागातील अनेक प्रकारच्या कुटिरोद्योगांचा फार मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होत असल्याचे चित्र दिसून येते. त्यामुळे त्या परिसरातील अनेक लोक बेरोजगार झाले आहेत. त्यांच्या सुपीक जमिनीवर मोठमोठे कारखाने काढल्या जात असल्यामुळे त्या परिसरातील अनेक लोकांना बेरोजगारीच्या समस्येने त्रस्त केले आहे. कारखान्यात काम करण्यासाठी कुशल कारागिरांची निवड होते. तसेच कारखान्यात काम करण्यासाठी इंग्रजी भाषा समजणाऱ्यांनाच काम मिळते. त्यामुळे आदिवासी जमातीच्या लोकांना इंग्रजी भाषा सुध्दा येत नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. बेरोजगार झालेले तरुण अनेक प्रकारच्या वाईट मार्गाकडे वळत असल्याचे दिसून येते. त्यातूनच नक्षलवादासारख्या चळवळीमध्ये अनेक बेरोजगार तरुण सहभागी होतांना दिसून येतात.

५. **कुटीर उद्योगांचा ऱ्हास :—** जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून आदिवासी जमातीच्या अनेक प्रकारच्या स्थानिक जंगलावर आधारित चालणाऱ्या कुटीर उद्योगांचा फार मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होताना दिसून येतो. बांबू पासून चटया, टोपली, दुरड्या, कणगी या वस्तू हाताने बनवल्या जातात. परंतु आजच्या काळात प्लास्टिकची, स्टिलची, लोखंडाच्या दर्जेदार वस्तू या कारखान्यात तयार होणाऱ्या मजबूत टोपली, चटया, दूरड्या बाजारपेठांमध्ये कमी किमतीमध्ये लोकांना मिळत असल्यामुळे ग्राहकांमध्ये कुटीर उद्योगात तयार होणाऱ्या वस्तू घेणाऱ्यांचे प्रमाणही कमी होत आहे. त्यामुळे अनेक प्रकारच्या कुटीर उद्योगावर चालणाऱ्या व्यवसाय व जोडव्यवसायाचा फार मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होतांना दिसून येतो.

६. **जंगलांचा ऱ्हास :—** जागतिकीकरणामुळे रस्त्यांचे रुंदीकरण व मोठमोठ्या कारखान्यांची स्थापना करण्यात येत असल्यामुळे आदिवासींच्या हक्काचे असणारे जंगलाचे प्रमाण वरचेवर कमी होत आहे. त्यामुळे वरचेवर पर्यावरणाचाही समतोल बिघडत असल्याचे दिसून येते. प्रदूषणाचे प्रमाणही वाढत आहे व प्रदूषणाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. तसेच जंगलातील अनेक प्रकारच्या उपयोगी वनऔषधांचा पण नायनाट होत आहे. जंगलतोड झाल्यामुळे आदिवासींच्या जीवनावर फार मोठा आघात होताना दिसून येतो. जंगलतोड झाल्यामुळे जमिनीची योग्य प्रमाणात धूप होत नाही व वेळेवर पाऊस पडत नाही. त्यामुळे आदिवासींच्या उदरनिर्वाहासाठी व उपजीविकेसाठी असणारी शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. जंगलाचा ऱ्हास होत असल्यामुळे पावसाचे पाणी वेळेवर पडत नाही. त्यामुळे आदिवासींची सुपीक असणारी शेती सुद्धा नापिकी होतांना दिसून येते. जंगल हे आदिवासींचे जीवन जगण्याचे व उपजीविकीचे फार महत्वाचे साधन ह्या जागतिकीकरणाने हिरावून घेतले आहे.

७. **कृषी विषयक समस्या :—** जागतिकीकरणाने प्रत्येक क्षेत्रामध्ये प्रवेश केलेला आहे. त्यामुळे अनेक प्रकारचे औद्योगिक कारखान्याची निर्मिती झालेली आहे. अनेक प्रकारच्या शेतीविषयक औजारांची निर्मिती कारखान्यात होत आहे. परंतु आदिवासींना नवीन कृषिविषयक तंत्रज्ञानाचे परिपूर्ण ज्ञान नसल्यामुळे काही आदिवासी हे पारंपारिक व स्थलांतरीत शेती करीत आहेत. तसेच औद्योगिकरणाच्या माध्यमातून त्यांच्या सुपीक असणाऱ्या जमिनी शासन हस्तांतरित करीत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बेकारीची व उपासमारीची समस्या निर्माण झालेली आहे. तसेच शेतामध्ये अनेक प्रकारच्या रासायनिक खते व किटकनाशके यांच्या अतिवापरामुळे सुद्धा शेती नापिकी होताना दिसून येते. त्यामुळे जागतिकीकरणाचा आदिवासींच्या कृषी व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येते. त्यांच्या सुपीक व कसदार असणारी शेती ही जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून त्यामध्ये यांत्रिकीकरण आल्यामुळे तसेच रासायनिक खतांचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले आहे परंतु ते सकस नाही. त्यामुळे अनेक प्रकारचे नवनवीन रोग होतांना दिसून येतात.

८. **स्थलांतर व विस्थापनाची समस्या :—** जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या जमिनीवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी ताबा मिळविलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या स्थलांतराच्या व विस्थापनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने हस्तांतरित केल्या जात आहेत. परंतु त्यांना त्या जमिनीचा योग्य मोबदला दिला जात नाही व दिलेला मोबदलाही त्याच्या उपजीविकेसाठी पुरेसा नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराची कोणत्याही प्रकारची तरतूद केल्या जात नाही. तसेच त्यांच्या जमिनीचा मोबदला योग्य वेळी दिल्या जात नाही. त्यांचे विस्थापन योग्य ठिकाणी केल्या जात नाही. ज्या ठिकाणी विस्थापन केले जाते त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या प्राथमिक सोयीसुविधा पुरविल्या जात नाहीत. मुख्य म्हणजे त्यांना रोजगार दिल्या जात नाही त्याकडे डोळेझाक

केल्या जाते. त्यातूनच राजकीय पुढारी आपला स्वार्थ साधून घेतात. परंतु आदिवासी ज्या जमिनीचे मालक आहेत त्यांना त्यांचा जमिनीचा कोणत्याही प्रकारचा मोबदला वेळवर दिला जात नाही. अशी ही आदिवासींची दयनीय स्थिती पाहावयास मिळते.

अशा प्रकारे जागतिकीकरणाचा आदिवासी समाजजीवनावर अनेक अंगानी दूरगामी परिणाम झाल्याचे चित्र दिसून येते. जागतिकीकरणाचा उद्देश चांगलाच होता. परंतु जागतिकीकरणाची प्रक्रिया राबविणाऱ्या लोकांची मानसिकता त्या दृष्टीने नसल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झालेली आहे. या प्रक्रियेमुळे कांही प्रमाणामध्ये कांही आदिवासी जमातीचे सक्षमीकरण झालेले आहे. परंतु अशिक्षित व अतिमागास असणारे आदिवासी यामध्ये मागे पडले असल्याचे दिसून येतात.

जागतिकीकरण हे विकसित व साम्राज्यवादी राष्ट्रांचे एक प्रभावी हत्यार आहे. त्या माध्यमातून ते जगातील विकसनशील देशांचे शोषण करतात. जागतिकीकरणाचा देशातील आदिवासींना कोणताच फायदा झालेला नाही. परंतु विकसनशील देशांचे आर्थिक मंदीचे संकट मात्र टळलेले आहे. व त्याचा भार भारतासारख्या विकसनशील देशांवर लादल्या गेलेला आहे. “इंटरनॅशनल मोनीटरी फंड, वल्ड बँक, विश्व व्यापार संगठन वैश्विकरण के प्रभावी उपकरण है।”[४] या माध्यमातून ते आपल्यासारख्या देशातील लोकांचे शोषण करून त्या देशांतील खनिज संपत्ती लुटून नेतील. व त्यातूनच मिळालेला नफा आपल्यालाच कर्ज म्हणुन देतात. अशा प्रकारे भारतासारख्या विकसनशील देशाला जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने लुटले जात आहे.

जागतिकीकरणाचे फलित म्हणून स्पर्धा वाढते आहे. देशी बाजारपेठ हे केवळ देशातील व मर्यादित प्रमाणात बाहेरील उत्पादकांपुरतीच मर्यादित न राहता, तशा प्रकारच्या वस्तू व सेवांची उत्पादन करणाऱ्या सर्वच उत्पादकांसाठी मुक्त होते. अर्थातच एकच वस्तू तयार करणारे अनेक उत्पादक असल्याने बाजारपेठेत त्यांना ग्राहक मिळविण्यासाठी स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे ग्राहक आपल्या गरजेनुसार योग्य वस्तू वाजवी किंमतीत मिळवू शकतो. परंतु ती वस्तू तयार करण्यासाठी जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून कारखान्यांमधून यंत्राच्या साह्याने कमी किमतीमध्ये ती वस्तू तयार होते व ती वस्तू तयार करणाऱ्या कामगाराला त्याचा योग्य मोबदला मिळत नाही? कामगारांच्या श्रमाचे विभाजन होऊन त्यांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचे चित्र दिसून येते.

सारांश :— आज मानवी समाजाचा जो विकास झालेला आहे. तो माहिती तंत्रज्ञान व जैवतंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून होय. मानवी समाजाचा विकास हा एक प्रकारचा संख्यात्मक विकास होय. केवळ संख्यात्मक विकासामूळे मानवी समस्याचे निर्मुलन होत नाही तर समस्या ह्या वरचेवर वाढत जाताना दिसून येतात. म्हणूनच जेवढ्या प्रमाणामध्ये लोकसंख्या वाढत आहे. त्याच प्रमाणामध्ये समाजामध्ये अराजकता, बंडखोरी, नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास होतांना दिसून येतो. म्हणून विकास या संकल्पनेमध्ये संख्यात्मक बदल महत्वाचा नसून त्यापेक्षा जास्त गुणात्मक, परिणात्मक बदल फारच महत्वाचा आहे. जर वरचेवर भारतीय समाजाची अशाच प्रकारची स्थिती राहीली तर पुन्हा एकदा स्वतंत्र भारत हा जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून जागतिक भांडवलदाराचे गुलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मुक्त व्यापार करण्याची संधी प्राप्त होते. परंतु त्या देशातील लोकांना ते योग्य प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देत नाहीत. ते फक्त जास्तीत जास्त नफा मिळविण्यासाठी तिथे आलेले असतात. त्यामुळे तेथे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते. लोकांची क्रयशक्ती वाढावी व श्रमाचे मूल्य वाढावे या संबंधित यांचा काहीच संबंध येत नाही. त्यामुळे फुटीरतेची बिजे पेरली जातात. तसेच जागतिकीकरणाच्या मुक्त बाजारपेठेच्या कारणामुळे कमी दर्जाचे असलेले, टाकावू वस्तू व तेथे न विकल्या जाणाऱ्या वस्तू भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये चढ्या दरांने विकले जातात. अशा प्रकारे जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या समस्या दूर होतील या भ्रमात राहता कामा नये.

आधुनिक समाजात माणूस एकलकोंडा होत आहे व माणूस माणसापासून दुरावत चालला आहे. आज जागतिकीकरणाने प्रत्येक क्षेत्रामध्ये प्रवेश केलेला आहे शिक्षण, वैद्यकीय व्यवसाय, अभियांत्रिकी व शेती असो प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होताना दिसून येतात. एका दृष्टीने जागतिकीकरण हे फायद्याचे होते, परंतु जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून नैतिकतेचा ऱ्हास होतांना दिसून येतो. त्यामुळे माणूस माणसाला न ओळखता माणूस फक्त पैशाला ओळखत आहे आणि पैशांच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीला माणसांपेक्षा पैसाच जास्त महत्वाचा व प्रिय वाटतो आहे. अशा समाजात सामाजिक संस्थांची मानवाबरोबरच बंधुभावाची सहकार्याची भावना कमकुवत होताना दिसून येते. व मानव हा नैतिक दृष्ट्या दुर्बल होत चालला आहे असे चित्र दिसून येते. जागतिकीकरणाचा हाच आदिवासींच्या समाजजीवनावर झालेला दुरगामी परिणाम होय.

संदर्भ ग्रंथ :—

१. भार्गव नरेश (२०१४), 'समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य 'वैश्वीकरण समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य', रावत पब्लिकेशन, जयपुर. पृष्ठ क्रमांक १६०

२. पंडित नलिनी, (२००४), 'जागतिकीकरण आणि भारत', लोकवाङ्मय गृह, मुंबई, पृष्ठ क्रमांक ११.

३. दै. सामना, दिनांक ०२ डिसेंबर २०१७.

४. गुप्ता रमणिका (२००८) 'आदिवासी कोण' राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली. पृष्ठ क्रमांक १८७.

114

आदिवासी जमातीच्या सामाजिक परिवर्तनामध्ये जनसंवाद माध्यमांची भूमिका

: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

मनोहर भी. येरकलवार
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग,
डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस.
कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर

****

प्रस्तावना :—

भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून आदिवासी जमातीचे संरक्षण आणि विकासाकरीता घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी जमातीचा जलद गतीने विकास करण्यासाठी क्षेत्रनिहाय तसेच कुटुंबनिहाय विकासात्मक कार्यक्रम चालविण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारने हाती घेतली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात स्वतंत्र आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध विकासाच्या उपाययोजनांमुळे आदिवासींच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येत असून त्यामुळे त्यांच्या विकासाला चालना मिळत आहे. त्या माध्यमातून आदिवासी जमातीतील लोकांचे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, व्यवस्थेमध्ये सहभाग वाढत आहे. त्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये विकासात्मक दिशेने सामाजिक परिवर्तन होतांना दिसून येते. आदिवासींच्या विकासामध्ये मिडियाची भूमिका फारच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे हळू हळू का होईना त्यांच्या समस्येचे निराकरण होवून ते इतर समाजाच्या संस्कृतीप्रमाणे आचरण करून आपल्या जमातीतील अनावश्यक प्रथा, परंपरा, चालीरितीमध्ये बदल घडवून आणत आहेत. अशाप्रकारे या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहीती मिडियाच्या माध्यमातून होत असल्यामुळे आदिवासी समाजाच्या सामाजिक संरचनेमध्ये परिवर्तन होतांना दिसून येते.

वंश कोणताही असो आदिवासी हे भारतातील आद्य रहिवासी होता. या रहिवाशांचा शूरपणा हा प्रामाणिक व पारंपारिक जीवनपद्धतीमुळे आर्यापुढे किंवा नवनव्या सुधार पद्धतींना आत्मसात करणाऱ्या चाणाक्ष वर्गापुढे म्हणा हवेतर कमी पडला व हार पत्करून आदिवासींना मागे मागे हटावे लागले. त्यांना डोंगराच्या पायथ्याशी पहाडावर किंवा दऱ्याखोऱ्यातून आश्रय घ्यावा लागला. आज भारतातील बहुतेक सर्व आदिवासी डोंगराळ भागात असल्याचे हे एकमेव कारण आहे. भारतीय संविधानातील कलम ३४२ नुसार आदिवासींना अनुसूचित जमाती या नावाने ओळखल्या जाते. “हरियाणा और पंजाब के राज्यों और चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में ६९८ अनुसूचित जनजातियाँ बसी हुई है। उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या ६८ है। इन ६९८ अनुसूचित जनजातियों में से ७५ को परिष्कृत जनजातियों का दर्जा दिया गया है। क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की तुलना में यह अधिक पिछड़ी हुई है और यह अभी भी कृर्षी पूर्व अवस्था में ही जीवन यापन कर रही है। साक्षरता की दर भी इनमें काफी निम्न है। दिन ब दिन इनकी आबादी बढ़ने की बजाय घट रही है।”[१] अशा या जमातीचे अध्ययन करणे फारच गरजेचे आहे. त्या माध्यमातून त्यांच्या सामाजिक जीवनातील विविध पैलूंवर प्रकाश टाकता येते. मनुष्य हा समाजशिल प्राणी तर आहेच पण त्याचबरोबर तो परिवर्तनशील देखील आहे. मानवी समाजाचे परिवर्तनशिलता हे एक महत्वाचे वैशिष्टये आहे. आदिवासी समाजामध्ये दिसून येणारी परिवर्तनाची प्रक्रिया विभिन्न नावाने ओळखली जाते. जसे हिंदूकरण, संस्कृतीकरण, ईसाईकरण, पाश्चिमात्यीकरण, नागरीकरण, आधुनिकीकरण, जाती—जमाती सातत्य इत्यादी प्रक्रियाद्वारे आदिवासी जमातीमध्ये व्यापक स्वरुपाचे परिवर्तन झाल्याचे दिसून येते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून जवळपास ७१ वर्षे झाली असली तरी, समाजाच्या मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर

असणाऱ्या अनेक वंचित शोषित आदिवासी जमातींची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व राजकीय स्थिती अजूनही बिकटच आहे. देशाचा समतोल विकास करून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी दऱ्याखोऱ्यात, डोंगरकपारी, पहाडी, जंगली व दलदलीच्या भागात राहणाऱ्या आदिवासी समाजाच्या विकासाचा व परिवर्तनाच्या संदर्भात कोणकोणत्या समस्या येतात? त्यांचे अध्ययन करून त्यांच्या जीवनामध्ये सकारात्मक परिवर्तन घडून आणण्यासाठी मिडीयाची काय भूमिका आहे? व ती कश्यापद्धतीने बजावते? याचे अध्ययन करण्यासाठी प्रस्तूत विषय निवडलेला आहे.

आदिवासी जमातीच्या सामाजिक परिवर्तनामध्ये जनसंवाद माध्यमांची भूमिका :—

आदिवासी जमातीच्या सामाजिक परिवर्तनामध्ये जनसंवाद माध्यमांची भूमिका फारच महत्वाची असल्यामुळे आदिवासी जमातीमध्ये सकारात्मक परिवर्तन घडून येत असल्याचे चित्र दिसून येते. आदिवासी समुदायाला विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करण्यासाठी प्रेरणा देण्याचे महत्त्वाचे काम हे मिडीयाच करू शकते. “युनोने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, केवळ भौतिक गरजा पूर्ण केल्या म्हणजे विकास होतो असे नाही. आर्थिक वृद्धी म्हणजे विकास नाही तर, व्यक्तीची सामाजिक गती सुधारणे होय. सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत, आर्थिक परिवर्तन त्यात अभिप्रेत आहे.”[२] समाजामध्ये सामाजिक परिवर्तन घडून येण्यासाठी जनसंवाद माध्यमांची भूमिका फार महत्त्वाची असते. जनसंवाद माध्यमामुळेच समाजामध्ये परिवर्तन घडून येत असते. माणसाला जागृत केल्याशिवाय विकास होत नाही. जागरूक करण्यासाठी मिडीयासारखे दुसरे चांगले माध्यम नाही. मग ती प्रिंट मिडिया असो किंवा चित्रपट असो, नाटक असो. या सर्व जनसंवाद माध्यमांच्या माध्यमातून सामाजिक परिवर्तन घडून येत आहे.

परिवर्तन हा सृष्टीचा नियम आहे. या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेमध्ये कालानुरूप परिवर्तन घडून येत असते. कोणत्याही स्वरूपाचे परिवर्तन स्वत:हून कधीच घडून येत नाही. परिवर्तनासाठी कोणत्यातरी माध्यमांची गरज असते. कोणतेही परिवर्तन घडून येत असताना त्यामध्ये दोन प्रकारचा बदल होतो. एक तर सकारात्मक परिवर्तन किंवा नकारात्मक परिवर्तन. परिवर्तन हे संघर्षाच्या माध्यमातूनच होत असते. भारतीय आदिवासी जमातीमध्ये सामाजिक परिवर्तन घडून आणण्यासाठी अनेक प्रकारचे घटक कारणीभूत आहेत. त्यातीलच एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे जनसंवाद माध्यमे होत. अनेक प्रकारच्या जनसंवाद माध्यमांच्या माध्यमातून आदिवासी जमातीमध्ये परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे.

आजच्या काळात सामाजिक माध्यमे हे सतत व्यक्तीच्या संपर्कात राहत असल्यामुळे, त्या मिडियाचा व्यक्तीच्या जीवनावर नक्कीच प्रभाव पडत असते. लोकशाहीचे चार आधारस्तंभ आहेत. त्यामध्ये विधिमंडळ, न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ व पत्रकारिता किंवा मीडिया अशा प्रकारे राज्यव्यवस्थेतील सिंहासनाचे चार पाय आहेत. त्यातील एकभी पाय मोडले किंवा तुटले तर सिंहासन पडू शकते व सिंहासनावर बसणारा व्यक्तीही पडू शकतो. म्हणजेच या चार आधार स्तंभावरच भारताची लोकशाही शासन व्यवस्था टिकून आहे. जनसंवाद माध्यमांच्या द्वारे लोकांच्या समस्या सरकार पर्यंत पोहोचणे व सर्व सरकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे कार्य मिडियाद्वारे होत असते. म्हणून समाज परिवर्तनाचे ते एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. “अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्रपती थॉमस जेफरसन यांनी एके ठिकाणी म्हटले होते की, जर मला मीडिया व सरकार या दोन्ही पैकी एकाला पसंती द्याल असे विचारले तर, मी पहिली पसंती मिडीयाला देईन कारण सरकार सत्तेवर राहील ना राहील परंतु मिडीयाचे अस्तित्व कायम राहील.”[३] स्वतंत्र आंदोलनात मध्ये वृत्तपत्राने फारच महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. त्याचप्रमाणे आजच्या काळातही जर मिडीयाने अशी भूमिका बजावली तर नक्कीच आपला देश अनेक प्रकारच्या समस्या पासून मुक्त होईल व विकासाच्या सर्वोच्च शिखरावर पोहचेल यात कांही शंका नाही.

आदिवासी समुदाय हा भारतीय संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. आदिवासींची संस्कृती संस्कृतीत मुल्यावर आधारित आहे. आदिवासी संस्कृतीची जीवनमूल्येही निसर्गनियमांना अनुसरूनच आहेत. निसर्गाचे व पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे या संस्कृतीचे मूलतत्त्व आहे. निसर्गातील वृक्ष, वेली, पशु, पक्षी,

प्राणी यांना या संस्कृतीमध्ये मानाचे व आदराचे स्थान आहे. आदिवासींचा धर्म हा निसर्ग धर्म आहे. निसर्गनियमांच्या विरुद्ध वर्तन करणे हे या जमातीमध्ये पाप समजले जाते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर हळूहळू या आदिवासी जमातीच्या संस्कृतीला ग्रहण लागले आहे. औद्योगिकरणाच्या माध्यमातून भांडवलशाही लोकशाही व्यवस्थेने आदिवासींची प्राचीन निसर्ग नियमावर आधारित असलेल्या संस्कृतीवर घाला घातलेला आहे. यासाठी अनेक प्रकारची जनसंवाद माध्यमे याला कारणीभूत आहेत. त्यामध्ये रेडिओ, टीव्ही, भ्रमणध्वनी, मोबाईल, इंटरनेट व वृत्तपत्रे यांच्या माध्यमातून आदिवासींच्या संस्कृतीवर अनेक प्रकारचे विघातक परिणाम होताना दिसून येतात. मिडियाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या संस्कृतीचे दर्शन इतरांना घडवून आणताना त्यांचे नग्न अवस्थेतील चित्र दाखवले जाते व त्यांना धर्माच्या नावाखाली त्यांचे हिंदुकरण, ख्रिश्चनीकरण होताना दिसून येते. त्यामध्ये मीडियाची भूमिका ही फार महत्त्वाची असल्याचे दिसून येते.

सुखाची साधने हवी असलेल्या मध्यम वर्गाला, सत्तेचे सुख हवे असलेल्या राजकीय पुढाऱ्यांना आणि भांडवल खेळते ठेवून त्यात वृद्धी करू पाहणाऱ्या जागतिक भांडवलदारांना आदिवासींच्या समस्या बाबत काहीही घेणे—देणे नसल्याचे चित्र मिडियाच्या माध्यमातून दिसून येते. जनसंवाद माध्यमांच्या माध्यमातून आदिवासी जमातीमध्ये सकारात्मक परिवर्तन घडून आलेले दिसून येते. याच जनसंवाद माध्यमांच्या प्रचार व प्रचारामुळे आदिवासींना जगात काय सुरू आहे? याची ओळख व्हायला सुरुवात झाली. मी सुद्धा एक माणूस आहे व मलाही इतरांसारखे जीवन जगता येते. याची जाणीव मिडियाच्या माध्यमातून आदिवासी समुदायाला झालेली आहे. शिक्षण हे काय असते? ते घेतल्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये कोणते परिवर्तन घडून येते? याचीही जाणीव या मिडियाच्या माध्यमातून आदिवासी समुदायाला झालेली आहे. अनेक प्रकारच्या परिवर्तनवादी आंदोलनामध्ये मिडियाची भूमिका फारच महत्त्वाची राहिली आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे आंदोलन असो, फ्रेंच राज्यक्रांती असो या सर्वांचा प्रचार व प्रसार करण्यामध्ये मिडियाची भूमिका फारच महत्त्वाची राहिली आहे. याच मिडीयाने जनमाणसाला जागे करण्याचे काम केलेले आहे. म्हणूनच माध्यमांना भारतीय लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हटले आहे. या माध्यमांच्या सहाय्याने अनेक आंदोलने यशस्वी झाल्याची उदाहरणे इतिहासात दिसून येतात.

आदिवासी जमातीच्या सकारात्मक परिवर्तनामध्ये या मिडियाची भूमिका फारच महत्त्वाची असल्याचे अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. जनसंवाद माध्यमे आदिवासींच्या दारापर्यंत पोहोचलेच नसते तर आज भारतीय आदिवासींना स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता आलाच नसता. माध्यमांनी आदिवासींना जागे केले व त्यांना जंगलाच्या बाहेरही एक सुंदर जग असते याची ओळख करून दिली. म्हणूनच आदिवासींची पोरे शिक्षण घेऊन लहान मोठ्या हुद्द्यावर नोकरी करीत असल्याचे चित्र दिसून येते. यामुळेच आदिवासी जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजकीय जीवनामध्ये परिवर्तन होत असल्याचे दिसून येते. मिडियाच्या माध्यमातून आदिवासी जमातीच्या लोकांच्या संस्कृतीमध्ये, संस्कृतिक मूल्यांमध्ये, परिवर्तन होत आहे. सण समारंभ उत्सव साजरे करण्याच्या आधुनिक पद्धतीचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात होताना दिसून येते. मिडियाने त्यांच्या संस्कृतीक जीवनाचे नग्न चित्र काढून त्यांची एक प्रकारे अवहेलना करीत असल्याचेही चित्र दिसून येते. मिडियाच्या मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आदिवासी जमातीचे लोक याकडे परावर्तित होत आहेत व आपली जुनी सांस्कृतिक मूल्य, प्रथा—परंपरा, रितीरिवाज हळूहळू विसरत चालले असल्याचे दिसून येते.

भारताने स्वत:ला विकसित देशांच्या पंक्तीत नेऊन बसवण्याच्या प्रयत्नात असताना त्याच देशातील आदिवासी समुदाय विकासाच्या मुख्य धारेपासून कोसो दूर आहेत. त्यांना विकासाची पुसटशी कल्पनादेखील नाही. त्यांच्या वस्तीपर्यंत अजूनही रस्ते, वीज, शाळा, आरोग्याच्या सोयी सुविधा पोहोचल्या नाहीत. त्या ठिकाणी मोबाईलला नेटवर्क सुद्धा येत नाही. शासनाच्या या हलगर्जीपणामुळे आदिवासी समुदायाच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्या असल्याचे दिसून येते. त्या आदिवासी समुदायाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर, त्यामध्ये मिडियाची मुख्य भूमिका असली पाहिजे. या जमातीच्या समस्या जगासमोर

आणले पाहिजेत तरच आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य यशश्वी होईल. त्यांना अनेक प्रकारच्या आरोग्यविषयक, रोजगार विषयक नागरी सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे एकीकडे त्यांना नक्षलवादी कारवायांचा सामना करावा लागतो तर, दुसरीकडे प्रशासन व पोलिस यंत्रणेचा सामना करावा लागतो. अशा प्रकारच्या द्विधा मनस्थितीत अडकलेल्या आदिवासी समुदायाला बाहेर काढण्याचे काम फक्त मिडीयाच करू शकते. म्हणून मीडियाची भूमिका या ठिकाणी फारच महत्त्वाची असल्याचे दिसून येते.

आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७१ वर्ष होत आलेली आहेत. तरी अजून पर्यंत आदिवासींच्या वाडया वस्ती, पाड्यापर्यंत रस्ते, वीज, शाळा, दूरध्वनी, आरोग्याच्या सोयी—सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे मिडियाला तिथपर्यंत जाऊन त्यांच्या समस्या जगासमोर आणण्याचे मोठे आव्हान आहे. परंतु मिडीया नक्षलवादी कारवायांना व राजकीय दबावाला बळी पडून त्यांच्या समस्या जगासमोर आणण्यास कचरत आहे. मागील पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये अनेक प्रकारच्या सामाजिक माध्यमांचा फेसबुक, वाट्सअप यांच्या माध्यमातून आदिवासींच्या समस्या वर चर्चा होताना दिसून येते. परंतु कालच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे या सर्व सामाजिक मीडियावर केंद्राच्या १० यंत्रणेकडून निगराणी ठेवण्याचा आदेश काढला व त्यांना देशातील सर्व नागरिकांचे मोबाईल, लॅपटॉप तपासण्याचा अधिकार देऊन सामाजिक मीडियाच्या वापरावर एक प्रकारे बंदी आणल्या जात आहे. त्यामुळे शोषितांचे, दलितांचे, आदिवासींचे प्रश्न आता जगासमोर येणारच नाहीत. अशा पद्धतीने शासनाने हा कायदा काढून या देशातील गरीब, शोषित, आदिवासी लोकांच्या हक्कावर गदा आणलेला आहे. अशाप्रकारे वरचेवर सामाजिक मीडियाच्या भूमिकेमध्ये सतत बदल होताना दिसून येतो. वरचेवर जर असेच चित्र चालू राहिले तर, देश पुन्हा एकदा भांडवलशाही व्यवस्थेचे गुलाम होण्यास वेळ लागणार नाही. काही प्रमाणात जनसंवाद माध्यमे ही आदिवासींच्या विकासाची भूमिका बजावून त्यांच्या समस्या जगासमोर आणल्या जात आहेत. त्यामुळे त्यांना विकासाची संकल्पना हळूहळू कळायला लागली आहे. त्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गरजांची पूर्तता कांही प्रमाणत होतांना दिसून येत आहे.

निष्कर्ष :—

लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून भारतीय समाजाच्या विकासामध्ये मीडियाची भूमिका फारच महत्त्वाची आहे. परंतु स्वातंत्र्यानंतर मीडियाची भूमिका ही दिवसेंदिवस बदलत जात असल्याचे चित्र दिसून येते. आदिवासी जमातीच्या परिवर्तनासाठी केवळ कल्याणकारी योजना आखून आदिवासी समाजामध्ये पूर्णत: परिवर्तन होईल व त्यांच्यासमोरील समस्यांचे निर्मूलन होईल अशी समजूत करून घेणे धोक्याचे आहे. या आदिवासींच्या विकासात्मक योजनांची अंमलबजावणी कशी व कुठपर्यंत होते? त्यामध्ये किती प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो? या सर्व गोष्टींची पुरेपूर माहिती शासनापर्यंत पोहचविण्याचे महत्त्वाचे काम मीडियाच्या माध्यमातून झाले पाहिजे. तेव्हाच कुठे तरी या योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल. अन्यथा 'पालथ्या घागरीवर पाणी' अशी स्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. भारतीय आदिवासी समुदायाचा विकास करण्यासाठी केवळ धोरणे आखून चालणार नाहीत, तर त्या विकास योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला की नाही, याची काटेकोरपणे तपासणी करणे गरजेचे आहे. हे काम जर मीडियाच्या माध्यमातून झाले तर उत्तमच होईल. आजच्या प्रसारमाध्यमांचे लक्ष आदिवासींच्या समस्येकडे जाईल व त्यांच्या समस्येचे निर्मूलन करण्याचे प्रयत्न करेल असे दिसून येत नाही. या काळातील मीडिया ही विकाऊ असल्याचे चित्र दिसून येते. आजची लोकशाही शासन व्यवस्था बळकट करण्याऐवजी लोकशाहीच्या माध्यमातून शासन चालविणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांची मांडलिक बनत असल्याचे चित्र दिसून येते.

संदर्भग्रथ :—

१. तवर संतोष (संपादक), (जनवरी २०१८). 'ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था', सतत शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू. नई दिल्ली. पृष्ठ क्रमांक. १२.
२. अनमुलवाड वैजनाथ (संपादक) (२०१२). 'आदिवासी समाज, संस्कृती आणि साहित्य' इसाप प्रकाशन, नांदेड. पृ. क्रमांक १६१.
३. https://bhadauriaraj.wordpress.com

❑❑❑

आदिवासी जमातीचे बदलते स्वरूप

मनोहर भी. येरकलवार, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर.

प्रस्तावना :— मानवी समाजाच्या आदिम अवस्थांचा विचार केल्यास आपणास असे दिसून येते की, मानव प्राणी हा फार पूर्वीपासून जंगल, दऱ्या, खोरी, पर्वत, नदी, नाले व घनदाट अरण्य या परिसरात वास्तव करुन आपली उपजिविका भागवित होता. हळूहळू मानवी समाजाची प्रगती होत गेली. एकीकडे मानव प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत अत्युच्छ शिखरावर जाऊन पोहचला तर त्याच मानवी समूहातील काही मानव स्वत:च्या प्रगतीपासून व विकासापासून वंचित राहीले. त्यांचे वास्तव्य आहे त्याच अवस्थेत, त्याच ठिकाणी जंगलात, घनदाट अरण्यात व इतर मानवी वस्तीपासून दूर अलिप्त राहीले. विकासाची संकल्पना त्यांना कळालीच नाही. तसेच तो इतरांसोबत राहुन स्वत:ला परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत सामावुन घेतला नाही. जसा आहे त्याच अवस्थेत जीवन कंठीत राहीलेला समुदाय म्हणजेच आदिवासी जमाती होत.

आर्याच्या आगमनापूर्वी म्हणजेच इ.स. पूर्व १५०० या काळात नागर संस्कृती माहीत नसलेल्या भटक्या टोळ्यांचा भारतीय सिंधू संस्कृतीवर जो आघात झाला, त्या पूर्वीचे लोक म्हणजे आदिवासी सिंधू संस्कृतीचे लोक आर्यापेक्षा सुसंस्कृत होते. परंतू त्यांना निषाद, किरात, शबर, कावळ्याहून काळे, नरभक्षक, धरतीचे काळे पुंज इत्यादी हिणकस नावांनी त्यांचा उल्लेख केल्या जात असल्याचे उल्लेख वेद, उपनिषद व पुराणांत आढळुन येते. आर्यांच्या टोळ्यांचे आगमन झाल्यानंतर त्यांना या उपखंडातील पर्यावरणाच्या ऋतूमानाची माहीती नव्हती. त्यांना पंजाबातील नद्यांच्या उन्हाळी महापूरांची माहिती नसल्यामुळेच जागोजागी आर्यांची गावे पुरात सापडली. "इंद्र संस्कृतीची स्थापना झाल्यानंतर गावोगावचे शबर, किरात, निषाद व नागलोक भयभीत झाले. भितीने ह्या लोकांच्या अनेक टोळ्या निरनिराळ्या प्रदेशात पळून गेल्या. विंध्य, सातपुडा पर्वत ओलांडुन ते तापी, नर्मदेच्या खोऱ्यात स्थिरावले. त्यांनी 'सरमक' राज्य स्थापिले ते इ. स. पूर्व ६०० ते इ. स. पूर्व ३०० पर्यंत होते."[१] अशा प्रकारे हे स्वाभीमानी, सुसंस्कृत, प्रामाणिक, स्वयंपूर्ण असणारे मुळनिवासी लोक जंगलाचा सहारा घेऊन अदृश्य स्वरुपात अनेक वर्ष जीवन कंठीत होते.

आदिवासींच्या टोळ्या व आर्यांच्या टोळ्या यांच्यात जवळपास तिनशे वर्षे लढाया झाल्या. या लढायात आदिवासींच्या काही टोळ्या हरल्यानंतर आदिवासींमधील काही गट आर्यांना मिळाले व त्यांनी आर्यांशी मिळते—जुळते घेतले. यातूनच पूढे आर्यांनी वर्णव्यवस्थेच्या माध्यमातून समाजव्यवस्थेचा पाया रचला. पण जे आदिवासींचे स्वाभिमानी गट होते त्यांनी आर्यांपासून अलिप्त व दूर जंगलात राहणेच पसंत केले. परंतू आर्यांशी शरणागती पत्करुन त्यांच्याशी मिळतेजुळते घेतले नाही. तेच गट व समाज आज मुळनिवासी किंवा आदिवासी म्हणून ओळखला जावू लागला आहे. "वर्णव्यवस्थेत अडकलेल्या व आर्यांशी जुळवून घेतलेल्या आदिवासी गटांनी स्वत:ला आदिवासी म्हणवून घेणे पसंत केले नाही. यावरुन हे सिद्ध होते की, आर्यांची गुलामगीरी स्विकारणाऱ्या जाती आदिवासी नाहीत. परंतू ज्या जमाती ब्राम्हणांचे गुलाम नाहीत ते आदिवासी जमाती म्हणून ओळखल्या जातात."[२] अशा प्रकारे प्राचिन काळापासून इथल्या भूमीवर आनंदाने एकत्र राहणाऱ्या या मुलनिवासी गटांचे जाती व जमाती अशी विभागणी झालेली असल्याचे दिसून येते.

भारताच्या प्राचिन इतिहासात आर्य, द्रविड, दास आणि नाग लोक यांचे उल्लेख सापडतात. वैदिक साहित्यात नाग लोकांनाच 'दास' असे संबोधले जात होते. नाग हे पुरातन लोक होते. त्यांची अनेक ठिकाणी राज्ये होती. दक्षिण भारतातील द्रविड आणि नाग ही एकाच वंशातील लोकांची नावे आहेत. म्हणजेच उत्तर भारतातील नाग किंवा असूर लोक आणि दक्षिण भारतातील द्रविड लोक हे एकाच वंशाचे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. याविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपले मत नोंदवतांना म्हणतात, "दक्षिण भारतातील द्रविड लोक आणि उत्तर भारतातील नाग किंवा असूर लोक हे एकाच वंशाचे आहेत. द्रविड व नाग ही एकाच वंशातील लोकांची वेगवेगळी नावे आहेत. द्रविड हे त्या लोकांचे भाषिक नाव आहे. या सर्व पुराव्यावरुन आदिवासी हे पूर्वीचे नागवंशीय होते हे तर पूर्णपणे सिद्ध होतेच परंतू नागवंश भारतात उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत पसरलेला होता हेही समजून येते. तसेच दुसरे असे की, भारतातल्या आदिवासी संस्कृतीतून बाहेर पडलेल्या महार, मांग, ढोर इ. जातींचा समाजसुद्धा नागवंशीय असून पूर्वीचे आदिवासीच होत."[३] अशा प्रकारे नागलोकांची भूमी म्हणजेच नागपूर होय. याच भूमिमध्ये भारतातील खूप मोठा आदिवासी समूदाय या परिसरामध्ये एकवटलेला असल्याचे दिसून येते.

आर्यांच्या नंतर पर्शियन, ग्रीक, शक, हून आणि मध्य आशियातील अनेक भटक्या जमातींचे लोक वायव्य दिशेकडून भारतात आले. त्यानंतरच्या काळात अरब, इराणी, पूर्व आफ्रिकेतील ॲबिसीनियन, बर्माचे तिबेटो—बर्मन आणि अराकन प्रदेशातून छोटे—छोटे समूह एकापाठोपाठ एक येत राहीले व ते केवळ भारतातील संपत्तीची लुट करण्याच्या उद्देशांनीच आले होते. भारतात कायमस्वरुपी वास्तव्य करण्याची त्यांची मुळीच इच्छा नव्हती. त्यांच्यानंतर आठव्या शतकात मुघलांनी स्वाऱ्या केल्या आणि अखेरीस मुघल साम्राज्य स्थापन करुन त्यांनी आपल्या कारवाया चालूच ठेवल्या. या कालावधीत आदिवासींची अनेक प्रदेशामध्ये राज्ये स्थापन झालेली होती. त्यांच्या अनेक संस्कृती विकसीत झाल्या होत्या त्यामध्ये गोंडाची व भील्लांची संस्कृती फारच प्रसिद्ध होती. त्यांची स्वत:ची स्वतंत्र राज्यही होते.

भारतातील विविध विभागातील आदिवासी राजांना मोगलांचे आणि काही ठिकाणी स्थानिक सत्ताधिशांचे आव्हान झेलावे लागले. त्यामुळे त्यांच्या स्वामित्वाचा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पतन झाले. मुघलांनी आदिवासी राजांचे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये छळ केला. मुघलांनी छोटा नागपूर आणि इतर भागातील गोंड, मुंडा, भील, ओरॉन आणि हो या आदिवासी जमातींच्या लोकांचा छळ केला. त्यांना इस्लाम धर्म स्विकारण्याची जबरदस्ती करण्यात आली. ज्या जमातीच्या लोकांनी मुघलांना विरोध केला त्यांचा छळ करुन त्यांना अमानवी वागणूक देण्यात येवू लागली. आदिवासी गोंड राज्यकर्त्यांची गोंडवन प्रदेशावर दोनशे वर्षापासून सत्ता होती, चांदा व अन्य भागातील त्यांची सत्ता उतरणीला लागल्यामुळे त्यांना मुघल आणि मराठ्यांचा या दुहेरी हल्ल्याचा सामना करावा लागला त्यामुळे आठराव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत गोंड राजाची राजसत्ता संपुष्ठात आली. त्यामुळे आदिवासी जमातीचे मोठ्या प्रमाणात जबरदस्तीने धाक दाखवून इस्लामीकरण घडून आले.

आठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटीशांनी संपूर्ण भारतावर आपला कब्जा केला. वसाहतवादी धोरण राबवून संपूर्ण भारतावर आपली स्थिती मजबूत करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी आदिवासी क्षेत्रामध्ये घुसण्याचा जोरदार आणि गंभीर प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.

आपल्या पारंपारिक वस्तीस्थानावरचे कोणतेही अतिक्रमण आदिवासींना खपणारे नव्हते, त्यामुळे अशा प्रसंगी सशस्त्र उठावाशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे आदिवासीं जमातींनी इंग्रजांच्या विरोधात उठाव केला. त्यामुळे इंग्रजांना यातला निरर्थकपणा लक्षात आला म्हणून त्यांनी आदिवासी क्षेत्रांना अनियंत्रित क्षेत्रे म्हणून घोषीत केले आणि आदिवासींच्या पारंपारीक प्रशासन व्यवस्थेला मान्यता दिली. या माध्यमातून आदिवासींना मदतीचा हात दिला आणि त्यातून त्यांच्यावर प्रेमाने व आपूलकीने त्यांच्यामध्ये मावनतेचा संदेश देऊन धर्मप्रचारकांना आदिवासी क्षेत्रामध्ये आदिवासींचे ख्रिश्चन धर्मामध्ये धर्मांतर करुन आपल्या कारवाया वाढविण्याच्या उद्देशाने प्रोत्साहन दिले. काही ख्रिश्चन धर्मप्रसारकांनी आदिवासींसाठी शिक्षण व आरोग्याच्या क्षेत्रात सुधारणा घडवून आनण्यासाठी आदिवासी विभागामध्ये ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी शाळा व दवाखाण्याची सोय करून आदिवासी जमातींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य केले.

त्यानंतरच्या काळात आदिवासी जमातींच्या लोकांचे अज्ञान, अंधश्रद्धा, अशिक्षितपणा, भोळेपणा, लाजाळूपणा याचा गैरफायदा घेऊन आदिवासी विभागात काम करणारे कंत्राटदार, दलाल, जमीनदार, महसुली अधिकारी, वनरक्षक, पटवारी, पोलीस अधिकारी या आदिवासींची पिळवणूक करणाऱ्या लोकांचा नविन वर्ग उदयास आला आणि त्यांनी आदिवासी लोकांचे शोषण करुन त्यांची पारंपारिक, सामाजिक, सांस्कृतीक आणि आर्थिक व्यवस्था खिळखिळी करुन टाकली. काही लोकांनी त्यांचे शारीरिक, मानसिक छळ करुन त्यांचे लैंगीक शोषणही केले. त्यांच्या सुपीक जमिनी नविन स्थलांतरित लोकांनी बळकावून घेतल्या. अशा प्रकारे जंगलामध्ये स्वयंपूर्ण असणारे व आनंदी जीवन जगणारे आदिवासी या सभ्य लोकांकडून होणाऱ्या सततच्या पिळवणूकीमुळे, छळामूळे आणि शोषणामुळे अक्षरश: दुर्बल अवस्थेत जावून पोहचले आहेत. त्यामुळे त्यांना यातून बाहेर पडणे फार जिकरीचे होत आहे.

भारतीय समाजाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्याच्या उद्देशांने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेमध्ये लिखीत स्वरूपात अनेक प्रकारच्या विकासात्मक तरतुदी करून ठेवलेल्या आहेत. परंतु अजुनही ग्रामीण भागातील काही आदिवासी समूदायाला याची पुसटशी कल्पनादेखिल नाही. बाबासाहेबांनी सांगितलेला मुलमंत्र त्यांच्यापर्यंत पोहचलाच नाही. म्हणूनच आज अशी त्यांची दयनिय स्थिती आपणास दिसून येते. आज आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी घटनात्मक तरतुदीच सहाय्यक ठरत असल्याचे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे आदिवासींच्या जीवन विकासासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने लोकशाहीभिमुख शासन व प्रशासनही प्रयत्नशील असलेले दिसून येते. त्यामुळे आदिवासीच्या भौतिक व सामाजिक जीवनात बरेच बदल झाले असल्याचे दिसून येते.

भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून आदिवासी जमातीचे संरक्षण आणि विकासाकरीता घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी जमातीचा जलद गतीने विकास करण्यासाठी क्षेत्रनिहाय तसेच कुटुंबनिहाय विकासात्मक कार्यक्रम चालविण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात स्वतंत्र आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध विकासाच्या उपाययोजनांमुळे आदिवासींच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येत असून त्यामुळे त्यांच्या विकासाला चालना मिळत आहे. त्या माध्यमातून आदिवासी जमातीतील लोकांचे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, व्यवस्थेमध्ये सहभाग वाढत आहे. त्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये विकासात्मक दिशेने सामाजिक परिवर्तन होतांना दिसून येते. हळू हळू त्यांच्या समस्येचे निराकरण होवून ते इतर समाजाच्या संस्कृतीप्रमाणे आचरण करून आपल्या जमातीतील अनावश्यक प्रथा, परंपरा, चालीरितीमध्ये बदल घडवून आणत आहेत. अशाप्रकारे या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या सामाजिक संरचनेमध्ये परिवर्तन होतांना दिसून येते.

आदिवासी म्हणजे नागर संस्कृतीपासून खूप दूर व अलिप्तपणे राहुन निसर्गातील वनस्पती, कंदमुळे, फळे, पाने खाऊन स्वयंपूर्ण जीवन जगणारा समुदाय होय. निसर्गातील उत्पादन साधनावर त्यांची उपजिविका भागत असल्यामुळे तो इतर नागर समाजाशी त्यांचे कोणत्याच प्रकारचे संबंध निर्माण झाले नाहीत. त्यामुळे तो त्याच घनदाट अरण्यामध्ये आपल्या मुलभूत गरजा भागवून आनंदाने जीवन कंठीत होता. सबंध जगातील आदिवासी समुदायांचा निवास हा असा दुर्गम व घनदाट अरण्यात, डोंगराळ प्रदेशात असल्याचे दिसून येते. आदिवासी समूहाच्या संदर्भाने भारतीय स्मृतीकोशात म्हटले आहे की, 'आर्य व द्रविड हे भारतातील दोन मोठे मानव समाज सोडून, त्याच्याही पूर्वी भारतात राहणाऱ्या किंवा बाहेरच्या देशांतून येऊन व पर्वताच्या सानिध्यात स्थायिक झालेल्या जमातींना वन्यजमाती किंवा आदिवासी जमाती असे म्हणतात.

मानवी प्राण्यांची भ्रमंती अवस्था संपुष्ठात आल्यानंतर माणुस कोठे ना कोठेतरी स्थिर होऊ लागला. सतत प्रयत्नशील असणाऱ्या मानवाने उदरनिर्वाहाची विविध प्रकारची साधने शोधून काढली व निश्चित अशी साधने मिळाल्यानंतर त्यांच्या आयुष्याला स्थिरता लाभली. प्राचिन आद्यपाषाण युगापासून ते धातु युगापर्यंतच्या मानवाचा विकास हेच दर्शविते की, जगाच्या कोणत्या ना कोणत्या तरी भूभागावर मानव प्राणी आपले पाय रोवून स्थिरावू लागला. "काही जमातींनी निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या मोजक्या लोकवस्तीची खेडी पसंद केली तर काही जमातींनी सुधारलेल्या व उद्योगधंद्यांनी बहरुन गेलेल्या शहरांत वस्ती करण्यास पसंती दिली पण काही भूमीपुत्रांनी या सर्व लोकवस्तीपासून दूर व दुर्गम असलेल्या डोंगरकपाऱ्यात, नद्यानाल्यात, कडेकपारीवर, पर्वतरांगात, घनदाट जंगलात आपला मुक्काम ठोकला."[४] व त्याच जंगल परिसरात राहुन आपली उपजिविका भागवू लागले. धरतीची लेकरे म्हणून ज्यांचा सर्वार्थाने उल्लेख करता येईल, अशा प्रकारे आनंदी जीवन जगणाऱ्या आदिवासी समुदायाची दुनियाच फार निराळी आहे.

नैसर्गिक पर्यावरणाच्या सानिध्यात राहणाऱ्या, आपल्याच रुढी, प्रथा, परंपरा व संस्कृतीला पालीसारखे चिकटून राहणाऱ्या व फळाफुलांच्या व झाडपाल्यांच्या चविने समाधानी होणाऱ्या व वन्यप्राण्यांच्या सानिध्यात राहणाऱ्या आदिवासी जमातीच्या लोकांचे जीवन हे स्वछंदी पाखरासारखे असते. आदिवासी विषयी कोणाला सहानुभूती वाटते, कोणाला करुणा वाटते तर कोणाला त्यांच्याजवळ जायला भीती वाटते, तर काहींना त्यांच्याबद्दल तुच्छता वाटते, काहींना निसर्गाची भोळीभाबडी लेकरे वाटतात तर काही जनांना अंधश्रद्धेचे बळी वाटतात. एके काळी या समुहाला एक वेगळा व अलग समूह मानण्याची प्रवृत्ती होती. त्यामुळे ते विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून खूप दूर गेले होते. महाभारत, कौटील्याचे अर्थशास्त्र, रामायण अशा प्राचिन ग्रंथामधून या वन्य जमातीविषयीचा उल्लेख आढळून येतो. मात्र त्या जमातींचा अभ्यास करावा, त्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडून त्यांच्यामध्ये विकास घडवून आणावे असे कोणाला वाटल्याचे मध्ययुगीन कालखंडात दिसुन येत नाही.

भारतीय आदिवासींच्या अध्ययनाची सुरूवात खऱ्या अर्थाने भारतात ब्रिटीशांची सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर ब्रिटीश अधिकारी, ख्रिश्चन धर्मप्रसारक, अभ्यासक व संशोधकांनी केलेला आहे. त्यात

प्रामुख्याने रसेल, हिरालाल, स्टेफन फॅक्स, व्हॅरियर एल्व्हिन, फ्यूरर हेमनडार्फ, रिसले, लॅस्ली, शूबर्न, स्टेफन फॅक्स, रेव्ह. हिस्लॉप, रिचर्ड टेंपल व ग्रिगसन यांसारख्या पाश्चात्य अभ्यासक व संशोधकांनी या जमातींचा सर्वांगीन अभ्यास करुन ग्रथनिर्मिती करून ठेवली आहे. तसेच डॉ. बी. एच. मेहता, डॉ. इरावती कर्वे, सेतु माधवराव पगडी, डॉ. शामराव हिवाळे, डॉ. हिरालाल शुक्ल, पं. प्रयागदत्त शुक्ल, डॉ. भाऊ मांडवकर, डॉ. एस. आर. मुरकुटे, डॉ. भा. रा. अंधारे, डॉ. गोविंद गारे, रामभरोस अग्रवाल, केदारनाथ ठुसू, सुशीला सामद, जयपाल सिंह मुंडा, रघुनाथ मुर्मु, एलिस एक्का, रामदयाल मुंडा, निर्मला पुतुल, वंदना टेटे, गंगा सहाय मीना, रोज केरकट्टा, वाहरू सोनवने, उषाकिरण आत्राम, व्यकंटेश आत्राम, डॉ. विनायक तुमराम, बाबाराव मडावी, डॉ. शैलजा देवगावकर व इतरही बरेच काही भारतीय अभ्यासक व संशोधकांनी या जमातींचा सर्वांगीन अभ्यास करुन ग्रथनिर्मिती करून ठेवली आहे. त्यामुळे अनेक पत्रकार, सामाजीक कार्यकर्ते, अभ्यासक व संशोधक यांचे लक्ष भारतीय आदिवासींकडे गेले त्यांनी भारतातील आदिवासी जमातींचा शोध घेऊन त्यांच्या उत्थानासाठी कार्य करण्यास सुरुवात केली आहे.

आदिवासी समाज हा इतर सुधारलेल्या समाजाच्या तुलनेत निर्धन, निरक्षर असतील, त्यांचे राहणीमान मागासलेले व रानटी असेल परंतु ते असंस्कृत कधिच नव्हते आणि आज सुद्धा नाहीत. त्यांची आचार, विचार पद्धती व समाजव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, कुटुंबव्यवस्था खरोखरच वाखाणण्यासारखी आहे. त्यांची स्वत:ची अर्थपूर्ण अशी संस्कृती आहे. त्यांना स्वत:ची बोलीभाषा आहे. रितीरिवाज, दैवत, धर्मविधी, सण समारंभ, लोककला व साहित्यकलाही आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या नीतिनियमांचे व प्रथा परंपरांचे काटेकोरपणे पालन करणे हे त्यांच्या समाज सातत्याचे एक प्रमुख कारण आहे. हे सुद्धा अनुभवास येते. तेव्हा आदिवासी समाज हा 'अतिप्राचिन समाज किंवा अप्रगत व गौण समाज' म्हणून संबोधणे संयुक्तीक ठरणार नाही. अशा प्रकारे या आदिवासी समाजाला वेगवेगळ्या लोकांनी त्यांना मुळनिवासी ऐवजी वनात राहणारे वनवासी म्हणून हेटाळणी करण्याचे धोरण अवलंबविले आहे. त्यातुनच काही सुज्ञ जानकार आदिवासींनाही आपल्या स्थानांचे महत्व समजले व आपल्या जमातीच्या हक्काची व अधिकाराची जाणीव जागृत होवू लागल्यामुळे त्यांनी मुलनिवासींचे दावे करु लागले आहेत. इथुनच खऱ्या अर्थाने आदिवासी व गैरआदिवासींच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. कांही गैरआदिवासी लोकांनीही आदिवासींच्या सवलतींचा व आरक्षणाचा फायदा आजपर्यंत उचलत आल्याचे चित्र दिसून येते.

बहुसंख्य आदिवासी जमातीचे लोक अत्यंत दुर्गम, डोंगराळ भागात, अरण्यात, जंगलात, शहरापासून लांब राहतात. तरी पण उरदनिर्वाहाची भ्रांत असलेल्या या लोकांचे सामाजिक, सांस्कृतीक, आर्थिक जीवनमान परिपूर्ण आहे. रक्तसंबंधाना विशेष महत्व देणारे हे आदिवासी जमातीचे लोक सामूहिक जीवनात वैयक्तिक आकांक्षा ठेवत नाहीत. निसर्गाच्या सतत सहवासात राहून स्वछंदी व आनंदमय जीवन जगत असतांना अनेक चांगल्या वाईट घटनेच्या माध्यमातून अनुभव घेऊन प्रवाहासोबत पूढे जात आहेत. सतत प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करित असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक जीवनामध्ये सतत परिवर्तन होत आहे. कारण परिवर्तन हा सृष्टिचा नियम आहे. त्यामुळे या आदिवासी जमातीमध्ये झालेल्या सकारात्मक परिवर्तनासोबतच कांही प्रमाणात नकारात्मक परिवर्तनही होत असल्याचे दिसून येते.

निष्कर्ष :— आजच्या काळात आदिवासी जमातींच्या लोकांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. विकास योजनांच्या कार्यान्वीकरणामुळे अनेक आदिवासी समुदाय विस्थापित झाले आहेत. तसेच त्यांना पुनर्वसनासंबंधीच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांच्यासमोर अज्ञान, दारिद्रय, बेकारी, ऊपासमार, कुपोषण, निरक्षरता, कर्जबाजारीपणा, वेठबिगारी, भूमिहिनता व स्वास्थाविषयीच्या अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शासनाकडून आदिवासी जमातींच्या विकासाच्या नावाखाली अनेक योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी आदिवासी भागात अनेक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, संशोधक, समाजसुधारक, धर्मप्रचारक, ठेकेदार, व्यापारी, पोलीस कर्मचारी, वनकर्मचारी यांचा संचार वाढलेला आहे. त्यामूळे आदिवासी समाजाचे शोषण थांबण्याऐवजी वरचेवर वाढतच आहे. या जमातीला मुख्य प्रवाहात आनण्यासाठी शासकीय स्तरावरून अनेक विकासात्मक योजना आखल्या जातात. परंतू या योजनांची आखणी व आमलबजावणी करतांना या जमातींच्या समस्या त्यांच्याच नजरेतून समजण्याची प्रक्रीया होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होतांना दिसत नाही.

बदलत्या काळाचा परिणाम आदिवासी जमातीमध्येही कांही बदल घडविण्यास कारणीभूत ठरल्याचे दिसून येते. आजचा हा संगणकाचा व तंत्रज्ञानाचा काळ फार झपाट्याने बदलत आहे. या बदलत्या काळानूसार प्रत्येक समाजामध्ये काहीनाकाही बदल होत आहे. याला आदिवासी जमातही अपवाद नाही. जागतिकीकरणाच्या वेगवान लाटेमध्ये आपल्या रूढी, परंपरा, धर्म व संस्कृती लोप पावण्याचा धोका निर्माण होत आहे. तसेच या जमातीचा इतिहास, अस्तित्व व ओळख मिटवून टाकण्यास कांही गैर आदिवासी संस्था व संघटना सक्रीय झाल्या आहेत. तेव्हा या आदिवासी जमातीच्या लोकांना पावलोपावली अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अशा वातावरणात आपल्या जमातीच्या संघटना क्रियाशिल करून येणाऱ्या समस्यांचा निकराने सामना करणे व त्यात यशश्वी होणे हे या आदिवासी जमातीपूढील फार मोठे आव्हान आहे. तेव्हा ही पिढी जर वेळीच सावध झाली नाही तर स्वत: सकट आपल्या जमातीलाही खोल गर्तेत लोटल्याशिवाय राहणार नाही. असे विदारक चित्र येणाऱ्या काळात दिसून येते.

संदर्भ सुची :—

१. गारे, गोविंद (२०००) 'बदलाच्या उंबरठ्यावर कोकणा आदिवासी', श्री विद्या प्रकाशन, पुणे, पृ. क्र. १ व २.

२. गायकवाड, दिपक. (२००५) 'आदिवासी चळवळ स्वरुप व दिशा', सुगावा प्रकाशन, पुणे, पृ. क्र. ८.

३. गायकवाड दिपक (२००५) 'आदिवासी चळवळ स्वरुप व दिशा', सुगावा प्रकाशन, पुणे, पृ. क्र. ९.

४. नाडगोंडे, गुरुनाथ. (२००३). 'भारतीय आदिवासी', कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, पृ. क्र. ०१.

“रोजगार की खोज में स्थानांतरित हुए ग्रामीण लोगों के समस्याओ का समाजशास्त्रीय अधययन”

मनोहर भी. येरकलवार
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस.
कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर
ई. मेल – yerkalwarpws@gmail-com

प्रस्तावना :–

भारत एक प्राचीन कृषि प्रधान देश है, आजादी के ७२ सालों के बाद भी भारत के ज्यादातर लोग ग्रामीण भागो में ही निवास करते है। गाँव के विकास हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश गाँव का आर्थिक, सामाजिक एवं ढांचागत विकास करना है, ताकि गाँवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। आज भारत देश में बहुत सारी योजनाओं के कार्यान्वियन के बाद भी गाँव बहुत ही पिछड़े हैं। भारत की ६२ प्रतिशत जनसंख्या कृषि और कृषि के आधारभूत कार्यों से अपना जीवन यापन करते हैं। अपने देश में खेती का स्वरूप मौसम के हिसाब से चलता है। इसलिए साल के चार या छह महीने ही खेती में काम होता है। बाकी के छह महीने कोई काम नहीं होता और दूसरी बात यह है कि, आज खेती में अनेक प्रकार के औद्योगिक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। जिसके माध्यम से ग्रामीण भागों में बेरोजगारी का प्रमाण प्रतिदिन बढ़ रही है। एक तरफ से भारत में दिन–ब–दिन जनसंख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ से हर जगह पर यंत्रों के द्वारा काम किया जा रहा है। आदमी की जगहों पर यंत्रों ने जगह ले ली है। जिसके माध्यम से ग्रामीण किसानों को अपने खेती में काम करने के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह से ग्रामीण भाग में दिन–ब–दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के माध्यम से ग्रामीण किसानों ने रोजगार पाने के लिए गाँव के पास के शहरों में जाकर रोजगार की खोज में इधर–उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के माध्यम से भारत का किसान कृषि कार्यों के पश्चात बेरोजगारी का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कारण से ग्रामीण लोग गरीबी, निर्धनता, बेकारी और आत्महत्या की ओर अग्रेसर होते हुए दिखाई दे रहे है।

आधुनिक औद्योगिकरन का आधार जिससे कुछ लोगों की खुशहाली होती है, इसके लिए उन्होंने आधुनिकता की ओर ले जाना चाहिए। सरकार को पिछड़े और कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि सदैव ही इनका ही शोषण हुआ है। देश में ग्रामीणों की ओर देखने से गरीबी का असली स्वरूप पता चलता है। ग्रामीणों के गरीबी की खस्ताहाल गाड़ी जहाँ की तहाँ खड़ी है। अभी केवल मुरझाई चमड़ी वाले लोगों में ही गरीबी झलकती है। करोड़ों युवा बच्चे, महिलायें रोजगार प्राप्त करने की आशा में दर–दर भटकते हूए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर देश में जमाखोरी, मुनाफाखोरी, तस्करी, मिलावट करने वाले बड़े–बडे औद्योगिक घरानों के निवासियों में बिना चरमसीमा करती है। भारत

जैसे लोककल्याणकारी देश में आर्थिक नियोजन, लोकतांत्रिक समाजवाद, सहकारिता, समाजीकरण और सार्वजनिक स्वामित्व तथा नियंत्रण की नीतियों के अनुसरण के बावजूद भी यहाँ पर आर्थिक विषमता बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। कम उत्पादन तथा न्यूनतम आय के कारण गरीबी की दयनीयता अधिक बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे में न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली तथा व्यवस्था भी निरर्थक साबित होती हुई दिखाई देती है। आज के समय में बेरोजगारी कस्बा, गाँव, शहर, नगर, महानगर सभी जगह की मुख्य समस्या बन गई है। शहरों में बेरोजगारी के कारण अपराध का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। वहाँ गाँव और कस्बों में पलायन की समस्या उभरकर सामने आ रही है। “यह भी अनुमान है कि १९७२ से पांच खरब टन ऊपरी मिट्टी का नुकसान हुआ है। एवं पांच लाख हेक्टर भूमि प्रतिवर्ष बंजर हो रही है।”[१] यदि इस तरह से हर साल भूमि का नुकसान बने रहे तो, बढ़ती हुई आबादी को अनाज की उपलब्धता कम होगी। और देश में बेकारी, बेरोजगारी, कुपोषण, महामारी हर दिन बढ़ती ही जाएगी। ग्रामीण लोगों का पलायन रोकने हेतु ग्रामीण लोगों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया है। इसके तहत हर गरीब ग्रामीण परिवार को हर वर्ष में कम से कम १०० दिन का रोजगार प्रदान करने की योजना बनाई है। जिसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर मिले और उनका स्थलांतर कम हो सके। फिर भी इस योजना का सही तरह से अमल नहीं होने के कारण और ग्रामीण लोगों को शहर के सुविधाओं का आकर्षण होने के कारण उनका शहर के तरफ पलायन होने का प्रमाण दिन–ब–दिन बढ़ता ही जा रहा है।

भारत के ग्रामीण लोगों के गरीबी के अनेक कारण है। जिसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी है। “ग्रामीण कृषी क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी का सामूहिक स्वरूप पाया जाता है।”[२] सबसे ज्यादा अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। क्योंकि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव दिखाई देती है। संयुक्त कुटुंब प्रणाली के कारण एक ही जमीन पर बहुत से श्रमिक एक साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वे अदृश्य रूप से बेकार रहते हैं। क्योंकि उनके द्वारा खेती के संपूर्ण उत्पादन प्रणाली में कोई वृद्धि नहीं होती। बल्कि वे अनउत्पादक होते हैं। इसलिए उनकी सीमांत उत्पादकता नगण्य होती रहती है। अंत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश ग्रामीण लोग बेरोजगार पाए जाते हैं। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी एवं उर्ध्वबेरोजगारी भी बड़े पैमाने पर पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के भूमि उपयोग में परिवर्तन एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही कृषि संबंधी कार्यों तथा लघु स्तर के घरेलू कुटीर उद्योगों के बड़े पैमाने पर विकास को अपरिहार्य बतलाया गया है। क्योंकि सरकार इस क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने में असमर्थ हुई है।

वर्तमान समय में ग्रामीण समुदाय में विभिन्न कारणों से सामाजिक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा हैं। इस परिवर्तन के साथ–साथ बहुत सारे सामाजिक समस्याएं भी निर्माण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते बेरोजगारी, अलगाव, किसानों की आत्महत्या, अपराधों की समस्या, पारिवारिक हिंसा इस तरह से कही सारी समस्याएं निर्माण हो रहे हैं। देश में शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में कुल उपभोक्ता व्यय की संरचना में हो रहा परिवर्तन एंजिल के नियम के

अनुकुल ही है। एंजिल के प्रसिद्ध नियम के अनुसार आय में वृद्धि के साथ–साथ कुल उपभोग व्यय में भोजन पर किये जाने वाले व्यय का प्रतिशत घटता है। उपरोक्त कारणों से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं खाद्यान्न वस्तुओं की उपभोग मात्रा का प्रतिशत पहले से कम हुआ है। वास्तव में आज ग्रामीण जीवन की तस्वीर बदल रही है। दूरसंचार सेवाओं का भी विकास हो रहा है, मोबाइल, इंटरनेट सेवाओं का उपयोग भी ग्रामीण जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है।

आधुनिकीकरण से ग्रमीण जीवन की उपभोग प्रवृत्ति में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। हीरो–होण्डा बाइक के सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिवर्ष उनके उपभोक्ताओं में ग्रामीणों की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीण रहन–सहन एवं जीवनस्तर में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज गाँवो में बैकिंग सुविधाओं का भी तेजी से विकास हो रहा है। ग्रामीण लोग ई–बैकिंग एवं ए.टी.एम. जैसी सुविधाओं का भी उपभोग करने लगे हैं। अतः सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, क्षमता निर्माण आदि प्रक्रियाओं पर जोर देना होगा। जिससे उनके जीवनस्तर, रहन–सहन, खान–पान में सुधार हो सके और देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

ग्रामीणों की बदलती उपभोग प्रवृत्ति में सरकार की नितियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। गाँव के अधिकांष लोग अपनी आजीविका कृषी से अर्जित करते हैं। चूंकि हर परिवार के पास उपलब्ध भूमि का स्वरूप स्थिर रहा है और उसके सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्दी होती जा रही है। जिनसे उसकी उपभोग प्रवृत्ति में बदलाव आ रही है, लेकिन उतनी ही भूमि से सभी लोगों का भरण–पोषन कर पाना एक मुश्किल काम है। सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए नई कृषी तकनीकों के प्रयोग द्वारा उसी भूमि से उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के साथ–साथ गाँवो के भीतर या समीप में रोजगार और जीविकोपार्जन के अन्य अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके और उन्हे वित्तीय सहायता के द्वारा स्वंय का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे ग्रामीण लोंगों के आय स्तर में वृद्दी हो रही है। उनके आय के साथ उनके आवश्कताओं के स्तर भी बढ़ रहे है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

प्रत्येक वैज्ञानिक शोध के मूल में कोई न कोई उद्देश अवश्य होता है। किसी भी चीज को जानने की इच्छा ही अध्ययनकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में आमंत्रित करता है। सामाजिक शोध सामाजिक वास्तविकता से सम्बन्धित है। अतः इसका उद्देश सामाजिक वास्तविकता को यथा सम्भव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप में समझना है। इसका उद्देश केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। अपितु ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिये प्रयोग में लाना है। किसी भी अनुसंधान का मौलिक उद्देश ज्ञान में वृद्धि करना होता है। सामाजिक अनुसंधान में उद्देश्य को लेकर अनुसंधान किया जाता है। उद्देश के आधार पर अनुसंधान पद्धति का चयन किया जाता है। रोजगार की खोज में स्थानांतरित हुए ग्रामीण लोगों के समस्याओ का समाजशास्त्रीय अधययन इस अनुसंधान विषय के लिए निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये थे।

१. रोजगार की खोज में स्थानांतरीत हुए ग्रामीण लोगों के आर्थिक जीवन का अध्ययन करना।

२. इनकी शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।

३. इनके स्थलांतर के कारणों का पता लगाना।

उपकल्पना (परिकल्पना) :—

शोध कार्य हेतु उपकल्पना एवं परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अत्यंत सामान्य परिकल्पना की स्थिति में यथार्थ निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु यह विषय के किसी विशेष पहलू से संबंधित हो, साथ ही उसमें विशिष्टता का गुण ना हो तो उसके सत्यता की जांच करना कठिन होगा। उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। उपकल्पना दो अथवा दो से अधिक चरों के बीच अनुभवमुलक संबंध का अनुमानित विवरण है। गुडे ओर हैंड के अनुसार 'उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि, हम आगे क्या देखना चाहते हैं? एक उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक प्रस्तावना है, जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु उस का परीक्षण किया जा सकता है। यह सही भी सिद्ध हो सकता है और गलत भी। इस अनुसंधान विषय के उपकल्पना यह थे।

१. खेती में नापिकी के कारण ग्रामीण लोगों का आर्थिक जीवन कठीन होते जा रहा है।

२. शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव से ग्रामीण लोगों में निरक्षरता का प्रमाण दिखाई देता है।

३. रोजगार के अभाव के कारण ग्रामीण लोग शहरो में रोजगार की खोज में स्थानांतरीत होते हैं।

रोजगार की खोज में स्थानांतरित हुए ग्रामीण लोगों के समस्याए :—

भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था ग्राम प्रधान थी। भारतीय ग्राम आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे। तब उनकी आवश्यकताएं सीमित थे। ग्राम शहरों से अलग थे। लोगों का व्यवसाय उनके योग्यता के आधार पर थे। आर्थिक क्षेत्र में वस्तु विनिमय की प्रथा का प्रचलन था और परिवहन के साधन भी सीमित थे। इसलिए गाँव में खुशहाली रहती थी। यातायात एवं संदेशवहन के साधनों का भी अभाव था। इसलिए ग्रामीणों का शहरों से संपर्क बिल्कुल भी नहीं के बराबर था। इसी प्रथकता के कारण भारतीय गाँव पर शहरी प्रभाव नहीं पड़ता था। ग्रामीण जीवन सामूहिक जीवन था। ग्रामीण समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य निश्चित थे। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामाजिक हित को प्रथम प्राथमिकता मिलती थी। समाज में निजी स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं था। सामाजिक नियमों और परंपराओं का पालन करना सबके लिए बंधनकारक था। नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध था। ऐसे खुशहाल भारतीय ग्रामीण समाज में विदेशी आक्रमण से धिरे—धिरे बदलाव होते गए। "अंग्रेजों द्वारा स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारंभ करने पर देश में जमीनदारी प्रथा का धीरे—धीरे विकास होने लगा। इसके साथ ही देश में एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया, जो अंग्रेजों के सेवक थे अंग्रेजो का हित चाहते थे। उन्होंने अपने ही देश के कृषकों की तनिक भी चिंता न करते हुए, छोटे किसानों का शोषण करना प्रारंभ किया। इनके अत्याचारों से उत्पीड़ित भारतीय किसान कृषि सुधार में रुचि नहीं ले सके। जिससे कृषि विकास थम गया। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था अपने ही देशवासियों का भरण पोषण करने हेतु और सहायक प्रतिक हुई। इस तरह से कृषि की बिगड़ती हुई व्यवस्था के कारण लोग कृषि से हट कर अन्य छोटे—छोटे उद्योग धंधों में रुचि लेने लगे।"[३]

इससे धीरे–धीरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। गाँव के व्यावसाय धिरे–धिरे बंद होते गए। इसलिए गाँव में बेकारी बढ़ने लगी और ग्रामीण लोगों का शहरों के तरफ रोजगार की खोज में स्थानांतरण होना प्रारंभ हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के महत्वपूर्ण घटक के रूप में महत्त्व दिया जा रहा है। क्योंकि औद्योगिक मंदी, आर्थिक अस्थिरता, पूंजी बाजार की अनियमितता, बेरोजगारी, उदारीकरण के खतरों का सामना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ही करना पड़ रहा है। योजना आयोग के गठन के बाद ७० सालों में भारत सरकार द्वारा गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए करोड़ों रुपए व्यय करने के बाद भी देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। भारत सरकार द्वारा आज तक ग्रामीण जनता के लिए आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, दवाइयां, रोजगार, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा आदि की उपलब्धता कराने में पूर्णता असफल रही है। इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा विभिन्न तरह के प्रयास किये जा रहे है। फिर भी देश की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, इसलिए भारत में यह बेरोजगारी की स्थिति दिखाई दे रही है।

“१९०१ में ग्रामीण जनसंख्या ८९.२ प्रतिशत थी तो २०१६ में वह कम होकर ६६.८६ प्रतिशत हो गई है।”[४] पिछले एक शतक में २२.३४ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण से शहरों की ओर स्थलांतरित हो चुकी है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह पता चलता है कि, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रमाण दिन–ब–दिन कम होते हुए दिखाई देता है। और नगरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर ज्यादा होते हुए भी ग्रामीण जनसंख्या कम हो रही है। और शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। शहरों में तीव्र आवास की कमी है। बढ़ती आबादी की मांग को पूरा करने में शहर की परिवहन प्रणाली असमर्थ है। वायु और ध्वनि प्रदूषण हैं, और अपराध और भीड़ में वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि, ग्रामीण भागों से लाखों की संख्या में शहरों की तरफ रोजगार, शिक्षा, नौकरी और अन्य सुविधाओं के कारण स्थलांतरित हो रहे हैं। इन स्थानांतरित लोगों को शहरों में आने के बाद कैसा महसूस होता है? उनकी कौन–कौन सी समस्याएं हैं? उन सारी समस्याओं का वह किस तरह से निपटारा करते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए इस अनुसंधान के माध्यम से तथ्यों का संकलन करके उनकी पूरी जानकारी ली गई है। उनके समस्याओं का निपटारा किस तरह से किया जा सकता है? इसके लिए सरकार द्वारा कौन से प्रयास किया जा रहे है? और कौन से प्रयास किया जाना चाहिए? इसके लिए भी सुझाव दिए दिए गए हैं।

स्थलांतर एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा निर्णय किया जाता है। जन्मदर और मृत्युदर में होनेवाले परिवर्तन बड़े पैमाने पर जनसंख्या के आकार और संरचना को प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि स्थलांतर, किसी भी समय, जनसंख्या के आकार और संरचना में बड़े पैमाने पर परिवर्तन का कारण बन सकता है। जन्म दर और मृत्यु दर की तुलना में, स्थलांतर जनसंख्या के आकार को अलग तरह से प्रभावित करती है। स्थलांतर एक जैविक घटना नहीं है, जैसे जन्मदर और मृत्युदर, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है। स्थलांतर यह एक

निवास स्थान को बदलने और स्थायी रूप से एक क्षेत्र या देश में रहने की प्रक्रिया है। संयुक्त राष्ट्र के जनसांख्यिकी शब्दकोश के अनुसार, "स्थलांतर एक ऐसी घटना है जिसमें लोग एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में चले जाते हैं। जब लोग अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने चले जाते हैं, तो इसे स्थलांतर कहा जाता है।" इसके अलावा, स्थलांतर देश में आबादी के वितरण और श्रम की आपूर्ति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थलांतर सामाजिक परिवर्तनों के रुझान को दर्शाता है। औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लोग खेतों से उद्योगों की ओर, गाँवों से शहरों की ओर, एक शहर से दूसरे शहर की और एक देश से दूसरे देश में पलायन करते हैं। भारत का ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समस्याओं से ग्रस्त है। यह गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण सुरक्षा, भ्रष्टाचार, जातिवाद, रूढ़िवादिता, यातायात, संचार, आधारभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, सिंचाई, स्वच्छ पेयजल की कमी तथा अन्य अनेक प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से जूझ रहा है।

ग्रामीण लोगों की गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा, बेरोजगारी, इस से ग्रामीणों को बचाकर विकास की ओर ले जाने के लिए पूर्ण रोजगार एवं अधिक आय के साधन ग्रामीण भागों में उपलब्ध कराए जा सकते हैं। भारत गाँवों का देश है। दिन ब दिन गाँव उजड़ते जा रहे हैं। कल की गाँव में दूध की गंगा बहती थी। आज के दिन में अभावग्रस्त हो गए हैं। कई दृष्टियों से नगरों की आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था में जो सामाजिक असंतुलन दिखाई दे रहा है। वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के असंतुलन के कारण है। इसको कम करने के लिए ग्रामीण विकास की सक्त जरुरत है। स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण विकास में नियोजकों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। विकास के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि, विकास के ८० प्रतिशत साधन तो भारत के अन्य भागों में लगाया गया है। जहाँ पर कुल जनसंख्या का २५ प्रतिशत भाग निवास करता है। जहाँ पर देश का २५ प्रतिशत आबादी है वहाँ पर विकास को प्रतिमान नहीं है। वहाँ सिर्फ बेकारी की फौज ही दिखाई देती है। ग्रामीण समाज के लोगों को उनकी आमदनी सें उनके पूरे परिवार का सही तरह से भरण पोषण नही हो पाता है। उनके परिवारो में छूपी बेरोजगारी का प्रमाण ज्यादा होने से उनके सालभर की कमाई से उनकी प्राथमिक सुविधाएँ पूरी नही हो पाती है। इसी के आधार पर आज भी ग्रामीण भागों का आर्थिक विकास बहुत ही निचले दर्जे का होता हुआ दिखाई देता है।

निष्कर्ष :—

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से रोजगार की खोज में स्थानांतरित हुए श्रमिक, कृषक एवं अन्य निर्धन परिवारों का आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। सरकार द्वारा कृषि, शिक्षा, बिजली, जल, चिकित्सा, लघु एवं कुटीर उद्योगों, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में गाँवों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ताकि गाँव आत्मनिर्भर हो सके। वर्तमान में ग्रामीण समाज की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है और वे दासता व गरीबी

का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा उनकी स्थिति में सुधार के लिये अनेक योजनाऐं कार्यरत हैं। लेकिन योजनाओ की सही जानकारी न होने के कारण, वे इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ग्रामीण जनता के बेरोजगारी एवं स्थलांतरण को रोकने के लिए केंद्रीय नियोजन के दोषों को दूर करना होगा और विकेंद्रीकरण के द्वारा आर्थिक विकास के लाभ प्रत्येक ग्रामवासियों तक पहुंचाना होगा। जब तक सरकार के आर्थिक कार्यक्रम व नीतियों का संचालन व नियमन ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाएं नहीं करती, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी स्थानांतरण एवं उनके आय में, रोजगार में वृद्धि नहीं हो सकती। भू–सुधार कार्यक्रमों को सही रूप में ईमानदारी के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मात्र कानून एवं सरकारी अधिनियम इस उद्देश्य पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया जाना चाहिए कि, इन सारी नियमों का उल्लंघन ना हो और जानबूझकर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को उचित दंड दिया जाए।

संदर्भ :–

१. यतींद्रसिंह, सिसोदिया (२०११), 'ग्रामीण विकास सिद्धांत नीतियां एवं प्रबंधन', रावत पब्लिकेशन, दिल्ली. पृष्ठ क्र. १६६.

२. यादव, धर्मेंद्रसिंह.(२००६),'पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास', रावत पब्लिकेशन, जयपुर. पृष्ठ क्र. २१.

३. माथुर, बि.एल. (२००९), 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, जयपुर. पृष्ठ क्र. ३.

४. आगलावे, प्रदिप.(२०१८), 'भारतीय समाज संरचनात्मक प्रश्न आणि सामाजिक समस्या', श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, पृष्ठ क्र. १०२.

आधुनिक युग में बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता

डॉ. मनोहर भी. येरकलवार
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग
डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय,
नागपूर
Email : yerkalwarpws@gmail-com

प्राचीन भारत एवं मध्य एशिया में बौद्ध काल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है । इसके बाद का काल अंधकारमय एवं विभिन्न सामाजिक समस्याओं से घिरा हुआ साबित होता है । विश्व में तमाम धर्म है मगर सभी मानव को मानवता की दृष्टि से देखने वाला एकमात्र बौद्ध धर्म ही है । आज के इस दौर में आधुनिक युग की बढ़ती हुई परिस्थिति को संवरने के लिए बौद्ध धर्म की नितांत आवश्यकता महसूस होती है । आज के युग में समाज व्यवस्था बहुत ही छिन्न दृ विछिन्न हो चुकी है । इस बिकी हुई समाज व्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए बौद्ध धर्म की नितांत आवश्यकता महसूस होती है । आज के इस वैश्वीकरण के दौर में व्यक्ति – व्यक्ति से दूर जाता हुआ दिखाई देता है । व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है । वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है । अपने नैतिक मूल्य और अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व को भूल गया है । मैत्री, बंधुता, एकता की भावना भी खो गया है । ऐसी स्थिति में व्यक्ति का नैतिक विकास करने के लिए गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया धम्म मार्ग ही लाभकारी रहेगा । बुद्ध के अनुसार जो धर्म प्रज्ञा की वृद्धि करें, अर्थात जो धर्म सबके लिए ज्ञान के द्वार खोल दें, जो धर्म यह बताएं कि, केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है । जो धर्म यह बताएं कि आवश्यकता प्रज्ञा प्राप्त करने की है । आज के इस वैज्ञानिक युग में मानवीय समाज के विकास हेतु प्रत्यक्ष ज्ञान और नैतिकता का होना बहुत आवश्यक है । तब जाकर समाज में मानवता प्रतिपादित होगा ।

भूमंडलीकरण के बढ़ते हुए इस प्रभाव से मानवीय मूल्य और अस्तित्व का रत होता जा रहा है । इस तरह से मानव के जीवन में विभिन्न तरह की समस्याएं निर्माण हो रहे हैं । मानव खुद को अच्छा समझने के दौर में सब कुछ भूल जा रहा है । बुद्ध धम्म की विचारधारा यही कहती है कि, कुछ मानने से अच्छा जानना बहुत जरूरी होता है । विश्व के अन्य मतवाले मानने पर ज्यादा जोर देते हैं । बुद्ध ने हर बात की चिकित्सा और तर्क करने को कहा है । अंत आज के इस वैज्ञानिक युग में बुद्ध धम्म के अलावा विश्व को कोई दूसरा विकल्प नहीं है । जिसने बुद्ध के धर्म को जाना, माना एवं जिसने अपने व्यवहार में बुद्ध धम्म को अपनाया और जीवन में उतारा है निश्चित ही उसकी प्रगति होती है । क्योंकि बुद्ध का ज्ञान प्रज्ञा, शील, समाधि, करुणा पर आधारित है । भगवान बुद्ध के अनुसार जो धर्म मैत्री की वृद्धि करें अर्थात जो धर्म यह बताएं कि प्रज्ञा भी पर्याप्त नहीं है । इसके साथ सील भी अनिवार्य है । जो धर्म यह बताएं कि प्रज्ञा एवं शील के साथ–साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है । जो धर्म यह बताएं कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता होती है । शील, सदाचार, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, चरित्रवान होना, व्यसन मुक्त होना, दूसरों का भला सोचना, दूसरों का मंगल करना, हमसे किसी को भी हानि न पहुंचे तथा करुणा, प्रेम, दया इस गुणों से संपन्न होना चाहिए । यदि हम शील का पालन करें तो हमारा चरित्र विकसित होगा । नैतिकता एवं चरित्र एक दूसरे से संबंधित होते है । बुद्ध के अनुसार जब वह सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को मिटा दे अर्थात जब वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच की सभी दीवारों को बुझा दे तब

जाकर आदमी का मूल्यांकन किए तो उसका मूल्यांकन जन्म से नहीं कर्म से साबित होता है । जब वह व्यक्ति – व्यक्ति के बीच समानता के भाव की वृद्धि करें ।

नत्थि रागसमो अग्नि नत्थि दोससमो गहो ।
नत्थि मोहसमं जालं नत्थि तन्हासमा नदी ।।

आसक्ति जैसा अग्नि नहीं, द्वेष जैसा ग्रह नहीं, मोह जैसा जाल नहीं, तृष्णा जैसी नदी नहीं । इस धम्मपद के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में आसक्ति द्वेष, मोह, तृष्णा नहीं होनी चाहिए । अगर यह सब व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता । इसलिए आज के इस वैज्ञानिक तकनीकी काल में इन सारी चीजों से दूर रहना ही व्यक्ति के जीवन का आधार है ।

आज विश्व में आतंकवाद, दहशतवाद, नक्सलवाद जैसी हिंसा प्रधान विचारधाराओं ने व्यक्ति के जीवन को घेर रखा है । इसका भी कारण बुद्ध के विचारों की अनदेखी करना है । यह हमें नहीं भूलना चाहिए विश्व में लाखों लोगों की मौत का कारण यह हिंसावादी विचारधारा है । लाखों लोग इस हिंसा के कारण बेघर हो चुके हैं । और हजारों करोड़ों की संपत्ति की हानि इसी हिंसावादी विचारों से हुई है । इसी कारण आज विश्व को युद्ध की नहीं तो बुद्ध के विचारों की आवश्यकता है । हमें ध्यान में रखना होगा बुद्ध के नैतिक विचार ही मानव के मन व विचारों को योग्य दिशा दिलाने में समर्थ रहेगा । विश्व में होने वाली हिंसा, अशांति और सोहार्द के अभावो के कारणों की विचार करें तो इसका मूल कारण हमें पता चलेगा कि संपूर्ण विश्व के समस्त जीवन में निर्माण हो रहा नैतिक अध:पतन यही है । इसी कारण मानवतावादी विचारों का रत होता जा रहा है । आज के विश्व ने अपने बारे में ही सोचने वाला वर्ग तैयार हो चुका है । यह सामाजिक वर्ग दूसरों के प्रति अनुदार है । इस वर्ग के द्वारा विकास की कल्पना करना बिल्कुल ही संभव नहीं है ।"बाबासाहेब आंबेडकर ने भगवान बुद्ध को सामाजिक क्रांति कहते हैं । यह क्रांति फ्रेंच राज्यक्रांती जैसी नहीं थी, मगर इस धम्म के माध्यम से उस समय के जाती और वर्ण व्यवस्था पर बड़ा असर हुआ था ।"ह्य इस व्यवस्था ने समाज में नई चेतना और जागृति निर्माण की थी । इस धम्म ने समाज में समता, न्याय, स्वतंत्रता प्रदान की थी । इस तरह से बुद्ध के विचारों से तत्कालीन समाज का सर्वांगीण विकास हुआ था । तत्कालीन व्यवस्था की चर्चा विश्व के कोने–कोने में पहुंच चुकी थी । भगवान बुद्ध धम्म के विचारधारा से विश्व में शांति स्थापन हुआ था । इस तरह से आज के इस अशांत विश्व को शांत करने के लिए तथागत भगवान बुद्ध के धम्म के अलावा और कोई धर्म में यह ताकत नहीं है । फिर एक बार विश्व में शांति लाने के लिए बुद्ध धम्म की नितांत आवश्यकता साबित होती है ।

वर्तमान युग भले ही मनुष्य जीवन को भौतिक दृष्टि से सुखी एवं संपन्न बनाने में जुटा हुआ है । पर बुद्ध को भूल जाना संभव नहीं होगा । आज भी उन्हें मार्गदर्शक के रुप में संसार के सभी देशों में माना जाता है । बुद्ध के मानवतावादी विचारों को गहनता से पढ़ा जाता है । बुद्ध के विचारों में मनुष्य तथा समाज के उत्थान की बात सन्निहित है । उन्होंने मानवीय संसाधनों को सही तरह से उपयोग करने पर बल दिया है, ताकि आदमी स्वयं के प्रयासों से बहुमुखी विकास करने में सक्षम बन सके । बुद्ध ने सदा मानव जीवन का कल्याण कैसा हो, इंसान सुखी और प्रसन्न कैसा हो, समाज में समानता, भाईचारा, प्रेम, शांति और खुशहाली कैसे रहे, इस विषय में चिंतन किया है । वह मानते थे कि जब तक व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा, तब तक समाज, देश या विश्व प्रसन्न नहीं हो सकता । क्योंकि समाज व्यक्ति से ही बनता है । इसीलिए भगवान बुद्ध ने व्यक्ति को अपनी शिक्षाओं का मुख्य केंद्रबिंदु माना है ।

तकनीकी ज्ञान में हुए बदलाव से विश्व में परिवर्तन हो रहा है । इस भौगोलिक, सांस्कृतिक, परिवर्तन के माध्यम से शिक्षित वर्ग अपने आप में परिवर्तन लाने की क्षमता को बढ़ाने की ताकत रखते हैं

। लेकिन जो आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है जिसमें ज्ञान लालसा का अभाव है, जो समाज व्याप्त समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें अनुकूल परिस्थितियां निर्माण करने की ताकत नहीं है, ऐसे लोगों के हितों में तकनीकी और वैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण कटुता आ रही है ।"बौद्ध धम्म मानव समानता, उदारता, सहनशीलता व स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित था । फलत: सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक जीवन को लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों पर आधारित करने की कोशिश की गई थी । "इस तरह से उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के माध्यम से मानवीय समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के समस्यायें निर्माण हुए । इस तरह से वह समाज विभिन्न प्रकार के जातिवाचक समस्याओं से ग्रसित था । उस समाज की समस्याओं का निर्मूलन करने का कार्य भगवान बुद्ध ने अपने बुद्ध धम्म के द्वारा किया है । जब तक हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा तब तक सच सामने नहीं आएगा एवं आधुनिक युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु सकल ज्ञान आवश्यक होता है । नैतिकता ही बुद्ध धम्म है । बुद्ध धम्म यह जन–जन का धर्म है । संसार के सभी धर्मों में मनुष्य के आचरण के लिए नियम है । बुद्ध ने मनुष्य के अच्छे आचरण के लिए चार आर्यसत्य, आठ अष्टांग मार्ग और पंचशील बताए हैं । बुद्ध धम्म नैतिक प्रणाली है । नैतिकता ही धर्म है और इसलिए बौद्ध धम्म यह अन्य धर्मों से अलग है । अन्य धर्मों में और बौद्ध धर्मों में मूलभूत तफावत यह है कि, अन्य धर्मों में ईश्वर को महत्वपूर्ण स्थान है । लेकिन बुद्ध धर्म में ईश्वर को स्थान नहीं है । बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है । बुद्ध के धम्म का केंद्र आदमी है । गौतम बुद्ध ने मानव के कर्मों को नैतिक संस्थान का आधार माना है और सभी संस्कार को अनित्य बताया है । भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म यानी धर्म वही है जो सबके लिए ज्ञान के द्वार खोल दें, और उन्होंने यह भी बताया कि केवल विद्वान होना ही पर्याप्त नहीं है । 'विद्वान वही है जो आपने की ज्ञान की रोशनी से सब को रोशन करें' धर्म के लोगों की जिंदगी से जोड़ते हुए बुद्ध ने बताया कि, करुना, शील और मैत्री अनिवार्य है ।

सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए भी बुद्ध ने प्रयास करते हुए बताएं कि, लोगों का मूल्यांकन जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर होना चाहिए । बुद्ध धम्म का एक महत्वपूर्ण वैशीष्ट यानि बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व को नाकारा है । अन्य धर्मों में आत्मा का अस्तित्व को मान्य किया है, और आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होती है ऐसे ही बोला गया है । लेकिन यह दोनों बातों को बुद्ध ने नाकारा है । बुद्ध धर्म विज्ञाननिष्ठ है । उसमें अंधश्रद्धा और अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं है । बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है । इस पृथ्वी पर रहते हुए आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसकी पहचान है बौद्ध धर्म । बौद्ध धर्म सारे मानव जाति के कल्याण के लिए है । वर्तमान विश्व को सुख, शांति चाहिए तो बुद्ध को अपनाना ही पड़ेगा । संपूर्ण विश्व में चारों और अशांति फैली हुई है । इस अशांति में मानवीय समाज बेचौन हो रहा है । विश्व में सब तरह से आतंकवाद, नक्सलवाद, अराजकता फैल रही है । वैसे समाज को इससे बचने के लिए भगवान बुद्ध का तत्वज्ञान अपनाना पड़ेगा । जैसे विश्व के कुछ देशों ने भगवान बुद्ध के तत्व ज्ञान को अपनाए हैं और खुद को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयासरत है । विश्व के जिन देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया वही देश आज विकास में अग्रसर है और वही देशों द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहा है । इस तरह से बुद्ध धम्म का प्रभाव सामाजिक जीवन पर दिखाई देता है ।

निष्कर्ष :–

आज के इस आधुनिक युग में नैतिकता का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सका है । हमें मानव मानव के बीच की दीवार को खत्म करना होगा । आपस में समता, स्वतंत्र, बंधुता, मैत्री, न्याय उत्पन्न करना होगा । तब जाकर मानवीय समाज का सही तरह से विकास हो सकता है । जिसका एकमात्र मार्ग बुद्ध का धर्म ही है । नैतिक विकास हेतु बौद्ध धर्म आज के वैश्विक समाज की नितांत आवश्यकता है ।

इस विश्व को भगवान बुद्ध के नैतिक विचार ही सुरक्षित रख सकता है । मानवीय समाज के विकास में मनुष्य के भौतिक कार्यों के साथ–साथ व्यक्ति के मन के व्यवहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । इसलिए अपने मन को सुसंस्कृत करना यह प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कार्य होना चाहिए । इसके लिए बौद्ध धर्म के सत्य, अहिंसा, न्याय, दया, दान, शुचिता, मैत्री, करुना, मृदुता, साधुता, माता – पिता एवं गुरुजनों की सेवा सुश्रुषा करके उनके साथ उचित व्यवहार करना ही मानवता का प्रमुख तत्व है । आज के इस दौर में हमें युद्ध नहीं बुद्ध की जरूरी है । इसीलिए समानतावादी समाज निर्माण हेतु 'बहुजन हिताय – बहुजन सुखाय' प्रज्ञा, शील, करुणा इन्ही मानवतावादी मूल्यों पर आधारित समाज की निर्मिती करना ही आधुनिक समाज में बुद्ध धम्म की प्रासंगिकता है ।

संदर्भ :–

- बापट, भ. ग. (२०१२), 'धम्मपद पाली गाथा आणि अर्थकथा', सुगत प्रकाशन, नागपुर. पृष्ठ क्र. १२२
- पाटिल, निरंजन (२००६), 'बुद्ध तत्वज्ञान आणि प्रबोधन क्रांति', पद्मपानी प्रकाशन, ठाणे. पृष्ठ क्र. ३३
- उपाध्याय, सौरभ (२०१२),'भारत में सामाजिक परिवर्तन', इसीका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर. पृष्ठ क्र. ३०.

“आधूनिक यूग में महिला सषक्तिकरण के चुनौतिंयाँ एवं व्यवहार”

डॉ. मनोहर भी. येरकलवार
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस.
कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर

समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान और दर्जा मिलता है, वहां विकास, संपन्नता, संस्कार और सकारात्मकता का वातावरण रहा करता है। जब भारत को ‘सोने की चिड़िया’ और ‘विश्व का धर्म गुरु’ कहा करते थे, उस समय महिला और पुरुष हर एक काम में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया करते थे। जब काल में परिवर्तन हुआ और पुरुष प्रधान संस्कृती के माध्यम से महिलाओं पर दिन–ब–दिन समस्याएं बढ़ती गई। हमारे देश में राजनीतिक गुलामी और आर्थिक पिछड़ेपन के दौर में समाज में महिलाओं को उत्पीड़न, उपेक्षा, रूढ़िवादिता, शिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, पोष्टिक आहारों की अनुपलब्धता और पुरुषों के अहंकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, और विकास की दौड़ में सबसे आगे बढ़ने का हौसला बना रहे हैं। तब पुरुष अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, इसके लिए महिलाओं का सहकार्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता बहुत जरूरी साबीत होती है।

प्राचीन काल से महिलाऐं अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों से पूर्णतः वंचित थी। उनकी स्थिति पितृसत्तात्मक समाज में पुरूष की सेविका के रूप में थी। वे तत्कालीन समाज में शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सम्पत्ति स्वामित्व एवं मत संबंधी अधिकारों से वंचित थी। एवं उन्हें प्रशासन एवं राजनीति में सहभागिता से भी बाहर रखा गया था। उस समय वे बालविवाह, दहेजप्रथा, वैश्यावृत्ति एवं बालिकावध जैसी कुरीतियों से ग्रसित थी। वे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, अपहरण एवं बलात्कार जैसे अपराधों की शिकार हुआ करती थी। महिला की इस दयनीय एवं करूणामय स्थिति ने समाज में समानता के पक्षधर नारीवादी समाज सेवियों को महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा दी और इन सामाजिक संगठनों की सहायता प्राप्त कर सदियों से शोषित एवं उपेक्षित महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। परिणामस्वरूप 21वी सदी के प्रारम्भ के साथ ही सम्पूर्ण विश्व में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला संबंधी विधियों का निर्माण हुआ और धीरे–धीरे, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, प्रशासन, निर्णयप्रक्रिया और राजनीति में महिला सहभागिता का प्रारम्भ हुआ। उनके विरूद्ध जारी किए गये हिंसा, शोषण एवं अत्याचार को रोकने के प्रयास प्रारम्भ हुए किन्तु दुर्भाग्यवश महिला सशक्तिकरण का यह कार्यक्रम 21वी सदी में प्रवेश करने के बावजूद भी अपने वांछित उद्धेष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है।

आज महिलाएं राजनीति, कूटनीति, व्यापार, उद्योग, कला, प्रशासन और शिक्षा आदि प्रकार के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसी महिलाओं का प्रतिशत भाग बहुत ही कम दिखाई देती है। अधिकांश महिलाएं तो हर तरफ भेदभाव और लैंगिकता की शिकार होती जा रही है। तब प्रश्न निर्माण होता है कि, इस विरोधाभास स्थिती का कारण क्या है? इन महिलाओं के परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है? महिला सशक्तिकरण के मार्ग में कौन सी बाधाएं निर्माण होती आई है? इन सारी बातों का अनुसंधानात्मक खोज करने के लिए महिला सशक्तिकरण में आनेवाली चुनौतियां को जानने का प्रयास किया हूँ।

"महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर होते हैं। जैसे की मासिक धर्म और गर्भधारण करने ऐसी परेशानियां उठानी पड़ती है। महिलाओं के कुछ अंग भी इतने कोमल होते हैं कि, एक औरत पुरुष से भी वह मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होती है।"[1] इसीलिए उसे अंधकार, एकांत और भीड़ भाड़ वाले वातावरण से बचना पड़ता है। इसी कारण से उसे बचपन में पित्ता से, जवानी में पति से, और बुढ़ापे में अपने पुत्र का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। इन सब से मुक्ति पाने के लिए तथा नारी को 'अबला से सबला' और भावूक से दृढ, निर्भर से स्वतंत्र, तथा मोहक से महत्तापूर्ण बनाने के लिए उसके शरीर को पुष्ट और परंपरागत मानसिकता को बदलना होगा। तब जाके महिला सशक्त हो सकती है।

भारतीय महाकाव्य और धर्म ग्रंथों में महिलाओं की समानता पर जोर नहीं दिया गया है। बल्कि नारी को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और माता के रूप में देखा गया है और शक्ति, विद्या और धन के क्षेत्रों में अग्रणीय व अनुकरणीय भी माना गया है। इसी कारण से समाज में नारी नर की पूरक बनी है और एक तरफ नर नारी को जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए मानते है। नारी को घर का श्रंगार मानते हैं। हर पुरुष के सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है। जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। ऐसे बहुत सारे कहावतों का चलन हुआ करता है। लेकिन धीरे–धीरे इस परिस्थिति में परिवर्तन होता गया है, और आज महिलाओं को 'ढोर, गंवार, शूद्र, पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी' इस तरह से आज भी कई जगहों पर महिलाओं की यह स्थिति हमें दिखाई देती है।

भारतीय संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहब अंबेडकर इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे कि, बिना महिला सशक्तिकरण के राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। इसलिए जब भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था, तब संविधान निर्माता उन समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। इसी कारण भारतीय संविधान में कुछ विशेष उपबंधों का समावेश विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है, जो विशेषतः महिलाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया है कि, देश की नजरों में स्त्री व पुरुष समान है और राष्ट्र के निर्माण में इनकी समान सहभागिता है। लिंग समानता की यही भावना संविधान में मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों, नीति निर्देषक तत्वों के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। इतना ही नहीं भारतीय संविधान राज्यों को यह निर्देषित करता है कि वह इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करे जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर महिलाओं की भूमिका पुरूषों के समान तय हो सके। राज्य ऐसे नीतिगत ढांचे का और विधियों का निर्माण करे जो महिला उत्थान में सहायक हों ताकि महिलाऐं भी पुरूषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। राज्यों को यह निर्देशित किया गया है कि, वह महिला अधिकारों की रक्षा करें।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल में महिलाओं को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। हमारे देश मे गार्गी, मैत्रेयी तथा अनुसया आदि ऐसी अनेकों नारियाँ हुई है, जिनकों समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। परन्तु मध्यकाल में नारी की प्रस्थिति अत्यन्त सोचनीय हो गयी। वह घर की चार दीवारों में कैद थी। परिवार का सम्पूर्ण ढाँचा आदमी के बर्चस्व और नारी की निर्धनता पर आधारित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिये गये। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, महिला दशक के बाद वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया, जो कि इस बात का द्योतक है कि, आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी संविधान द्वारा दिये गये 'समानता के अधिकार से महिलाएँ वंचित हैं। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के बावजूद महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के अनेक रूप हमें दिखाई देते है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, शिशु कन्या हत्या, परिवार में लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा, अल्पायु में विवाह, बलात्कार, दहेज, तलाक आदि।

इस तरह से महिलाओं को हर जगहों पर लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से स्त्री भ्रुण हत्या, शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज, तलाक, यौन प्रताड़ना, वैधव्य आदि प्रकार

की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार के कई कारणों से महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक लैंगिक भेदभाव का शिकार होती है। महिला पारिवारिक जीवन की धुरी है, जिसके बिना पारिवारिक जीवन सफल नहीं हो पाती। इसीलिए जब तक हमारे देश की हर नारी सशक्त नहीं होगी, तब तक हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, सशक्त नहीं होगा।

"भारतीय दंड संहिता अपने सामान्य अर्थ में महिला एवं पुरुषों के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं करती, लेकिन महिलाओं की शारीरिक बनावट एवं सामाजिक स्तर पर उसके विरुद्ध में होनेवाले अत्याचारों, भेदभाव एवं कुरीतियों को मद्देनजर रखते हुए उसके सशक्तिकरण और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ उपबंध करती है। ताकि भारतीय महिलाएं अपने निजी एवं सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार ना हो।"[2] सामान्यतः यह माना जाता है कि, पति का घर ही पत्नी के लिए सुरक्षा एवं प्रसन्नता की दृष्टि से स्वर्ग है। किंतु अनेकों स्त्रियों के प्रति उनके घर में उसके लिए पति एवं रिश्तेदारों द्वारा निर्धनता एवं हिंसा का व्यवहार किया जाता है। "उन्हें लातो, घुसो, चाटो एवं डंडों से मारा जाता है। हड्डियां तक तोड़ दी जाती है।"[3] ऐसी स्थिति अनेको परिवारों में दिखाई देती है। दहेज के कारण ससुराल में उन्हें हर चीज से नाकरा जाता है। इसी स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, तभ जाकर ऐसी समस्याएं मिटने की संभव संभावना हो सकती है।

समाज में महिलाओं का योगदान माता, बहन, पत्नी, पुत्री के रूप में अविस्मरणीय रहा है। किंतु दुर्भाग्यवश वैश्वीकरण के इस युग में यही महिलाएं अपने सशक्तिकरण के लिए आज भी संघर्षरत जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में भारतीय महिलाओं की स्थिति अन्याय, अत्याचार, सम्मान, उत्पीड़न, लैंगिक शोषण एवं भेदभाव से ग्रसित हुई दिखाई देती है। इस कारण आज भी महिला सशक्तिकरण पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनी हुई है। क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण यह विषय केवल एक राष्ट्र, धर्म या समुदाय का विषय नहीं है। अपितु यह एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के सामने चुनौती है। भारत के संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिया हुआ है। इसके द्वारा लैंगिक भेदभाव नहीं माना गया है। पिछले वर्षों में कई ऐसे कानून पारित हुए हैं कि, जो महिलाओं को अनेक कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने के लिए है। इसके द्वारा अब तक महिलाओं की स्थिति में धीरे–धीरे बदलाव आने लगा है। इस बदलाव के लिए संचार साधनों और साक्षरता के प्रतिशत में हो रही वृद्धि, भौतिकवादी संस्कृति, संयुक्त परिवार में होनेवाली बिखराव, कार्यशील महिलाओं की बढ़ती संख्या, महिला मतों को आकर्षित करने की राजनीतिक दलों की मजबूरी इन सभी कारणों से आज ऊपरी तौर पर समाज में महिलाओं का स्थान बनता हुआ नजर आने लगा है। आज पर्दाप्रथा, विधवा उत्पीड़न, स्त्री साक्षरता को मान्यता, समाज और परिवार में उपेक्षा, बालिका विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह, निषेध जैसी समस्याएं इतनी भयानक नहीं रही है। यह परिवर्तन संचार साधनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच चुकी है।

"अधिक आधुनिक, प्रगतिवादी व स्वतंत्र कही जाने वाली महिलाएं आज के दिनों में उच्च्य शिक्षा लेने के बाद संस्कृती को भुलते हुए नजर आ रहे है। वे सिगारेट, शराब पीने, नाइट क्लब में जाने, अविवाहित रहने, जरा सी बात पर विवाह विच्छेद कर लेने, बच्चों से परहेज करने, शारीरिक श्रम से दूर रहने, स्वजनों से रिश्ते काट लेने, विवाहेत्तर यौन संबंधों की ओर प्रवृत्त होने, शरीर का खुला प्रदर्शन करने की मानसिकता से ग्रसित होती जा रही है।"[4] भारतीय समाज में जैविकीय लैंगिक आधार पर महिला और पुरुषों को अलग किया गया है। जीवन में सामाजिक तौर तरीके और कार्य व्यापार के अलग–अलग मापदंड तैयार किए गए हैं। लेकिन सामाजिक परंपरा का निर्माण तो पुरुष वर्ग से ही किया गया है। पुरुषों को जो उचित लगा, उनके लिए जो सुविधाजनक लगा, उसके हिसाब से समाज में नियम निर्धारित किए गए। यही तत्व महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ी बाधा निर्माण करती है।

वर्तमान समय में महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार, छेड़छाड़, उत्पीड़न, प्राणघातक हल्लो, एसिड फेंकना और हत्याओं के मामलें पूरे देश में फैला हुआ है। महानगरों के अलावा छोटे–छोटे शहरों कस्बों और गांव में भी इस तरह की घटनाएं दिन–ब–दिन घटती हुई नजर आ रही है। आज महिलाएं चाहे किसी भी उम्र की हो वह सुरक्षित नहीं है। इनकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कानून करके कोई फायदा नहीं है। कानून को पालनेवाले ही आज के दिनों में कानून तोड रहे है।

भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ही निचला हुआ दिखाई देता है। संविधान के माध्यम से और कानून के माध्यम से महिलाओं के स्थिति में बदलाव लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी लोगों के दिमाग में या मानसिकता में परिवर्तन नहीं आ रहा है। आज भी लोगों के दिलों में महिलाओं के लिए एक अलग सा विचार है। घर में महिलाओं को मान सम्मान दिया जाता है, मगर बाहर निकलने के बाद वही लोग महिलाओं के बारे में गलत सोचने लगते हैं। हमारे घर की महिलाएं हमारे लिए माँ, बहन, बीवी, बेटी के समान होते हैं और बाहर के महिलाएं हमारे लिए कोई और दिखता है। इसीलिए महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए लोगों के सोच और दिमाग में और मानसिकता में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जब तक लोगों की मानसिकता में महिलाओं के लिए मान, सम्मान और आदर की भावना निर्माण नहीं होगी, तब तक महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होना बहुत कठिन कार्य लगता है।

निष्कर्ष :–

आज के यूग में नारी मात्र भोग्या, वासना एवं मनोरंजन की विषय वस्तु नहीं है। बल्कि वह प्रेम, करूणा, दया, ममता, समर्पण, सहकारी, सहिष्णुता, एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति भी है। महिलायें आज भी प्रजनन, स्वास्थ्य, विवाह, शिक्षा, संपत्ति, ग्रहस्वामित्व, रोजगार, उच्च पदों पर नियुक्ति, समानवेतन, राजनैतिक सहभागिता के क्षेत्र में लिंग भेद एवं असमानता का शिकार हो रहे है। उनके विरूद्ध कार्यस्थल पर यौन शोषण, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताडना, स्त्री भ्रूण हत्या, बाल विवाह, अपहरण, नारी व्यापारण, देह व्यापार जैसे अपराधों में निरंतर वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। इन परिस्थितियों एवं वातावरण में यह नही कहा जा सकता कि महिला सशक्तिकरण हेतु बनायी गई विधियॉ अपने उद्देष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है।

संदर्भ सुची :–

1. खंडेला मानचंद्र, 'महिला सशक्तिकरण सिद्धांत एवं व्यवहार', अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2008 पृष्ठ क्र.2
2. चतुर्वेदी मुरलीधर, 'भारतीय दंड संहिता', ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, 2007,पृ. क्र. 11
3. पाटिल अशोक, 'भारतीय समाज', हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2002 पृष्ठ क. 40
4. खंडेला मानचंद्र, 'महिला सशक्तिकरण सिद्धांत एवं व्यवहार', अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2008 पृष्ठ क्र.5

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

जनजातीय विकास की दशा और दिशा

मनोहर भी. येरकलवार
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस., कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर

सार

भारत के दुर्गम क्षे़=ों में आज भी ऐसे अनेक मानव समूह हैं, जो हजारों वर्षों से शेष विश्व की सभ्यता से दूर हैं। तथापि अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की पहचान बनाए रखे हुए हैं। संक्रमण और संघर्ष के दौर में भी ये जनजातियाँ अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाने में सफल रही है। अज्ञानता, अभाव, अशिक्षा, असमानता, अंधविश्वास एवं अन्य कुरीतियाँ आज भी जनजातीय समाज में व्याप्त है। राष्ट्र के निर्माण के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि, देश का सन्तुलित विकास हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि, भारत की जनसंख्या का एक वर्ग ऐसा है, जो जंगलों व दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने के कारण विकास से बहुत दूर है। आदिवासी समाज आज की इस दौर में अपनी अस्मिता और अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। जो इस जनजाति के अस्तित्व और पहचान के लिए अत्यंत खतरा है। इस समुदाय के लोगों से विकास के नाम से उनकी जल, जमीन, जंगल छिनी जा रही है। सदियों से जंगल में रहने के बावजूद भी उन्हें उसी जंगल से बाहर निकालकर बेदखल किया जा रहा है। जनजातीय इलाकों में गैर जनजातीय लोगों की बसावट से इस समुदाय की भाषा, संस्कृति, पर्यावरण लुप्त होने के कगार पर आ गई है।

शब्द सूची जनजातिय विकास, अस्मिता, सांस्कृतिक चेतना, कल्याणकारी योजनाएं.

प्रस्तावना

भारत में प्राचीन काल से आदिम जनजातियाँ जंगलों, पहाड़ियों में निवास करती हैं। उनकी जीवन पध्दती, संस्कृति एवं प्रकृति पर निर्भर होती है। प्रकृति की रक्षा करना वे अपना परम कर्तव्य मानते हैं। भारत में ऐसे विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। भारत के दुर्गम क्षे़=ों में आज भी ऐसे अनेक मानव समूह हैं, जो हजारों वर्षों से शेष विश्व की सभ्यता से दूर हैं। तथापि अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की पहचान बनाए रखे हुए हैं। पुरातात्विक अथवा साहित्यिक प्रमाण इस बात की पुष्टि करता हैं कि, भारत के मूलनिवासी यही जनजातियाँ थी। प्राचीन काल से वर्तमान आधुनिक सभ्यता तक ये जनजातियाँ अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवन्त बनाए रखने में सफल रही है। संक्रमण और संघर्ष के दौर में भी ये जनजातियाँ अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक अस्तित्व को बचाने में सफल रही है। अज्ञानता, अभाव, अशिक्षा, असमानता, अंधविश्वास एवं अन्य कुरीतियाँ आज भी जनजातीय समाज में व्याप्त है। 'भारत सरकार के नृतात्विक सर्वेक्षण विभाग 1967 ने भारत में 314 प्रकार की अनुसूचित जनजातियों के बारे में पता लगाया है। 1951 में भारत में 212 प्रकार की अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार की गयी थी। अनुसूचित जनजातियों की संख्या संसद की विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुसार घटती–बढ़ती रहती

www.junikhyat.com
Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

है। वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 550 से भी ज्यादा है।'1 मानव विकास के इतिहास से स्पष्ट होता है कि मानव हजारों वर्षो में विकास की एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरते हुए वर्तमान अवस्था तक पहुँच सका है। एक लंबे समय तक मानव जंगलों और पहाड़ों में भटकता हुआ जंगली जानवरों के शिकार, फल–फूल और पत्तो के द्वारा अपनी उदर पूर्ती करते थे। गुफाएँ जंगल और घने वृक्ष ही इनके आवास थे। कृषी का अविष्कार और पशुपालन का आरंभ होने से विभिन्न मानव समूहों ने स्थानीय रूप से किसी विशेष भू–भाग पर रहना आरंभ कर दिया।
विभिन्न मानव समूहों के विकास की प्रक्रिया भी एक–दूसरे से भिन्न रही। कुछ समूहों को अपने क्षेत्र में विशेष संसाधन मिल पाने से वे तेजी से आगे बढ़ गये, जबकि अनेक मानव समूह जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण एक सरल जीवन व्यतीत करते रहे। इन्हीं सरल समाज को जनजातीय अथवा आदिम समाज कहते हैं।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जनजातियों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में जनजातियों को देश के पिछड़े हुए वर्ग में रखा गया है। भारत में जनजातियों के वितरण की दृष्टी से जनजातीय संख्या किसी भी देश से कम नहीं है। भारत भोगौलिक दृष्टी से विशाल आकारवाला देश है। राष्ट्र के निर्माण के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि, देश का सन्तुलित विकास हो। सन्तुलित विकास से आशय उस देश में निवास करने वाली समग्र जनसंख्या के समग्र विकास से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि, भारत की जनसंख्या का एक वर्ग ऐसा है, जो जंगलों व दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने के कारण विकास से बहुत दूर है।

जनजातियों का विकास करने हेतु सरकार सदैव प्रयत्नशील रही है। तथा इनके विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएं बनाई गई है। यद्यपि इन के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के प्रयास अंग्रेजी शासनकाल से प्रारंभ किए गए। परंतु इन प्रयासों में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। क्योंकि अंग्रेजों ने जनजातियों के पृथक्करण की नीति को अपनाकर देश के सभी कानूनों को जनजातियों पर लागू किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात जनजातीय विकास एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों में सुधार के लिए अनेक विशेष कदम उठाए गए। संविधान में कई ऐसे धाराएं हैं, जो केवल अनुसूचित जनजातियों पर ही लागू होते हैं। 'आदिवासियों में कारूण्य, सहानुभूति, सहिष्णुता, परोपकारवृत्ती, चारित्र्य, अपरिग्रह और निसर्गनिष्ठा आदि गुण विद्यमान है। यह सारे गुण उनके अलिखित धर्म की देन है। आज भी दूसरों के प्रति आदिवासियों का व्यवहार समत्व, ममत्व एवं मित्रता से परिपूर्ण है।'2 भारत का सम्पूर्ण विकास करना है तो, पहले इस आदिम समुदाय का भी विकास करना होगा। आदिम समुदाय से आषय उन जनजातियों से है, जो आधुनिक सभ्यता व संस्कृति से पिछड़ी हुई हैं। ये जनजातियाँ वनों और पर्वतों में अनेक सालों से निवास करने के कारण इन्हे आदिवासी, जनजाति, आदिम जाति, वन्य जाति, वनवासी आदि नाम से पुकारा जाता हैं।

भारत वर्ष की संस्कृति और सभ्यता की सम्पूर्णता अपने आप में अनूठी है। इसका प्रमुख कारण यहाँ के मूलनिवासियों की विविध सांस्कृतिक अस्मिता है। जो अपने आप में अक्षुण्ण है। वहीं इनकी एकात्मकता भारतीय अस्मिता की परिचायक है, इसलिये भारत को अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है। विभिन्न प्रजातीय तत्वों का मिश्रण होने के कारण इसे कभी – कभी प्रजातियों का अजायबघर भी कहा जाता है। यहाँ के वन प्रदेशों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करनेवाले अनेक

 Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

मानव समुदाय मानव सभ्यता के विकास क्रम में विभिन्न कारणों से पृथक रह गये। फलतः विकास का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। इन दुर्गम और पृथक क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव समुदाय सभ्यता के विकास की दृष्टि से अभी तक प्रारंभिक सोपानों पर ही जीवन जीते हुए नजर आते है। इन्हीं समुदायों के लोगों को, विकसित लोगों ने, आदिवासी, जनजाति, आदिमजाति, वन्यजाति, जंगली, वनवासी इत्यादि नामों से चिह्नित कर दिया। इनमें से प्रत्येक समुदाय का अपना नाम है, जिससे इन्हें चिह्नित किया जा सकता है। लेकिन इतिहास की विडम्बना ने इन सम्पूर्ण समुदायों को आदिवासी, मुलनिवासी या जनजाति की संज्ञा दे दी है। भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने से यह पता चलता है कि, अंग्रेजी शासन ने जहाँ–जहाँ प्रवेश किया, वहाँ के निवासियों को अपने से अलग करने हेतु उन्हें ''ट्राइब'' की संज्ञा दी गयी हैं।

आदिवासी या जनजाति शब्द सुनते ही एक ऐसी कल्पना उभर कर सामने आती है, जो विकास से अत्यंत ही दूर आधुनिक समय की व्यवहार, कला और भौतिक जीवन से अपरिचित शहरों से दूर, निसर्ग की पर छाया में शांत और एकांत वातावरण में पल्लवित होकर आनंदी जीवन जीने वाली जनजाति है। इस जनजाति की संस्कृति, सामाजिक जीवन, कला और जीवनचर्या अत्यंत ही वैशिष्टयपूर्ण होती है। अपनी इसी विशेषता के कारण इस जनजाति के रीति–रिवाज, रहन–सहन और आचार–विचार, वेशभूषा सामाजिक परंपराएं, गीत, संगीत, वाद्ययंत्र सदैव ही कथित सभ्य समाज के आकर्षक का केंद्र रहा है। एक समुदाय की संस्कृति दूसरे समुदाय की संस्कृति को अपने बाह्य रूपों से प्रभावित एवं पल्लवित करती आई है। यही कारण है कि किसी भी संस्कृति का वास्तविक स्वरूप पूर्णता स्पष्ट नहीं हो जाता है। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बावजूद भी आज जनजातीय समुदाय सभ्य समाज में अपनी पहचान कायम रखने में सफल होती हुई नजर आती है। भारत में जनजातियों को लेकर कई अध्ययन हुए मगर सबसे पहला जनजातियों का अध्ययन में हरबर्ट रिजले द्वारा किया गया है। इस अध्ययन में उन्होंने जनगणना से प्राप्त निष्कर्षों को सन 1915 में अपनी पुस्तक 'द पीपुल ऑफ इंडिया' में प्रस्तुत किया था। अपने अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर हरबर्ट रिजले ने स्पष्ट किया है कि, द्रविड़ भारत देश की मूल प्रजाति है। हजारों वर्षों से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहनेवाले आदिवासियों को तथाकथित सभ्य कहे जानेवाले लोगों से न के बराबर ही संपर्क रहा है। जंगलों, पहाड़ों में निवासरत जनजातिय समाज की मुख्यधारा के समाज से अलग स्वतंत्र संस्कृति एवं सभ्यता है।

जनजातिय समाज बरसों से जंगल में रहकर आनंदी जीवन यापन करती थी। पर्यावरण की रक्षा करते हुए निसर्ग के पंचमहाभूतों की पूजा करते हुए अपना जीवन यापन करती थी। जनजातियों के द्वारा हजारों सालों से विभिन्न प्रकार के नए संसाधनों की रक्षा करते आ रहे थे। भारत में अंग्रेजो के आगमन होने के बाद से उन्हें इस नैसर्गिक संसाधनों का पता लगा और उन्होंने उस संसाधनों को प्राप्त करने के लिए धीरे–धीरे आदिवासी इलाकों पर हमला करने लगे। आदिवासियों द्वारा इस हमले का कड़ा विरोध करके उन्हें वहाँ आने ही नहीं दिए। फिर से उन्होंने दूसरा तरीका अपनाने की शुरुआत की जो अभी भी शुरू है। आदिवासियों के जंगल, जमीन और नैसर्गिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उन्हें विकास के नाम पर धीरे–धीरे जंगल से बाहर करके उनकी जल, जंगल, जमीन यहाँ ठेकेदार, वकील, जमीनदार, पुलिस, जंगल कर्मचारी, पटवारी इनके द्वारा जबरदस्ती से शोषण

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

होने लगा है। इस शोषण से आदिवासियों की स्थिति बहुत ही बिगड़ गई है। स्वतंत्रता के 72 सालों के बाद भी आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, नैसर्गिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें जबरन जंगल से बाहर किया जा रहा है। कभी लाठी से तो कभी विकास की लालच दिखाकर, कभी नक्सलवादियों के लक्ष्य बनाकर सरकार द्वारा आदिवासियों पर हमला होते हुए दिखाई दे रहा है। इस हमले का प्रतिकार करने के लिए उनके पास कोई अत्याधुनिक शस्त्र नहीं होने के कारण उनका इस हमले से हार होते जा रहे हैं। सरकार और ठेकेदारों द्वारा उनके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है।

जनजातीय विकास की दिशा

स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार और ठेकेदारों द्वारा निर्बल आदिवासियों का शोषण करता आया है। इस शोषण को रोकना है तो, इस समाज को केवल विकास के अवसर प्रदान करने से नहीं होगा, बल्कि उनमें विकास के लिए चाहत और आवश्यक तैयारी भी करनी होगी। तब जाकर कहीं न कही सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होने के कारण भारतीय गणराज्य में उस संविधान की कानूनों के अनुसार प्रशासन चलता है। संविधान के विभिन्न धाराओं के माध्यम से जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति बनाए रखने की तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। इस तरह से सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से जनजातियों के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मगर सारी प्रयासों के माध्यम से जनजातियों का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। क्योंकि विकास करने की सही दिशा नहीं होने के कारण स्वतंत्रता के सात दशकों के बाद भी जनजातियों की यह स्थिति दिखाई देती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के बाद से ही जनजाति में विकास करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभ में आदिम जनजाति की संरक्षण हेतु संविधान एवं प्रशासनिक प्रावधान किए गए। साथ ही आज तक प्रत्येक पंचवार्षिक योजना के माध्यम से विकास के विभिन्न प्रतिमान और समय–समय पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। इस तरह से विगत सात दशकों से जनजातीय विकास का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही प्रशासनिक नीतियों का क्रियान्वयन तथा विविध समीक्षा एवं निगरानी का क्रम जारी है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जनजातीय विकास के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकलता है कि, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सरकारी प्रयास संतोषजनक नहीं है। भ्रष्टाचार, लाचार आपूर्ति की व्यवस्था जनजातिय समुदाय की आवश्यकता एवं समस्याओं की अनदेखी तथा कार्यों में समुदाय की सहभागिता का अभाव ऐसे विभिन्न कारणों के माध्यम से अपेक्षित लक्ष्यों की पूर्ति में अवरोध उत्पन्न किया गया है। इसके पश्चात इस समुदाय में पाई जाने वाली सामाजिक कुरीतियाँ और शिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, अनउपजाऊ भूमि, अस्वच्छता तथां रोजगार का अभाव इस तरह के कई कारण भी इस समुदाय को विकास से दूर रखता है।

जनजातीय विकास की दशा

 www.junikhyat.com Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर इन प्रयासों के बावजूद भी जनजातियों में विकास नहीं दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि, सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू कि जाती है, उन तक पहूँच नही पाती। आज भी महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के भामरागढ़ तहसील में कोई कर्मचारी, अधिकारी नौकरी करने के लिए नहीं जा पाता। क्योंकि वहाँ जाने के लिए सही तरह से रास्ता नहीं है। वहाँ पर आरोग्य की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ के लोगों के लिए बिजली की सुविधा भी उपलब्ध नही है। आदिवासी विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते है, मगर अत्यावश्यक सुविधावों के तरफ अनदेखा किया जाता है। इस जनजति के लोगों को पूरी सुविधाए दी गई तो वहाँ पर शासन चलाना कठिन हो जायेगा। यह सोचकर येहाँ के राजनीति के व्यक्तियों द्वारा इस इलाखे में विकास की पूरी सुविधाओं का अंमल नहीं किया जाता है।

आदिवासी समाज उच्च वर्ग की व्यवस्था अनेक सालों से पीड़ित रहा है। उनका सभी अंगों से शोषण हुआ है। आदिवासी विभागों में शिक्षा देने के लिए आश्रम शालाओं का निर्माण किया गया है। मगर आश्रम शालाओं में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। आश्रम शालाओं में बच्चों को खाने के लिए अच्छा खाद्यान्न नहीं मिलता है। रहने की अच्छी सुविधा नहीं है। आश्रम शालाओं में अच्छी तरह से शिक्षा भी नहीं दी जाती है। आश्रम शालाओं में बच्चों का शोषण किया जाता है। ऐसी स्थिति होने के बाद बच्चे कैसे शिक्षा लेंगे। इस तरह से जनजातीय बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्सुकता नहीं दिखाई देती है।

जनजातियों के स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी बहुत गंभीर है। जनजातीय लोगों के निवास तक जाने के लिए सही तरह से रास्ते न होने के कारण कई गंभीर बीमारियों में उन्हें अस्पताल तक जाने की सुविधा नहीं होती है। जंगली जानवरों का हमला होने पर या सांप काटने पर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल भी करीब 20 से 50 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। सरकारी अस्पताल है मगर वहां पूरी सुविधा का अभाव होता है। समय पर डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। वहाँ की नर्स ही दवाखाना चलाती है। इस तरह से कई सारे स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना भी आदिवासियों को करना पड़ रहा है।

आदिवासियों की आर्थिक स्थिति भी धीरे–धीरे बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके जल, जंगल, जमीन पर सरकारी एवं गैरसरकारी संघठनों द्वारा उनकी अच्छी संपन्न जमीन उनसे विकास के नाम पर छीना जा रहा है। इसके माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई दिखाई देती है। उनके जंगलों पर ठेकेदारों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उनके अशिक्षित होने का फायदा अमीर लोगों द्वारा उठाया जाता है। उनके ही जमीन पर उन्हें ही वेठबिगारी जैसे काम करना पड़ रहा है। उनके जंगलों से खनिज संपत्ती निकाली जा रही है। बड़े–बड़े कारखाने बनवाए जा रहे हैं। उस कारखाने में इन आदिवासियों के बच्चों को निचले दर्जे की काम पर रखा जा रहा है। इस तरह से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही है। इस कारण महाराष्ट्र के विदर्भ में किसानों की आत्महत्याओं में ज्यादा प्रमाण में तो आदिवासी किसानों की आत्महत्या होती हुई नजर आ रही है।

www.junikhyat.com
Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 16 June 2020

संविधान में आदिवासियों को राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण दिया गया है। मगर राजनीति में विशिष्ट वर्गों के नेताओं द्वारा आदिवासी लोगों के नेताओं को काम करना पड़ रहा है। राजनीति में आदिवासी नेताओं को उनके मन से और अधिकार से काम करने नहीं दिया जाता है। आदिवासियों की अलग पार्टी बनाई गई तो भी आदिवासियों में आपस में झगड़े लगाए जाते हैं। इसलिए उनको उनके जमाती के विकास के लिए काम करने में या निर्णय लेने में कठिनाइयां पैदा होती है।

मीडिया और संचार माध्यम को जनतंत्र का चौथा आधार माना जाता है। परंतु मीडिया के माध्यम से जनजातियों के समस्याओं का उनके विकास में आनेवाली कठिनाइयों की सही जानकारी विश्व के सामने लाकर उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। आज सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इसके माध्यम से जनजातीय लोगों की समस्याओं को विश्व के सामने लाने का प्रयास होता हुआ दिखाई देता है। मगर पिछले आठ–दस महीनों में लाइफटाइम मुक्त में सिम कार्ड देने वाले मोबाइल कंपनियों द्वारा भी अपने नियमों में बदलाव करके उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, और इस पर सरकार का कोई भी बंधन नहीं है। इस तरह से बदलाव होने के माध्यम से गरीब लोग संचार साधनों का लाभ नहीं ले सकते और अपनी समस्याएं दूसरों तक पहुँचा नही पाते। इस तरह से संचार माध्यमों को बंद करके कई ऐसे मोबाइल कंपनियां बंद होती जा रही है। इस माध्यम से संचार मीडिया का जो गरीब लोगों पर प्रभाव हुआ था वह धीरे–धीरे खत्म होते जा रहा है।

निष्कर्ष

आदिवासी समाज आज की इस दौर में अपनी अस्मिता और अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। जो इस जनजाति के अस्तित्व और पहचान के लिए अत्यंत खतरा है। इस समुदाय के लोगों से विकास के नाम से उनकी जल, जमीन, जंगल छिनी जा रही है। सदियों से जंगल में रहने के बावजूद भी उन्हें उसी जंगल से बाहर निकालकर बेदखल किया जा रहा है। जनजातीय इलाकों में गैर जनजातीय लोगों की बसावट से इस समुदाय की भाषा, संस्कृति, पर्यावरण लुप्त होने के कगार पर आ गई है। औद्योगिकरण के नाम से उनके जंगल को काटा जा रहा है। इस तरह से जंगल के वनऔषधी लुप्त होते जा रही है। जिसकी उन्होंने सदियों से रक्षा करते आए हैं। उन्हें गैर जनजातिय समुदाय की भाषा और तौर–तरीकों को नाइलाज के कारण अपनाना पड़ रहा है। इस तरह से आज उनकी भाषा को समझनेवाले, बोलनेवाले, सहेजनेवाले लोग दिन–ब–दिन बहुत ही कम होते जा रहे हैं। धीरे–धीरे आदिम समुदाय की अपनी पहचान रखनेवाली समरूप भाषा खत्म होती जा रही है। उनकी संस्कृति भी नहीं बच पा रही है। यही कारण है कि जनजातिय समुदाय की भाषा, कला, नृत्य, संगीत सीमित होती जा रही है। यहाँ तक कि जनजातीय समुदाय की धार्मिक मान्यताएँ भी परिवर्तित हो रही है। इस तरह से आज जरूरत है कि जनजातीय समुदाय को बचाने की उनकी संस्कृति, परंपरा, भाषा, कला, साहित्य, पर्यावरण को जीवित रखने की। अगर आज इन सारी चीजों पर सही तरह से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में जंगल की रक्षा करनेवाली कोई आदिम जनजाति थी जो बरसों से इस जंगल में जीवन यापन करती थी। इस तरह से इनका

Copyright © 2020 Authors

अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा इन को बचाना है तो सही तरह से आदिवासी के विकास को ध्यान में लेकर कई नीति बनाई जानी चाहिए, तब जाकर आदिवासियों का विकास हो सकता है।

संदर्भ

1.विधायनी मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय की त्रैमासिक शोध पत्रिका, (अक्टू.–दिस. 2008) भोपाल, वर्ष–26, अंक 04 पृ. 47.
2.तुमराम, विनायक (2016) 'आदिवासी और उनका निसर्ग धर्म' सुधीर प्रकाशन, वर्धा. पृ. 179

Copyright © 2020 Authors

ISSN - 2229-3620
APPROVED UGC CARE
SSS

SHODH SANCHAR BULLETIN
Vol. 10, Issue 40, October-December, 2020
Page Nos. 147-150

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

'विवाह एवं परिवार का बदलता स्वरूप : महाराष्ट्र के गोंड जनजाति के संदर्भ में'

डॉ0 मनोहर भी. येरकलवार*

शोध सारांश

सारे विश्व में अफ्रीका को छोड़कर भारत एक ऐसा देश है। जहां आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक मात्रा में है। आज के इस औद्योगिकरण, लौकीकरण, संस्कृतिकरण के दौर में परिवार का आकार छोटा होता जा रहा है। एकल परिवार का स्वरूप बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सरकारी कानून और नियमों के माध्यम से परिवार के सदस्यों का प्रमाण भी कम होते हुए नजर आ रहा है। इस नई अर्थनीति ने संयुक्त परिवार की महत्ता को मिटा दे रही है। विभिन्न प्रकार के विकासात्मक उपायों के माध्यम से आदिवासी जनजाति में सामाजिक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। आदिवासियों कों विकास के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे है, उसका दुष्प्रभाव इस जनजाति पर हो रहा है। एक तरफ उनका नागरिकरण, संस्कृतिकरण, वैश्विकरण, शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है और खेती में भी सुधार हो रही है। तब उसी समय उसकी अपनी संस्कृति और मुल्यों का ह्रास हो रहा है। उनका जीवन जिस पर है वह निसर्ग का भी ह्रास हो रहा है। इस तरह से गोंड जनजाति के विवाह एवं परिवार के ढ़ाचे में भी परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है।

Keywords : गोंड जनजाति, विवाह, परिवार, नातेदारी व्यवस्था.

प्रस्तावना :–

सारे विश्व में अफ्रीका को छोड़कर भारत एक ऐसा देश है। जहां आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक मात्रा में है। भारत में आदिवासी विकास के लिए ख्रिश्चन मिशनरियो द्वारा आझादी के पहले से ही प्रयास करना प्रारंभ हो गया था। भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अंग्रेजों के आगमन से ही ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ था। 'सर्वप्रथम १८३० में अमेरिका की मिशनरी ने भारत के नागा क्षेत्रों में, तथा १८४५ में लुथरेस मिशनरी ने छोटा नागपुर के क्षेत्र में स्कूल और अस्पताल के जरिए अपना कार्य करना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद इन मिशनरियों ने न केवल शिक्षा व स्वास्थ्य वरना आदिवासियों को गैर आदिवासी तथा साहूकारों के शोषण से बचाने का प्रयास भी किया है।'[१] स्वतंत्रता के बाद आदिवासी विकास के प्रयास में काफी तेजी आयी। इस जरिए आदिवासी उत्थान योजना के लिए संविधान में प्रावधान किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा भी आदिवासियों के उत्थान हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जिसके माध्यम से आदिवासियों में परिवर्तन की प्रक्रिया ने शुरुवात की और कुछ क्षेत्रों में काफी परिवर्तन भी हो रहा है। लेकिन यहां के आदिवासियों के वर्तमान स्थिति को जानने से पहले उनके ऐतिहासिक स्वरूप को जानना आवश्यक है। आदिवासियों के ऐतिहासिक स्वरूप को समझने के लिए आर्यों के आगमन के पूर्व प्राचीन मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास पर दृष्टिपात करना आवश्यक होगा।

'अमरकोट (अमरकंटक) को मानव जाति की उत्पत्ति का स्थल कहा जाता है। कोया संस्कृति में अमूलकोट नर्मदा नदी के उद्गम स्थल में सर्वप्रथम नर व मादा का जन्म हुआ। इसलिए इस नदी का नाम नरमादा से नर्मदा प्रचलित हुआ है। इस प्रकार नर्मदा घाटी की जो आदिम सभ्यता की यहां से ही आदिम लोग उत्तर की ओर क्रमशः बढ़ते गए।'[२] इस तरह से सिंधु नदियों की सहायक नदियों के कपारी उपजाऊ प्रदेश में यह लोग कृषी करते नदी किनारे बसे हुए है। प्राचीन काल से करोड़ों वर्ष पहले अमुलकोट से चलकर विश्व के चारों ओर फैले हुए है। जो कि विश्व के विभिन्न प्राचीन जातियों के डी.एन.ए. टेस्ट से प्रमाणित हुआ कि, विश्व में मानव जातियों का विस्तार इसी अमरकोट स्थल एवं अफ्रीका के विक्टोरिया झील प्रदेश स्थल से होना प्रमाणित है। 'गोंड नाम समीपवर्ती हिंदू तथा सरकारी अफसरों द्वारा उन सभी जनजातियों के लिए उपयोग किया जाता है। जो कोईतार नामक प्रजाति के हैं। वस्तुतः गोंड का मूल नाम कोईतार ही है। जिसके कहने से मोरिया, मारिया, भत्रा, प्रजा आदि जनजातियों का बोध

*सहायक प्राध्यापक – समाजशास्त्र विभाग, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर–२६.

होता है।'[3] गोंड जनजाति के लोग प्रकृति की कोख में किसी पहाड़ी पर या नदी किनारे रहना पसंद करते हैं। गोंड जनजाति के लोग अधिकांश गांव में सड़क से दूर जंगलों में बस जाते हैं। गोंड जनजाति प्रकृति प्रेमी होते हैं। प्राकृतिक जीवन उनका आदर्श जीवन होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि, भारत के मूलनिवासी गोंड ही है। गोंड जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक साधन नहीं मिलते हैं, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल के एक ऐतिहासिक क्षेत्र के मूल निवासी होने के कारण इन्हें गोंड कहलाए जाते है। गोंड जनजाति की ५० से अधिक शाखाएं हैं। जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। गोंड जनजाति कभी पूर्वी क्षेत्र से भारत के मध्य क्षेत्र की ओर से घने जंगलों, पर्वत, मैदानी क्षेत्रों में प्रसारित होती गई। कुछ भाषाई प्रमाणों के आधार पर पहले गोंड जनजाति का फैलाव दक्षिण भारत में हुआ। इसके बाद में धीरे–धीरे गोंड जनजाति का मध्य क्षेत्र में आगमन हुआ इस तथ्य का प्रभाव जनजातिय भाषा से मिलता है।

"गोंडी पुनेमी मुठवा महान्दी पारी कुपार लिंगो द्वारा गोंड समुदाय को १२ सगा में स्थापित किया गया है। गोत्रवार बारा सगा संख्या (एक से लेकर बारा देव संख्या) गोंड समुदाय के विभिन्न बारा गोत्र वाले बारा समूह होते है। एक संघ से लेकर सात देव सगा गोत्रसमूह के प्रत्येक समूह में १००–१०० गोत्र निर्धारित किये गए है। तथा शेष ८ से लेकर १२ देव सगा गोत्र समूह के प्रत्येक समूह में १०–१० गोत्र निर्धारित है। इस प्रकार प्रथम १ से ७ देव मानने वाले सगाओ के समूहों में ७०० गोत्र तथा से ८ से १२ देव मानने वाले सगा समूह में पन्नास गोत्र निर्धारित है। इस प्रकार गोंड आदिवासी देव सगा गोत्र संख्या ७५० हुए। इस देव सगा गोत्र संख्या को सल्ले–गागरा के प्रतीक चिन्ह के मूल में स्थापित किया गया है। जिसे गोंड आदिवासी समाज शुभांक मानता है तथा सुखी एवं समृद्ध जीवन की प्राप्ति हेतु इस अंक को देव प्रतीक के रूप में पूजा किया जाता है।"[4] गोंड जनजाति के महान दार्शनिक लिंगो देव द्वारा प्रतिपादित नियमों के आधार पर आज की गोंड समुदाय को ७५० विभिन्न गोत्रो में विभाजित किया गया है। तथा प्रत्येक गोत्र को टोटम चिन्ह वनस्पति, जीव, जंतु या पशु–पक्षी, पेड़–पौधे को देव चिन्ह के रूप में चिन्हित किया गया है।

अध्ययन की विषयवस्तु :–

गोंड जनजाति महाराष्ट्र के प्रमुख जनजातियों में से एक है। महाराष्ट्र के विदर्भ में इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इस जनजाति के लोग पठारी और जंगली भागों में निवास करते है हिस्लाप के अनुसार 'गोंड शब्द का उद्भव कोंड शब्द का विकृत रूप है। तेलुगु भाषा के कुण्डा से निकला है, जिसका अर्थ पर्वत होता है'। इस प्रकार इस जनजाति को पर्वत में रहने वाले माने जाते है। इस विशय पर अध्ययन करते समय औद्योगिकरण, नागरीकरण, संस्कृतिकरण, शिक्षा, स्थानांतरण इसके माध्यम से इस जनजातिय समाज के पारिवारिक जीवन में और विवाह की रीतियों पर क्या प्रभाव हुआ और इससे उनके परिवारिक जीवन के नातेदारी व्यवस्था में कौन–कौन से बदलाव आए? और विवाह की पद्धतियों में भी क्या बदलाव आया? इन विषय वस्तुओं को ध्यान में लेकर यह अनुसंधान कार्य किया गया है।

अध्ययन की वैचारिक नीव :–

आदिवासी जनजाति का सर्वांगीण विकास करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे है। विभिन्न प्रकार के विकासात्मक उपायों के माध्यम से आदिवासी जनजाति में सामाजिक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। आदिवासियों कों विकास के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे है, उसका दुष्प्रभाव इस जनजाति पर हो रहा है। एक तरफ उनका नागरिकरण, संस्कृतिकरण, वैश्विकरण, शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है और खेती में भी सुधार हो रही है। तब उसी समय उसकी अपनी संस्कृति और मुल्यों का ह्रास हो रहा है। उनका जीवन जिस पर है वह निसर्ग का भी ह्रास हो रहा है। विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से आदिवासी गोंड जनजाति के विवाह के पद्धतियों में क्या परिवर्तन हो रहा है। और पारिवारिक जीवन में किस तरह से बिखराव आ रहा है। इन सारी पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए इस विषय पर विवेचनात्मक अध्ययन करना तय किया गया था।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1) गोंड जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का अध्ययन करना।
2) गोंड जनजाति में विवाह, नातेदारी एवं परिवार के बदलते प्रतिमाणों का अध्ययन करना।

उपकल्पना :–

1) नागरिकरण के माध्यम से गोंड जनजाति के सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन में परिवर्तन हो रहा है।
2) सभ्य समाज के संपर्क से गोंड जनजाति में विवाह और नातेदारी व्यवस्था के प्रतिमानों में बदलाव आ रहा है।

संशोधन ढांचा :–

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य में अनुसंधान प्ररचना का स्वरूप वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक शोध प्ररचना में अध्ययन विषय के संबंध में उपलब्धियों का वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य में सामाजिक अनुसंधान की चयनित प्रविधियों के माध्यम से अपेक्षित तथ्यों का संकलन किया गया है। और इसके आधार पर विश्लेषण एवं विवेचन करके निष्कर्ष निकाला गया है। जिसके माध्यम से शोध समस्या के विभिन्न आयामों पर प्रकाश पढ़ सकें और अध्ययन का सही निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोगी साबीत होता है।

विवाहसंस्था मानव समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। मानव के यौन इच्छाओं की संतुष्टि में विवाह और

परिवार इस संस्था को जन्म दिया है। इसीलिए समाज मान्य मार्ग से ही स्त्री पुरुष की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें नियंत्रित करने तथा स्थिर रखने हेतु विवाह संस्था का निर्माण हो चुका है। व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति किस तरह से किया जाए। यह समाज और संस्कृति द्वारा निश्चित होता है। इस तरह से विवाह के माध्यम से ही परिवार का जन्म हुआ है। और परिवार के माध्यम से ही विवाह संस्था का नियंत्रण होता है। इस तरह से समाजमान्य मार्ग से ही प्रजोत्पादन के कारण समाज की नितांत निरंतरता बनी रहती है। विवाह दो विषमलिंगियों का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है। विवाह संबंधी कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई धर्म में नहीं है। हर समाज, धर्म में विवाह की विभिन्न तरह की रितियाँ, पद्धतियाँ होती है। विवाह के कारण स्त्री–पुरुष के यौन संबंधों को सामाजिक तथा कानून की दृष्टि से मान्यता प्राप्त होती है। विवाह के कारण ही स्त्री और पुरुष को पति पत्नी का दर्जा मिलता है। और उनकी संस्कृति को समाज की मान्यता होती है। इस तरह से परिवार आकर धारण कर लेता है। विवाह संस्था सभी समाज में पाई जाती है। परंतु जीवन साथी चयन करने की पद्धति भिन्न–भिन्न होती है।

आधुनिक गोंड परिवार में परिवार के सदस्यों में अस्थिरता की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई देती है। पैसा ही सब कुछ है, इस चक्कर में पैसा कमाने के लिए गोंड जनजाति के लोग भी अपनी संस्कृति नीति मूल्यों को भूलकर नौकरी या व्यवसाय के कारण उनका परिवार एक स्थान से दूसरे स्थानों पर विस्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। इस कारण ही उनके परिवार में दिन–ब–दिन अस्थिरता बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस कारण इस जनजाति के परिवार में विवाह विच्छेद का भी प्रमाण बढ़ता हुआ दिखाई देता है।

आज गोंड परिवार के हर क्षेत्र में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आधुनिक काल में गोंड परिवार के बच्चों के विवाह के उम्र में भी बढ़ोतरी हो रही है। आज विवाह का उम्र ३० वर्ष पार कर चुका है। इसका प्रमाण शहरी भागों में ज्यादा दिखाई देता है। अपना जोड़ीदार चुनने वाली प्राचीन गोटूल व्यवस्था भी धीरे–धीरे नष्ट होती हुई नजर आ रही है। लड़का लड़की पसंद करने के लिए आज गोटूल की जगह विवाह मंडल की स्थापना हो चुकी है।

इस तरह से विवाह को केवल एक धार्मिक संस्कार मानने की प्रवृत्ति में भी बदलाव आ चुका है। विवाह के समय किए जाने वाले धार्मिक संस्कार और विधियों में भी धीरे–धीरे परिवर्तन हो रहा है। इस तरह इस जनजाति में चार–पांच दिन चलने वाली विवाह विधि आज केवल एक दिन पर आ चुकी है। इस तरह से गोंड जनजाति के विवाह एवं परिवार के ढ़ाचे में भी परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है।

निष्कर्ष :–

वर्तमान अध्ययन गोंड जनजाति के सामाजिक, आर्थिक घटक और विवाह एवं परिवार के बदलते स्वरूपों पर आधारित है। विभिन्न तथ्यों की विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत निष्कर्ष इस सामाजिक यथार्थ को रेखांकित करते हैं कि, वर्तमान में गोंड जनजाति की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। और वे गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा उनकी स्थिति में सुधार करने के लिये अनेक योजनाऐं कार्यरत की हैं। लेकिन योजनाओ की सही तरह की जानकारी इस जनजाति के लोगों को ना होने के कारण, वे इन साडी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

- गोंड जनजाति के उत्तरदाताओं का कहना है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने संयुक्त परिवार को तोड़ा है।
- इस जनजाति के विवाह व्यवस्था में आधुनिकीकरण और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से परिवर्तन हो रहा है।
- सवर्ण जातियों से उनका संबंध सामान्य होता हुआ दिखाई देता है। परंतु अपनी ही जाति के उपजातिओं के लोगों से संबंध में दूरी होती हुई दिखाई दे रही है। उच्च जातियों के रीति–रिवाजों, व्रत उपवास, देवी देवताओं की पूजा अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
- गोंड जनजाति के विकास में सबसे बड़ी बाधा उनका अशिक्षित होना है। शिक्षा के अभाव के कारण वे पिछड़े हुए हैं और दासता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गोंड जनजाति के लोगों को शिक्षा की ओर आकर्शित करना होगा। विभिन्न तरीके से उन्हें शिक्षा के महत्व को समझा सकते हैं। जैसे उनके गाँव में जाकर शिक्षा की उपयोगिता से सम्बन्धित नाट्य कार्यक्रम प्रस्तुत करके या उन्हें घर–घर जाकर शिक्षा के महत्त्व को बताना होगा। आज के दौर में शिक्षा के बिना किसी का भी सम्पूर्ण विकास नहीं किया जा सकता है।
- गोंड जनजाति में अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ प्रचलित हैं जो प्राचीनकाल से इन्हें विरासत में मिली हैं लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के सम्पर्क के कारण ये अपनी संस्कृति को हीन समझने लगे हैं। धीरे–धीरे गोंड जनजाति कि कलाकृतियाँ विलुप्त होती जा रही है। लोकनृत्य व नाट्यकला जो इनकी संस्कृति का अभिन्न अंग है वह धिरे–धिरे समाप्त होती जा रही हैं। प्रशासनको गोंड जनजाति की कलाकृतियों को समाप्त होने से बचाना चाहिए। इसके लिए सरकार को गोंड जनजाति के कलाकृतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। गोंड जनजाति की गरीबी भी इन्हें कलाकृतियों से दूर करती है। इनके पास इतना धन नहीं है कि ये कलाकृतियों पर खर्च कर सकें। प्रशासनको इन्हें आर्थिक मदद प्रदान करनी चाहिये

ताकि इनकी कला को जीवित रखा जायें और देश के विभिन्न भागों के गोंड जनजाति को कलाकृतियों से अवगत कराया जा सके। गोंड जनजाति को उनकी संस्कृति के प्रति जागरूक करना होगा और उनकी कलाकृतियों को आर्थिक व सामाजिक प्रोत्साहन प्रदान करना होगा। वरना आने वाले समय में गोंड जनजाति के कलाकृतियॅ अवशेष मात्र ही रह पायेंगे।

- गोंड जनजाति की अर्थव्यवस्था वन पर आधारित है उनके जीविका के प्रमुख आधार लकड़ी काटना, वन उपज संग्रहण, शहद एकत्रण, महुआ एकत्रण, तेंदूपत्ता एकत्रण आदि सभी कार्य वन से ही जुड़े हुए हैं लेकिन वनों पर सरकार का अधिकार होने के कारण गोंड जनजाति से उनके अधिकार छीन लिए हैं। जिससे गोंड जनजाति की स्थिति निम्न होती जा रही है। आये दिन उन्हें वन विभाग अधिकारीयों का सामना करना पड़ता है। प्रशासनको गोंड जनजाति की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये वनों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वे वनों से प्राप्त वस्तुओं को प्राप्त कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला सके।
- गोंड जनजाति बहुल क्षेत्रो में आधुनिक संचार एवं यातायात के साधनों कि कमी है। गोंड जनजाति के विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें आधुनिक संचार साधनों व यातायात साधनों से जोड़ा जाए। प्रशासनको उचित संचार साधनों और यातायात के आधुनिक साधनों की व्यवस्था करना चाहिए जिससे यह सभ्य समाज के सम्पर्क में आयेंगे और आधुनिक तोर तरीकों से अवगत होंगे, नगरों व महानगरों में नजदीकी बढ़ेगी। जो इनके विकास में सहायक सिद्ध होगा। प्रशासन को उचित संचार साधनों की व्यवस्था करना चाहिए।
- गोंड जनजाति क्षेत्रो में प्राथमिक स्कूलों का संचालन किया जा रहा है जिसमें इनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो युवा अशिक्षित हैं उन्हें कैसे शिक्षा प्रदान की जायें यह एक गम्भीर समस्या है। प्रशासन को एक ऐसे समूह का चयन करना चाहिए जो इन्हें इनके मनचाहे समय पर नियमित शिक्षा प्रदान कर सके तभी गोंड जनजाति में शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है। यदि शिक्षा का स्तर ऊँचा उठेगा तो अनेक अन्य समस्याएं समाप्त हो जाएंगे।
- संविधान में आदिवासियों को राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण दिया गया है। मगर राजनीति में विशिष्ट वर्गों के नेताओं द्वारा आदिवासी लोगों के नेताओं को काम करना पड़ रहा है। राजनीति में आदिवासी नेताओं को उनके मन से काम करने नहीं दिया जाता है। आदिवासियों की अलग पार्टी बनाई गई तो आदिवासियों में आपस में झगड़े लगाए जाते हैं। उनको उनके जमाती के विकास के लिए निर्णय लेने में कठिनाइयां पैदा होती है।

सन्दर्भ :—

1. राजपूत, उदयसिंह (२०१०) 'आदिवासी विकास एवं गैर सरकारी संगठन' रावत पब्लिकेशन, जयपुर पृष्ठ. क्रमांक ५३.
2. ताराम, सुन्हेरसिंह, (२०१०), अभिनन्दन ग्रन्थ गोंडवाना रजत महोत्सव, गोंडवाना गोंडी साहित्य परिषद् एवं अखिल भारतीय गोंड महासभा छतीसगढ़, रायपुर पृष्ठ क्र. ५७.
3. शर्मा, मंजू (२००६), 'भारत में सामाजिक संरचना एवं जनजातियां', राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर.पृष्ठ क्र. १६६.
4. ताराम, सुन्हेरसिंह, (२०१०), अभिनन्दन ग्रन्थ गोंडवाना रजत महोत्सव, गोंडवाना गोंडी साहित्य परिषद् एवं अखिल भारतीय गोंड महासभा छतीसगढ़, रायपुर पृष्ठ क्र. ८१.

जल, जंगल और जमीन संबंधी आदिवासी समुदाय की समस्याएं और सुझाव

डॉ. मनोहर भी. येरकलवार

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर-२६. ई. मेल- yerkalwarpws@gmail.com

Abstract

भारतीय आदिवासी समुदाय का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। हजारों साल पहले आदिवासी समुदाय को सभ्यता से बहिष्कृत कर जंगलों में धकेल दिया गया था। तब से यह समुदाय जंगल में रहते हुए अपने पवित्र संस्कृति की विरासत को कायम रखकर पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन जीता हुआ नजर आ रहा है।आदिवासी समाज के संस्कृति में मानवीयता का गुण ओतपोत भरा हुआ दिखाई देता है। उनके आचरण में सत्य, दया, करुणा, प्रेम, सौदार्य, भाईचारा,अतिथि सत्कार ऐसी कई गुण कूट-कूट कर भरे हुए दिखाई देते हैं। जब-जब आदिवासी समुदाय के संस्कृति, परंपरा, जल, जंगल और जमीन पर बाहरी आक्रमण हुआ तब तब यह लोग बाहरी आक्रमण के खिलाफ एकसंग होकर खड़े हुए और उनका कड़ा सामना किया। इस तरह से आदिवासी समुदाय की अस्मिता का प्रश्न उनके जल, जंगल, जमीन तथा प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों से जुड़ा है। उनके पास अगर जल, जंगल, जमीन नहीं हो तो उनको जीवनयापन करना बंद हो जाएगा। इस तरह उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए आदिवासी समुदाय की लड़ाई पर्यावरण की रक्षा के लिए लड़ी गई है। विकास की सारी रुकावट के लिए सरकार को दोषी ठहरा दिया जाता है। आदिवासियों का विकास सचमुच तभी संभव हो पाता है, जब सुविधाओं की पहुंच में आनेवाली बाधाओं को और नेतृत्व के नाम पर किए जानेवाले शोषण को दूर किया जा सके।

Keywords:- *जल, जंगल, जमीन, आदिवासी समुदाय*

प्रस्तावना

भारत में प्राचीन काल से आदिम जनजातियां जंगलों, पहाड़ों में निवास करती है। उनका जीवन प्रकृति पर निर्भर होता है। प्रकृति की रक्षा करना वे अपना परम कर्तव्य मानते है। उनकी संस्कृति और सभ्यता बहुत ही मोल्यवान थी। पंडित जवाहरलाल नेहरूजी कहते है कि, 'जनजातिय लोक और जनजातिय संस्कृति बिल्कुल निकृष्ट नहीं है। कुछ अपराधों को छोड़कर जनजातिय जीवन आधुनिक जीवन की अपेक्षा अधिक अच्छा है। हम जनजातियों से अनुशासन प्रियता, सहयोग एवं सहकारिता की भावना, प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य की भावना, मित्रता, एकता जैसे आदि अनेक गुणों को सीख सकते हैं।'[१]भारत में कई ऐसे विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती है। भारत के दुर्गम क्षेत्रों में आज भी ऐसे अनेक मानव समूह है, जो हजारों वर्षों से शेष विश्व की सभ्यता से दूर है। तथापि अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की पहचान बनाए हुए है। पुरातात्विक अथवा साहित्यिक प्रमाण इस बात की पुष्टि करते है कि, भारत के मूल निवासी यही जनजातिय वर्ग थे। उनका जीवन जीने का तरीका बहुत ही सरल था।

प्रारंभ में अंग्रेज सरकार की यह नीति थी कि, भारत के आदिवासी लोगों को सभ्य समाज से अलग ही रखा जाए और जब अशांति या विद्रोह की संभावना हो तो समय अनुसार कानून और न्याय के द्वारा उनको बंदिस्त किया जाए। यह इस नीति में कुछ वर्षों बाद अंग्रेजों ने बदलाव किया जब अंग्रेज मिशनरियों का और अधिकारियों का ध्यान आदिवासी क्षेत्रों में पाई जानेवाली प्राकृतिक वनस्पति, उपजाऊ भूमि और खनिज संसाधनों पर पड़ी तब से उनका पूरा ध्यान इस क्षेत्र पर आकर्षित हुआ। और उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों

में कर वसूल करने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया और इस तरह जमींदार जबरन में कर वसूल करने लगे। जो आदिवासी कर देने में असमर्थ होते थे, उनकी भूमि इस जमींदारों द्वारा छीन ली जाती थी। इस तरह से भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया के कारण आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में कई संघर्ष हुए। इन सारी आंदोलनों को अंग्रेजों ने सैन्य बल के द्वारा शांत कर दिया गया। इस तरह आदिवासियों का संगठन देखकर ब्रिटिश सरकार को मजबूरन आदिवासियों के विकास की ओर ध्यान देना पड़ा। ताकि भविष्य में इस तरह से क्रांतिकारी विद्रोह ना हो और इसका ब्रिटिश सरकार को नुकसान ना पहुँचे। इसीलिए आदिवासियों का विकास करने के लिए 'रेगुलेशन एक्ट 1796 के तहत आदिवासी मुखियाओ तथा उपमुखियाओंको ₹15000 वार्षिक पेंशन देने के साथ-साथ कई दीवानी एवं फौजदारी अधिकार भी प्रदान किए गए।'२इस तरह आदिवासी समुदाय की पहचान उनकी अस्मिता से जुड़ी हुई है। आदिवासी समाज में आदिवासी अपनी समान जीवन स्थितियों एवं दुख दर्द को एक साथ समझौते हुए मानवता को अपनाते हैं।

जल, जंगल और जमीन संबंधी आदिवासी समुदाय की समस्याएं :-

भारतीय आदिवासी समुदाय का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। हजारों साल पहले आदिवासी समुदाय को सभ्यता से बहिष्कृत कर जंगलों में धकेल दिया गया था। तब से यह समुदाय जंगल में रहते हुए अपने पवित्र संस्कृति की विरासत को कायम रखकर पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन जीता हुआ नजर आ रहा है। जब-जब आदिवासी समुदाय के संस्कृति, परंपरा, जल, जंगल और जमीन पर बाहरी आक्रमण हुआ तब तब यह लोग बाहरी आक्रमण के खिलाफ एकसंग होकर खड़े हुए। और बाहरी आक्रमण का कड़ा सामना किया। इस तरह से आदिवासी समुदाय की अस्मिता का प्रश्न उनके जल, जंगल, जमीन तथा प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों से जुड़ा है। उनके पास अगर जल, जंगल, जमीन नहीं हो तो उनको जीवनयापन करना बंद हो जाएगा और उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए आदिवासी समुदाय की लड़ाई पर्यावरण की रक्षा के लिए लड़ी गई है। पहली बार जब उनके जल, जंगल, जमीन पर अंग्रेजों ने हमला किया तब अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह (1785), संथाल विद्रोह (1855), मुंडा विद्रोह (१९००) इन आंदोलनों के द्वारा अंग्रेजों को हैरान किया गया था।

इस प्रकार आदिवासी समाज सभ्य समाज से अलग-थलग था। मगर अस्पृश्य कभी नहीं रहा। उसके जीवनी एवं लोकानूरंजन में सामूहिकता है। ब्रिटिश शासन यह जानता था कि, आजादी की कुर्बानी अगर सबसे ज्यादा किसी समाज ने दी है, तो वह आदिवासी समाज ही है। आदिवासियों ने चाहे किसी कानून का उल्लंघन किया हो या न किया हो लेकिन इतना तो जरूर है कि,"विदेशी शासन के औपनिवेशिक चरित्र को सबसे पहले उन्होंने ही समझा और उसके बदले में उन पर बेतहाशा जुल्म ढाए गए। इसलिए उन्हें अपराधी जाती घोषित किया गया जिसका दंश आज तक यह समाज झेल रहा है।"३ सभ्य समाज में पाई जाने वाली कुरीतियां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा जीवन, सती प्रथा, पर्दा प्रथा से आदिवासी समाज कोसों दूर थे और आज भी इन समस्याओं से वे बहुत दूर है। अंतः सभ्य समाज को विकसित कहना और आदिवासी समाज को पिछड़ा कहना एक विचारशील प्रश्न आज मेरे सामने खड़ा है। इस समाज का बहुत कम हिस्सा लोकतंत्र एवं विकास से जुड़ पाया है। और इसे हम विडंबना ही कहेंगे कि संविधान में आदिवासी उत्थान से संबंधित बहुत सारे प्रावधान होने के बावजूद भी इस जनजाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बावजूद आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट और अनूठी जीवन शैली के साथ अभी भी चल रहा है।

अध्ययन की विषयवस्तु

जनजाति के लोग पठारी और जंगली भागों में निवास करते है। आदिवासी जनजाति का सर्वांगीण विकास करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे है। विभिन्न प्रकार के विकासात्मक उपायों के माध्यम से आदिवासी जनजाति में सामाजिक परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। सामाजिक परिवर्तन होते हुए कुछ अच्छे मूल्यों का विकास होता हुआ दिखाई देता है। आदिवासियों कों विकास के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे है, उसका दुष्प्रभाव इस जनजाति पर हो रहा है। एक तरफ उनका नागरिकरण, संस्कृतिकरण, वैष्विकरण, शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है और खेती में भी सुधार हो रही है। तब उसी समय उसकी अपनी संस्कृति और मुल्यों का ह्रास हो रहा है। उनका जीवन जिस पर है वह निसर्ग का भी ह्रास हो रहा है।निहार रंजन राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संदर्भ देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि, 'एकोनिसवी शताब्दी के अंतिम दशकों में कांग्रेस के एजेंडा में दलित वर्ग शामिल था, लेकिन आदिवासी समाज नहीं रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने ११ जुलाई सन १९९७ के अपने एक निर्णय में स्पष्ट कहा कि, संविधान की मंशा है कि, अनुसूचित क्षेत्रों की जमीन हमेशा आदिवासियों की बनी रहे अन्यथा इन क्षेत्रों की शांति भंग होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा।'४ वैश्वीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, रस्ते, प्रकल्प के निर्माण हेतु उनका जंगल और अन्य संपत्ति का भी नाश हो रहा है। उसी के साथ वन्य प्राणियों को भी संकट में डाल दिया जा रहा है। इन सारी समस्याओं को जानने के लिए इस विषय पर अनुसंधान करने का निश्चय किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रत्येक वैज्ञानिक शोध के मूल में कोई न कोई उद्देश अवश्य होता है। किसी भी चीज को जानने की इच्छा ही अध्ययनकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में आमंत्रित करता है। सामाजिक शोध सामाजिक वास्तविकता से सम्बन्धित है। अतः इसका उद्देश सामाजिक वास्तविकता को यथा सम्भव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप में समझना है। इसका उद्देश केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। अपितु ज्ञान कोव्यवहारिक जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं केसमाधान केलिये प्रयोग में लाना है। किसी भी अनुसंधान का मौलिक उद्देश ज्ञान में वृद्धि करना होता है। इस उद्देश को सफल करने का प्रयास किया गया है। इस अनुसंधान विषय के लिए निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये थे। :-

१) आदिवासीयों के जल, जंगल ओर जमीन के बदलते प्रतिमाणों का अध्ययन करना।

उपकल्पना

शोध कार्य हेतु उपकल्पना एवं परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अत्यंत सामान्य परिकल्पना की स्थिति में यथार्थ निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकता।उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। उपकल्पना दो अथवा दो से अधिक चरों के बीच अनुभवमुलक संबंध का अनुमानित विवरण है। उपकल्पना एक प्रारम्भिक विचार है, जो सामाजिक तथ्यों व घटनाओ की खोज करने में मदद करती है। इस अनुसंधान विषय के उपकल्पना यह थे।

१) औद्योगिकरण, नागरिकरण, भूमंडलीकरण से आदिवासीयों के जल, जंगल ओर जमीन कि व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है।

संशोधन ढांचा

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य में अनुसंधान प्ररचना का स्वरूप वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक शोध प्ररचना में अध्ययन विषय के संबंध में उपलब्धियों का वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसके माध्यम से शोध समस्या के विभिन्न आयामों पर प्रकाश पढ़ सकें और अध्ययन का सही निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोगी साबीत होता है।

आदिवासियों में जल, जंगल, जमीन को बचाए रखने के लिए टोटम की व्यवस्था महत्वपूर्ण दिखाई देता है।टोटम के माध्यम से आदिवासी समुदाय में वृक्षों को देवताओं का निवास स्थान मानकर वे उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह से आदिम समाज में पौधों, पशुओं को बचाए रखने का प्रयास किया गया है। आज भी बड़े पैमाने पर जल, जंगल, जमीन की रक्षा आदिवासियों द्वारा ही किया जा रहा है। जल, जंगल के विध्वंस का कारण यहां के ठेकेदार, जंगलअधिकारी और कुछ स्थानीय नेताओं की मिलीभगत का नतीजा दिखाई देता है। आदिवासी समुदाय ने जिनकी हजारों सालों से रक्षण करता आया है। उसकी ही हानि होती जा रही है। जंगल गया तो जमीन भी जाती है और इससे जुड़ा जल की मात्रा भी कम होती है। इस तरह जंगल, जमीन और जल की त्रिवेणी संगम को छीन लिया जा रहा है। तो आदिवासियों के जीवन में बचा ही क्या है। इसीलिए उसकी रक्षा करने का फर्ज हर व्यक्ति का बनता है। जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने के लिए केवल अकेला आदिवासी समुदाय संघर्ष करते हुए नजर आ रहा है। अगर जल, जंगल, जमीन का अस्त हो जाता है, तो पूरा सजीव सृष्टी ही नष्ट होने में देर नहीं लगती।

निष्कर्ष एवं सुझाव

विभिन्न तथ्यों की विवेचन एवं विश्लेषण केआधार पर प्रस्तुत निष्कर्ष इस सामाजिक यथार्थ कोरेखांकित करते हैं कि, वर्तमान में अदिवासियोंकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। और वे गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा उनकी स्थिति में सुधार करने केलिये अनेक योजनाए कार्यरत की हैं। लेकिन इन सारी योजनाओ की सही तरह की जानकारी इस जनजाति के लोगों को ना होने केकारण, वे इन सारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आदिवासी समाज के संस्कृति में मानवीयता का गुण ओतपोत भरा हुआ दिखाई देता है। उनके आचरण में सत्य, दया, करुणा, प्रेम, सौदार्य, भाईचारा,अतिथि सत्कार ऐसी कई गुण कूट-कूट कर भरे हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए उनके इस भोलेपन का फायदा अन्य लोगों द्वारा दिया जा रहा है। इससे आदिवासियों की स्थिति दिन-ब-दिन बिखरती हुई दिखाई देती है।

आदिवासियों के हित के नाम पर चलाए जाने वाले आंदोलनों के तहत कभी जंगलों की कटाई की जाती, तो कभी भोले आदिवासियों को अपराधी कामों में झोंक दिया जाता है। दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना कुछ लोगों का पैसा कमाने का साधन हो गया है। विकास की सारी रुकावट के लिए सरकार को दोषी ठहरा दिया जाता है। आदिवासियों का विकास सचमुच तभी संभव हो पाता है, जब सुविधाओं की पहुंच में आनेवाली बाधाओं को और नेतृत्व के नाम पर किए जानेवाले शोषण को दूर किया जा सके। आदिवासी कहलाने के हकदार तभी है, जब वे अपनी जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और परंपराओं को बचाए और बनाए रखने में समर्थ और यशस्वी हो।

 सरकार द्वारा सभी जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर इन प्रयासों के बावजूद भी जनजातियों में विकास नहीं दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं

लागू कि जाती है, वे योजनाएउन लोगों तक पहूँच नही पाती है। आज भी महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के भामरागढ़ तहसील में कोई कर्मचारी, अधिकारी नौकरी करने के लिए नहीं जा पाता है। क्योंकि वहाँ जाने के लिए सही तरह से रास्ता नहीं है। वहाँ के लोगों के लिए बिजली की सुविधा भी उपलब्ध नही है। आदिवासी विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते है।

 अदिवासियोंकी अर्थव्यवस्था वन पर आधारित है। उनकेजीविका केप्रमुख आधार लकड़ी काटना, वन उपज संग्रहण, शहद संकलन, महुआ एकत्रण, तेंदूपत्ता संकलन आदि सभी कार्य वन से ही जुड़े हुए हैं लेकिन वनों पर सरकार का अधिकार होने केकारण आदिवासियों से उनकेअधिकार छीन लिए हैं। जिससे आदिवासियोंकी स्थिति निम्न होती जा रही है। आये दिन उन्हें वन विभाग अधिकारीयों का सामना करना पड़ता है। प्रशासनकोआदिवासियों की अर्थव्यवस्था में सुधार केलिये वनों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वे वनों से प्राप्त वस्तुओं कोप्राप्त कर सकेऔर अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला सके।

 आदिवासी समाज उच्च वर्ग की व्यवस्था से पीड़ित रहा है। उनका सभी अंगों से शोषण हुआ है। आदिवासी विभागों में शिक्षा देने के लिए आश्रम शालाओं का निर्माण किया गया है। मगर आश्रम शालाओं में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। आश्रम शालाओं में बच्चों को खाने के लिए अच्छा खाद्यान्न नहीं मिलता है। रहने की अच्छी सुविधा नहीं है। आश्रम शालाओं में अच्छी तरह से शिक्षा भी नहीं दी जाती है। आश्रम शालाओं में बच्चों का शोषण किया जाता है। ऐसी स्थिति होने के बाद बच्चे कैसे शिक्षा लेंगे। इस तरह से आदिवासि बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्सुकता नहीं दिखाई देती है।

 आदिवासियों की आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके जल, जंगल, जमीन पर सरकारी एवं गैरसरकारी संघठनों द्वारा उनकी अच्छी संपन्न जमीन उनसे विकास के नाम पर छीना जा रहा है। इसके माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई दिखाई देती है। उनके जंगलों पर ठेकेदारों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उनके अशिक्षित होने का फायदा अमीर लोगों द्वारा उठाया जाता है। उनके ही जमीन पर उन्हें ही वेठबिगारी जैसे काम करना पड़ रहा है। उनके जंगलों से खनिज संपत्ती निकाली जा रही है। बड़े-बड़े कारखाने बनवाए जा रहे हैं। उस कारखाने में इन आदिवासियों के बच्चों को निचले दर्जे की काम पर रखा जा रहा है। इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही है। इस कारण महाराष्ट्र के विदर्भ में किसानों की आत्महत्याओं में ज्यादा तो आदिवासी किसान की आत्महत्या होती हुई नजर आ रही है।

 आदिवासी समाज आज की इस दौर में अपनी अस्मिता और अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। जो इस जनजाति के अस्तित्व और पहचान के लिए अत्यंत खतरनाक है। इस समुदाय के लोगों से विकास के नाम से उनकी जमीन, जंगल छिनी जा रही है। सदियों से जंगल में रहने के बावजूद भी उन्हें उसी जंगल से बाहर निकालकर बेदखल किया जा रहा है।

 जनजातिय इलाकों में गैर जनजातिय लोगों की बसावट से इस समुदाय की भाषा, संस्कृति, पर्यावरण लुप्त होने के कगार पर आ गई है। औद्योगिकरण के नाम से उनके जंगल को काटा जा रहा है। इस तरह से जंगल के वनऔषधि लुप्त होते जा रही है। जिसकी उन्होंने सदियों से रक्षा करते आए हैं।

 शासन द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू की अधिकांश योजना और सफल भी हुई है। क्योंकि योजना बनाने में स्थानीय आदिवासी लोगों से किसी प्रकार से सलाह नहीं किया

गया। मात्र बजट खर्च करने के लिए योजनाएं लागू की जाती है। शासन द्वारा सामग्री तो आदिवासियों को प्रदान किया जाता है। लेकिन उपयोग करने की विधि नहीं बताई जाती।

 जंगल जमीन के चक्कर में एक गांव के आदिवासी दूसरे गांव के आदिवासी से लड़ कर मर रहे हैं। जंगल जमीन के गांव वाले आतंकवादियों का सहारा लेकर अपने नाम से करने का प्रयास कर रहे हैं। यह आतंकवादी आदिवासी लोगों और सरकारी अमल दारो को डराते धमकाते हैं। जंगल तो न हो रहा है ताकि गांव वाले आपस में लड़कर एक दूसरों का दुश्मन बन जा रहे हैं। इसका फायदा उस भूमाफिया, दलाल लोग, व्यापारी लोग ले रहे है। आतंकवादियों द्वारा इनका शोषण होते हुए दिखाई दे रहा है।

संदर्भ

१. *राजपूत, उदयसिंह (२०१०) 'आदिवासी विकास एवं गैर सरकारी संगठन', रावत पब्लिकेशन, जयपुर. पृष्ठ क्र. ९.*

२. *अटल, योगेश, सिसोदिया, यतींद्रसिंह (2011), 'आदिवासी भारत' रावत पब्लिकेशन, जयपुर. पृष्ठ क्र. 124*

३. *डामोर टी.सी., सिंह, धनपत (संपादक) (२०१३) 'आदिवासी भारत जैसा देखा', अलख प्रकाशन, जयपुर. पृष्ठ क्र.8*

४. *मीना, हरिराम (2013), 'आदिवासी दुनिया' नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, दिल्ली, पृष्ठ क्र. 19*

३. स्थलांतरित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति पर कोविड-१९ प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. मनोहर भी. येरकलवार
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर-२६.

सारांश

जनजातिय क्षेत्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण घटक के रूप में महत्त्व दिया जा रहा है। क्योंकि औद्योगिक मंदी, आर्थिक अस्थिरता, पूंजी बाजार की अनियमितता, बेरोजगारी, उदारीकरण के खतरें का सामना जनजातिय क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ रहा है। योजना आयोग के गठन के बाद ७० सालों में भारत सरकार द्वारा गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए करोड़ों रुपए व्यय करने के बाद भी देश में गरीबी और बेरोजगारी कि समस्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले तीन दशकों में, भारत में कई सरकारें आई और गई, लेकिन थोड़े–थोड़े अंतर के साथ, उन्होंने समान आर्थिक और श्रम नीतियों को लागू किया गया वे परिपूर्ण नहीं है। आज की यह स्थिति केवल कोरोना महामारी के कारण उसी नीति की संतान है। इन सब को ध्यान में रखते हुए, आज जो स्थलांतरित श्रमिकोंकी समस्याएँ निर्माण हुए हैं, उनका सवाल किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व के पक्ष में नहीं है, बल्कि व्यवस्था के बारे में है जिस कारन यह समस्याएँ निर्माण हुए है। सरकार द्वारा इस स्थलांतरित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए कृषि, शिक्षा, बिजली, जल, चिकित्सा, लघु एवं कुटीर उद्योगों, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में गाँवों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ताकि गाँव आत्मनिर्भर हो सके और ऐसी कोई भी समस्या आए तो उसका सामना कर सके।

किवर्ड :– स्थलांतर, जनजाति, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति, कोविड–१९.

प्रस्तावना

जनजातिय समाज में व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामाजिक हित को प्रथम प्राथमिकता मिलती है। इस समाज में निजी स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं रहता। सामाजिक नियमों और परंपराओं का पालन करना सबके लिए बंधनकारक होता है। नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होता है। ऐसे खुशहाल भारतीय जनजातिय समाज में विदेशी आक्रमण से धिरे–धिरे बदलाव होते गए। ''अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारंभ करने पर देश में जमीनदारी प्रथा का धीरे–धीरे विकास होने लगा। इसके साथ ही देश में एक ऐसा प्रस्थापित वर्ग विकसित हो गया, जो अंग्रेजों के सेवक थे वे अंग्रेजो का हित चाहते थे। उन्होंने अपने ही देश के कृषकों की तनिक भी चिंता न करते हुए, छोटे किसानों का शोषण करना प्रारंभ किया। इनके अत्याचारों से उत्पीड़ित भारतीय किसान कृषि सुधार में रुचि नहीं ले सके। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था अपने ही देशवासियों का भरण पोषण करने हेतु और सहायक प्रतिक हुई। इस तरह से कृषि की बिगड़ती हुई व्यवस्था के कारण

लोग कृषि से हट कर अन्य छोटे—छोटे उद्योग धंधों में रुचि लेने लगे।''[१] इससे धीरे—धीरे ग्रामीण जनजातीय समाज कि अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। गाँव के व्यावसाय धीरे—धीरे बंद होते गए। इसलिए गाँव में बेकारी बढ़ने लगी और जनजातिय लोगों का शहरों के तरफ रोजगार की खोज में स्थानांतरण होना प्रारंभ हुआ।

जनजातिय क्षेत्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के महत्वपूर्ण घटक के रूप में महत्त्व दिया जाता है। क्योंकि औद्योगिक मंदी, आर्थिक अस्थिरता, पूंजी बाजार की अनियमितता, बेरोजगारी, उदारीकरण के खतरों का सामना जनजातिय क्षेत्रों के लोगों करना पड़ रहा है। योजना आयोग के गठन के बाद ७० सालों में भारत सरकार द्वारा गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए करोड़ों रुपयों का व्यय करने के बाद भी देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। भारत सरकार द्वारा आज तक इस जनजातिय समाज के लिए आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, दवाइयां, रोजगार, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा आदि की उपलब्धता कराने में पूर्णता असफल रही है।

स्थलांतरित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति पर कोविड — १९ का प्रभाव

स्थलांतर एक जैविक घटना नहीं है। स्थलांतर यह एक निवास स्थान को बदलने और स्थायी रूप से एक क्षेत्र या देश में रहने की प्रक्रिया है। संयुक्त राष्ट्र के जनसांख्यिकी शब्दकोश के अनुसार, 'स्थलांतर एक ऐसी घटना है जिसमें लोग एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में चले जाते हैं। जब लोग अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने चले जाते हैं, तो इसे स्थलांतर कहा जाता है।' इसके अलावा, स्थलांतर देश में आबादी के वितरण और श्रम की आपूर्ति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थलांतर सामाजिक परिवर्तनों के रुझान को दर्शाता है। औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लोग खेतों से उद्योगों की ओर, गाँवों से शहरों की ओर, एक शहर से दूसरे शहर की और एक देश से दूसरे देश में पलायन करते हैं। इसे स्थलांतर कहते है।

महाराष्ट्र सरकार ने जनजातिय क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु पंचायतों की एक सर्वश्रेष्ठ अभिकरण के रूप में मान्यता देते हुए त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत ग्राम स्तर पर ग्रामपंचायत, मंडल स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिल्हा परिषद का निर्माण किया गया है। यह जनजातिय क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। जनजातिय क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, पीने के पानी की समस्या, निवास की समस्या, निर्धनता की समस्या, बेरोजगारी ऐसे कई सामाजिक समस्याएं प्रतिवर्ष कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। यह अवस्था महाराष्ट्र के सभी भागों के जनजातिय क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पिने का शुद्ध पानी के अभाव में जनजातिय जनता की हालत बहुत ही गंभीर होती जा रही है।

आज के विज्ञान युग में सारा विश्व एक व्यापक समाज के रूप में परिवर्तित होते जा रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टि से समाज एक दूसरों के निकट आ रहे हैं। तो दूसरी और उन सभी में नैतिक, मानसिक दूरी दिन ब दिन बढ़तीही जा रही है। भारत सरकार ने जुलाई २००० में कृषी पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की यह नीति सरकार के प्राकृतिक संसाधनों भूमि, जल, जंगल एवं कृषि के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इस नीति में यह भी तय किया गया है कि, ''जिसमें जमीन पर जैविक दबाव बनाए रखने तथा कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग में अविवेकी बदलाव

पर नियंत्रण लगाया जा सके। अनुपयोगी बंजर भूमि का उपयोग कृषी एवं वनीकरण के लिए होना चाहिए।''[२] इस तरह से भारत सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि, कृषि क्षेत्र में अनुकूल आर्थिक वातावरण का निर्माण करें। जिससे जनजातिय लोगों के रोजगारी में वृद्धि होगी उसके साथ ही उसके पूंजी निर्माण में भी वृद्धि होगी। आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, संस्कृतीकरण और शहरीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ है। वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण शिक्षा का प्रसार, प्रचार शहर की ओर होनेवाला स्थलांतर अन्य समाज से संपर्क आने के कारण इस जनजातिय लोगों के संरचना में भी परिवर्तन दिखाई देता है। संचार साधनों का विकास यह भी स्थलांतर को प्रोत्साहित करता है।

इन स्थलांतरित जनजातिय लोगों को पूरी तरह से रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर भी जो भी काम मिलता है, वह काम करते हैं और उसी में ही संतुष्ट रहते हैं। इसमें से कुछ लोग पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, दैनिक मजदूरी, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, चाय का ठेला, पानी पूरी का ठेला, पान शॉप, सब्जी, फल बेचने का काम करना और महिलाओं के लिए बर्तन और कपड़े धोना, घर घर जाकर काम करना, माली का काम करना, मकान बनाने में मदत करना इस तरह से काम करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं।

पिछले तीन दशकों में, भारत में कई सरकारें आई और गई, लेकिन थोड़े अंतर के साथ, उन्होंने समान आर्थिक और श्रम नीतियों को लागू किया। आज की स्थिति केवल कोरोना महामारी के कारण उसी नीति की संतान है। इन सब को ध्यान में रखते हुए, आज जो स्थलांतरित श्रमिक पैदा हुए हैं, उनका सवाल किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व के बारे में नहीं है, बल्कि व्यवस्था के बारे में है उस व्यवस्था में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक जनजातियों कि ऐसी ही स्थिति रहेगी।

सन १९९१ के बाद, वैश्वीकरण के बवंडर में बाजार का महत्व बढ़ गया है ओर सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति हुई। मुट्ठी भर शिक्षित लोगों को रोजगार मिला और बाजार में उछाल आया। जीवनशैली बदल गई। मध्यम वर्ग द्वारा नव—समृद्ध वर्ग का निर्माण किया गया। उन्होंने कुल सार्वजनिक जीवन में अपनी खुद की एक जगह बनाई। इसने मुट्ठी भर लोगों का जीवन उज्ज्वल कर दिया, लेकिन कई लोग निर्वासित हो गए। जो लोग विकास के चक्र की रेखा पर थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया।

इस बेरोजगारी के कारन शहर को सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं, और यह गरीब आदिवासी मजदूर बनकर चक्रीय शोषण का शिकार बन जाते हैं। इस तरह इस जनजाति के युवा ओर स्त्रियों को जिस्मफरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता है। यह जल्दी ही एड्स जैसे रोग की चपेट में आ जाते हैं और इनके बच्चे अनाथ और भविष्य हीन हो जाते हैं। ''बेकार यूवकों का शोषण दबंग लोग गलत धंधों में लगाकर करते हैं, जिसके कारण अंतत: यह युवक पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं। कुछ आदिवासी युवा पुलिस और अपने मालिकों का विरोध करते हैं। जिन्हें नक्षलवादी घोषित कर दिया जाता है और पुलिस इनका फर्जी एनकाउंटर कर अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती है।''[३]

कोरोना महामारी के दौरान, उत्पादों की बिक्री, बाजार सेवाएं और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय सभी प्रभावित हुए थे। ठेकेदार द्वारा वेतनभोगी मजदूरों का रोजगार छीन लिया गया। आज स्थलांतरित आदिवासी श्रमिकों कि समस्याएँ गंभीर गए। इस संकट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

द्वारा २१ दिनों के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के बाद, कई शहरों में बसस्टैंड, रेलवे स्टेशन हजारों प्रवासी श्रमिकों से भर गए थे। सार्वजनिक और निजी परिवहन बंद होने के कारण, कई लोग पैदल ही अपने गाँव जाने का इंतजार करने लगे। उनमें से कई स्थलांतरित मजूर पैदल ही अपने घर निकले उन्हें अपने घर पहुंचने में कई दिन लगे। कुछ ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आज की कोरोना स्थिति में सरकार या पुलिस के लिए प्रवासियों के एक समूह को नियंत्रित करना मुश्किल होता है और इस गरीब, लाचार लोगों पर बेशक लाठीचार किया जाता है। ऐसे स्थिति में सर्कार द्वारा वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति पर पुनर्विचार करना अपरिहार्य हो रहा है। विकासशील देश कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़ा संघर्ष करते दिख रहे हैं। सरकार को स्थलांतरित प्रवासियों के उत्थान के लिए एक मजबूत और सुरक्षित योजना बनानी चाहिए। देश में जहां कहीं भी हैं, स्थलांतरित श्रमिक है उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें पहचान पत्र देने की आवश्यकता है। उन्हें मतदान का अधिकार और उन्हें स्थलांतरित शहर में रहने के लिए एक खुद का घर होना चाहिए। संकट के समय कम से कम सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगर सरकार ऐसा कर पाती है, तो आनेवाले समय में स्थलांतरित प्रवासियों को ऐसी कठिन समस्योंका सामना करना नहीं पड़ेगा।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से रोजगार की खोज में स्थानांतरित हुए जनजातीय श्रमिक, कृषक एवं अन्य निर्धन परिवारों का आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। सरकार द्वारा कृषि, शिक्षा, बिजली, जल, चिकित्सा, लघु एवं कुटीर उद्योगों, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में गाँवों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ताकि गाँव आत्मनिर्भर हो सके। भारत का जनजातिय क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समस्याओं से ग्रस्त है। यह गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण सुरक्षा, भ्रष्टाचार, जातिवाद, रूढ़िवादिता, यातायात, संचार, आधारभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, सिंचाई, स्वच्छ पेयजल की कमी तथा अन्य अनेक प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से जूझ रहा है।

विभिन्न तथ्यों की विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत सामान्यीकरण इस सामाजिक यथार्थ को रेखांकित करते हैं कि, वर्तमान में जनजातिय समाज की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है और वे दासता व गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा उनकी स्थिति में सुधार के लिये अनेक योजनाऐं कार्यरत हैं। लेकिन योजनाओ की सही जानकारी न होने के कारण, वे इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। संकलित सामग्री के विश्लेषण में जनजातिय समाज की सामान्य जानकारी या सामान्य परिचय, पारिवारिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जनजातिय समाज की प्रमुख समस्याएं, प्रशासन द्वारा जनजातिय समाज के हित में किए गए विभिन्न प्रकार के सूविधाएँ एवं प्रावधान आदि विवरण प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाला गया है।

- जनजाति समाज में बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त गम्भीर रूप धारण कि है। बेरोजगारी के कारण उनके परिवार का भरण—पोषण कर पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है। इसलिए इस जनजाति के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि उन्हें सालभर रोजगार प्राप्त हो, ताकि उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। प्रशासनद्वारा अनेक रोजगार योजनाये कार्यरत हैं लेकिन

जनजाति के लोगों को इसकी जानकारी न होने के कारण वे इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ज्यो लोग इसका लाभ उठाना भी चाहते हैं उन्हें लम्बी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है और महीनो तक सरकारी दप्तरों के चक्कर लगाना पड़ता हैं। इसलिए वे इन योजनाओं से दूर ही रहते हैं। मजदूरी व कृषी कार्य को ही उचित मानते हैं। प्रशासन को जनजाति को रोजगार सम्बन्धी शीबिर लगाकर इन्हें प्रशासनिक नीतियों की जानकारी प्रदान करना चाहिए व कागजी कार्यवाही बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। इन विभिन्न उपायों से जनजाति की बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा वे सालभर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

- जनजातिय लोगों का शहरों में अपना खुद का मकान नहीं है। वे किराये से रहते है। स्थानांतरित जनजातिय लोगों को शहरी भाग में सरकार की घरकुल योजना का सही तरह से लाभ नहीं हो रहा है।
- जनजातिय भागों में आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, बैंकिंग, बाजार, संचार, अस्पताल आदि सुविधाओं के अभाव के कारण जनजातिय लोग स्थानातरित होते हैं।
- सरकारी अधिकारियों में अच्छे एवं प्रामाणिकता से कार्य करने की प्रेरणा का अभाव ने भी इस स्थिति को अधिक विकट बना दिया है। इन अधिकारी एवं कर्मचारियों के उदासीन वृत्ती एवं भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाएँ एवं नीतियों का क्रियान्वयन सही समय पर उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसलिए जनजातिय लोगों की समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ते हुए दिखाई देती है। इन लोगों की समस्याएं कम करने के लिए सरकार को कोई भी योजना बनाते समय इनकी की समस्याओं को मध्य नजर रखना जरुरी होगा।
- जनजातिय समाज अत्यन्त गरीब है वे न तो स्वयं की स्थिति को ऊँचा उठाना चाहते हैं और न ही समाज के प्रति जागरूक हैं। अशिक्षित होने के कारण उनमें जागरूकता की कमी है। वे संविधान द्वारा दिये गऐ मौलिक अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। इसी कारण शोषण व दासता को अपना नसीब मानते हैं।
- जनजातिय समाज के लोगों को उनकी आमदनी सें उनके पूरे परिवार का सही तरह से भरण पोषण नही हो पाता है। उनके परिवारो में छूपी बेरोजगारी का प्रमाण ज्यादा होने से उनके सालभर की कमाई से उनकी प्राथमिक सुविधाएँ पूरी नही हो पाती है।
- जनजातिय समाज के लोगों को रहणे के लिए आवास की उचित व्यवस्था नही है। जनजातिय समाज के विकास को सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओ में लाभान्वित व्यक्तियों को चिन्हित करना चाहिए।

सुझाव

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। अध्ययन क्षेत्र में संसाधनों के वितरण में उपयोग प्रतिरूप को देखते हुए इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि, उनका अनुकूलतम उपयोग किया जाए जिससे क्षेत्र का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास हो सके। रोजगार के अवसरों की कमी इस

तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज के वर्तमान परिवेश में रोजगार अवसरों में वृद्धि की आवश्यकता है। जो अल्प विनियोग वाले तथा श्रम, घरेलू कुटीर उद्योग द्वारा संभव है।

- जनजातिय जनता के बेरोजगारी एवं स्थलांतरण को रोकने के लिए केंद्रीय नियोजन के दोषों को दूर करना होगा और विकेंद्रीकरण के द्वारा आर्थिक विकास के लाभ प्रत्येक ग्रामवासियों तक पहुंचाना होगा। जब तक सरकार के आर्थिक कार्यक्रम व नीतियों का संचालन व नियमन जनजातिय क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाएं नहीं करती, तब तक जनजातिय क्षेत्रों की बेरोजगारी स्थानांतरण एवं उनके आय में, रोजगार में वृद्धि नहीं हो सकती।
- जनजातिय समुदाय में शिक्षा के प्रचार – प्रसार के माध्यम से वर्तमान में चलाई जा रहीं शैक्षणिक विकास की विभिन्न योजनाओं का ईमानदारी पूर्वक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना आवश्यक है।
- सरकार को जनजातिय समाज को जागरूक बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें प्रशासनद्वारा उनके हित में चलानेवाली योजनाओ की जानकारी उनके गांवों में जाकर प्रदान करनी चाहिए।
- प्रशासन को रोजगार सम्बन्धी शिबिर लगाकर जनजातिय लोगों को प्रशासनिक नीतियों की जानकारी प्रदान करना चाहिए। इन विभिन्न उपायों से जनजातिय समाज की बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा वे सालभर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।
- जब तक सरकार जनजातिय क्षेत्रों में जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान नहीं करती है और रोजगार के अवसरों के साथ जनजातिय क्षेत्रों में उत्पादक युवाओं को प्रदान करती है।
- स्वरोजगार के लिए उत्पादक युवाओं के प्रशिक्षण के लिए जनजातिय केंद्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।
- जनजातिय क्षेत्र में आधुनिक कृषि तकनीकी के प्रवाह को नियमित बनाया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए की जनजातीय किसानों को उत्पन्न किस्म के बीज, पानी, उर्वरक तथा अन्य कृषि आदान समय पर उचित किमतों पर तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाए। छोटे व सीमांत किसानों को इन सुविधाओं के संबंध में प्राथमिकता दी जाए।

संदर्भ

१. माथुर, बि.एल. (२००९), 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, जयपुर. पृष्ठ क्र. ०३.
२. यतींद्रसिंह, सिसोदिया (२०११), 'ग्रामीण विकास सिद्धांत नीतियां एवं प्रबंधन' रावत पब्लिकेशन, दिल्ली. पृष्ठ क्र. १४०.
३. डामोर, टी. सी.,सिंह, धनपत (२०१३) 'आदिवासी भारत जैसा देखा' अलख प्रकाशन, जयपुर पृष्ट क्र. ८७.

नागफनी

A Peer Reviewed Referred Journal

(अस्मिता, चेतना और स्वाभिमान जगाने वाला साहित्य)

UGC Care Listed त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका

ISSN-2321-1504 Naagfani RNI No. UTTHIN/2010/34408

वर्ष 11, अंक 39, अक्टूबर-दिसंबर 2021

संपादक
सपना सोनकर
सह-संपादक
रूपनारायण सोनकर
कार्यकारी संपादक
डॉ. एन. पी. प्रजापति
प्रोफेसर बलिराम धापसे

अतिथि संपादक- प्रोफेसर आर. जयचंद्रन तिरुअनंतपुरम (केरल)

सलाहकार मंडल (Peer Review Committee)

प्रोफेसर विष्णु सरवदे, हैदराबाद (तेलंगाना)
प्रोफेसर किशोरी लाल रैगर, जोधपुर (राजस्थान)
प्रोफेसर दिनेश कुशवाह, रीवा (मध्यप्रदेश)
डॉ. एन. एस. परमार, बड़ोदा (गुजरात)
प्रोफेसर दिलीप कुमार मेहरा, बी.बी. नगर (गुजरात)
प्रोफेसर विजय कुमार रोड़े, पुणे (महाराष्ट्र)
डॉ. उमाकांत हजारिका, शिवसागर, असम
प्रोफेसर संजय एल. मादार, धारवाड (कर्नाटक)
प्रोफेसर गोबिन्द बुरसे, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
डॉ. दादासाहेब सालुंके, महाराष्ट्र (औरंगाबाद)
प्रोफेसर अलका गड़करी, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
डॉ. साहिरा बानो बी. बोरगल, हैदराबाद (तेलंगाना)
डॉ. बलविंदर कौर, हैदराबाद (तेलंगाना)

मुख पृष्ठ- सुरेश मौर्या, ग्राफिक डिजाइनर, बैढ़न-सिंगरौली (म.प्र.)

प्रकाशन/मुद्रण

प्रकाशक रूपनारायण सोनकर की अनुमति से डॉ. एन. पी. प्रजापति एवं प्रोफेसर बलिराम धापसे द्वारा नमन प्रकाशन 423/A अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली 11002 में प्रकाशन एवं मुद्रण कार्य

संपादकीय / व्यवस्थापकीय कार्यालय

दून व्यू काटेज स्प्रिंग रोड, मसूरी-248179, उत्तराखण्ड दूरभाष: 0135-6457809 मो. 09410778718

शाखा कार्यालय

पी.डब्ल्यू. डी.आर-62 ए, ब्लाक कालोनी बैढ़न, जिला-सिंगरौली म.प्र. 486886, मो. 097529964467

सहयोग राशि-150/- रुपये, वार्षिक सदस्यता शुल्क (संस्था के लिए)-1000, रुपये पंचवार्षिक सदस्यता शुल्क (व्यक्ति के लिए)-2000/- रुपये पंचवार्षिक संस्था और पुस्तकालयों के लिए 3000/- रूपये, विदेशों में $50 आजीवन व्यक्ति 6000/- रुपये 10000/- रुपये

सदस्यता शुल्क एवं सहयोग राशि- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक AC 8367100138282 IFSC Code-IPOS0000001. Branch- SIDHI (NIRPAT Prasad Prajapati)

नोट:- पत्रिका की किसी भी सामग्री का उपयोग करने से पहले संपादक की अनुमति आवश्यक है। संपादक - संचालक पूर्णतय: अवैतनिक एवं अध्यावसायिक है। **नागफनी'** में प्रकाशित शोध-पत्र एवं लेख, लेखकों के विचार उनके स्वंय के हैं, जिनमें संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं। **"नागफनी"** से संबंधित सभी विवादास्पद मामले केवल देहरादून न्यायालय के अधीन होंगे। अंक में प्रकाशित सामग्री के पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। सारे भुगतान मनीआर्डर बैंक/चेक/ बैंक ट्रांसफर /ई-पेमेन्ट आदि से किये जा सकते हैं। देहरादून से बाहर के चेक में बैंक कमीशन 50/- अतिरिक्त जोड़ दें।

लेख भेजने के लिए Mail ID: nagfani81@gmail.com Website: http:nagfani.com

नागफनी

अनुक्रम

पृष्ठ क्रमांक

संपादकीय............. 1

आजादी का अमृत महोत्सव

1. आज़ादी का अमृत महोत्सव और श्रमिक उद्धारकः डॉ- बाबासाहेब अम्बेडकर -डॉ नितीन कुंभार 2
2. आजादी के ऑदोलन में हिन्दी का योगदान-मार्सेल लूविस मस्करेन्हस 4
3. कोयम्बत्तूर के स्वतंत्रता सेनानी-डॉ.जी.शांति 6
4. भारत की आजादी और हिन्दी साहित्य - डॉ.बालेन्द्र सिंह यादव 8
5. राष्ट्रोत्थान में साहित्य का योगदान-डॉ. आर.नागेश 13
6. स्वतंत्रता संग्राम और निराला की कविता-डॉ. जस्टी एम्मानुवल 15
7. हिंदी उपन्यासों में चित्रित स्वतंत्रता आंदोलन और आदिवासी-डॉ. संजय नाईनवाड 17
8. बंगाल नवजागरण का भारत के विभिन्न प्रांतों पर प्रभाव-डॉ.अपराजिता जॉय नंदी 20
9. स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता का योगदान-डॉ. रेखा अग्रवाल 24
10. 'राम की शक्तिपूजा'- स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के संदर्भ में- डॉ. विजय महादेव गाडे 26
11. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में छायावादी कवियों का योगदान- डॉ. वीरेश कुमार 29
12. 1857 की क्रान्तिः हाशिए के समाज की स्त्रियों की भूमिका-नित्यानन्द सागर 32

साहित्यिक विमर्श

1. इक्कीसवीं सदी की कहानियों में चित्रित सामाजिक यथाथ-डॉ.पठान रहीम खान 34
1. उपनिवेशवाद के आईने में 'मायादास की माड़ी',-डॉ. सुमा एस. 38
2. अप्रस्तुत-योजना और छायावादी कविता- डॉ. समय लाल प्रजापति 40
3. काका कालेलकर जी की वैचारिक दृष्टिय जीवन का काव्य, निबंध संग्रह के विशेष संदर्भ में-डॉ. कैप्टन बाबासाहेब माने 42
4. 'जिस लाहौर नइ देख्या ओजम्याइ नइ' नाटक में अभिव्यक्त हिंदू-मुस्लिम एकता-श्री दीपक प्रभाकर वरक / प्रो. वृषाली सुभाष मांद्रेकर 45
5. महिला रचनाकारों के बाल एकांकियों में अभिव्यक्त राष्ट्रीयता-डॉ. शितल माधवराव गायकवाड 48
6. भारतीय साहित्य में संस्कृति एवं लोकजीवन की सशक्त अभिव्यक्ति-डॉ.नवनाथ गाड़ेकर 49
7. विष्णु प्रभाकर के ध्वनि नाटकों का शिल्पगत अध्ययन-डॉ. कल्पना मौर्य 51
8. विमर्शों में उलझता समकालीन साहित्य व समाज-डॉ. उर्विजा शर्मा 54
9. अज्ञेय की लम्बी कविताः 'असाध्य वीणा'-डॉ. सचिन कदम 56
10. समकालीन हिन्दी कविताओं में पर्यावरण चिंता-प्रो. डॉ.सुनील एम.पाटील 58
11. दामोदर मोरे की कविताओं में अम्बेडकरवादी चेतना-डॉ. शिराजोद्दीन 60
12. आम आदमी का उपनिषदः राम चरितमानस -डॉ.उमा वाजपेयी/अनीता मिमरोट 63
13. धूमिल की कविताओं में पारिवारिक चित्रण-आरती सिहं राठौर/डॉ. रेशमा अंसारी 65
14. महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों में सामाजिक-चित्रण-डॉ. सुशीला 67
15. सुशीला टाकभौरे के साहित्य में संघर्ष-डॉ. मंजुला चौहान 70
16. मंजुल भगत की कहानियों में बदलते पारिवारिक संबंध-सुनिता यादव 72

पृष्ठ क्रमांक

17. 'गौरी' कहानी में देशभक्ती- डॉ.वसंत माळी 74

18. 'सभा पर्व' उपन्यास में चित्रित जीवन और समाज-डॉ.मोहम्मद फ़ीरोज़ खान 75

19. दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय भावना का स्वर-डॉ.अन्सा ए. 79

20. मुस्लिम समाज में चित्रित असमानता की भावनाः 'कुठाँव, उपन्यास के संदर्भ में-शेख उस्मान सत्तारमियाँ 81

21. बाबुराव बागुल कृत 'विद्रोह'कहानी में विद्रोही चेतना-डॉ.भानुदास आगेडकर / डॉ.अरुण अशोक सोनकांबले 83

22. समकालीन कविता का अस्तित्व वादी रूप और मूल्यबोध-डॉ.मार्तण्ड कुमार द्विवेदी 86

23. कृष्णा सोबती के 'सूरजमुखी अंधेरे के' उपन्यास में रत्ती के आत्मसंघर्ष एवं पवित्र प्रेम की अभिव्यंजना -डॉ.गौकरण प्रसाद जायसवाल 90

24. हिंदी और कन्नड़ मुस्लिम उपन्यास कारों का साहित्यिक योगदान- मेहराज बेगम सैय्यद / डॉ. श्रीमती राजु एस. बागलकोट 93

25. लोककथा का मौलिक सर्जनात्मक प्रयोगः सींगधारी नाटक-ईषा वर्मा 96

दलित विमर्श

1. 'गोदान' के मिथ का विरोधी उपन्यास रूपनारायण सोनकर का उपन्यास 'सुअरदान'- प्रो ओम राज 98

2. दलित, स्त्री और आदिवासी साहित्य की वैचारिकी-डॉ.सविता शर्मा 102

3. ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविताओं में वेदना और विद्रोह-डॉ.जयरामन पी.एन. 105

1. आधुनिक हिन्दी कहानियों में दलित चेतना डॉ. विनयकुमार सु.चौधरी 108

2. उत्तराखण्ड के रूद्र प्रयाग जनपद में दलितों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन का ऐतिहासिक अध्ययन-प्रभाकर पाण्डेय 110

3. संघर्ष कहानी संग्रह में चित्रित दलित जीवन-डॉ.पी. व्ही. महालिंगे 113

4. दलित जीवन की कथा 'अपने-अपने पिंजरे'- डॉ.ओम प्रकाश 116

5. हिंदी दलित आत्मकथाओं में विद्रोही स्वर-डॉ.अम्बर कुमार चौधरी 119

6. 'सद्गति' कहानी का फिल्मी रूपान्तरण एक अध्ययन-डॉ.धीरेन्द्र कुमार 122

7. समकालीन हिंदी कविता में दलित प्रतिरोध के स्वर-मुकेश कुमार मिरोठा 125

8. भारत विभाजन की त्रासदी एवं दलित विमर्श-सुकांत सुमन 127

9. 'अब और नहीं'.. मे अभिव्यक्त दलित कविता की सामाजिक संस्कृति - शिवपाल 131

स्त्री विमर्श

1. आज़ादी पूर्व भारतीय नारी की दशा और दिशाः नारी हृदय तथा अन्य कहानियों के विशेष संदर्भ में-डॉ.जय श्री. ओ 132

2. स्त्री मन की दास्तानः 'कितने प्रश्न करूँ' खंडकाव्य- डॉ.युवराज माने 134

3. उज्रदारी में स्त्री संघर्ष एवं चेतना- डॉ. प्रेम चन्द भार्गव 136

4. हिन्दी की आत्मकथाओं में नारी विमर्श- डॉ.निशा पटेल 138

5. कोरजाः स्त्री जीवन की त्रासदी का आख्यान- मकसूद खान 139

6. स्त्री विमर्श और भारतीय समाज-अजीत कुमार राय 142

7. हिन्दी कथा साहित्य में नारी विमर्श-डॉ.सजिना पी.एस. 144

8. एक औरत होकर मैने महसूस किया-रश्मि नरताम 146

9. महिला सशक्तिकरण हेतु कल्याण कारी योजनाएँ -योगाशन कचौले पाराशर 149

10. मामनि रयसम गोस्वामी की कथा साहित्य में चित्रित विधवा नारी जीवन-डॉ. मनिका शइकीया 151

आदिवासी विमर्श

1. बंजारा लोकगीतों में लोक विश्वास-डॉ.मो सहिदुल इस्लाम 153

2. घुमंतू जनजाति के परिवार और संस्कृती का बदलता स्वरूप-डॉ.मनोहर बी.येरकलवार 155

घुमंतू जनजाति के परिवार और संस्कृती का बदलता स्वरूप

डॉ. मनोहर भी. येरकलवार
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
डॉ. मधुकर राव वासनिक पी. डब्ल्यू.एस.कला
व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर-26

सारांश : भारत की संस्कृति और सभ्यता अपने आप में अनूठी है। इसका प्रमुख कारण यहाँ के निवासियों की विविध सांस्कृतिक अस्मिता हैए जो अपने आप में अक्षुण्ण है। वहीं इनकी एकात्मकता भारतीय अस्मिता की परिचायक है। इसलिये भारत को अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है। भारत में घुमंतू जनजातियों की एक विशिष्ट लोक संस्कृति है। इन जनजातियों में से प्रत्येक का अपना व्यवसाय है। इनमें से कई जनजातियाँ पशुपालक, शिकारी और कई जातियां मनोरंजकऔर देवी-देवता के नाम पर भीख मांगकर गुजारा करते हैं। हालांकि इन जातियों में अधिकांश जनजातियों का स्वरुप खानाबदोशी करना है, अब कालानुरूप इनमें से कुछ समुदाय के लोग अलग.अलग गांवों में विभिन्न व्यवसाय करकेस्थाई हो रहे हैं। इन समुदायों में अशिक्षा,अंधविश्वास, बेरोजगारी, पुलिसिया उत्पीड़न, राजनेताओं की उपेक्षाऔर जाति पंचायतों के कारण यह जनजातियाँअब तक विकास की मुख्यधारा से दूर रही है। घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए सरकार को प्रभावी नीतियां बनानी चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए। तभी इन जनजातियों के घुमक्कड़ जीवन को समाप्त कर उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाना सुविधाजनक होगा।

बीज शब्द: घुमंतू जनजाति, परिवार, विवाह पद्धती, संस्कृती।

प्रस्तावना: आजादी के 75साल बाद भी महाराष्ट्र में घुमंतू जनजातियों की उपेक्षा खत्म नहीं हुई है। उनका जीवन कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है । भले ही उनका जन्म महाराष्ट्र की मिट्टी में हुआ हो, लेकिन उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। गांव में कोई घर नहीं है, जंगल में कोई खेत नहीं है। उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है। समय पर जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होता है। निवास प्रमाणपत्र नहीं बनता है। इन घुमंतू जनजातियों के लिए लागू की गई योजनाओं से गिनी-चुनी जातियों को ही लाभ हुआ है। इस प्रकार की कईसमस्याओं से वे आज भी जूझ रही है। औपनिवेश काल में कुछ घुमंतू जनजातियों को अंग्रेजों द्वारा अपराधी कानून के तहत जन्मतः अपराधी घोषित किया गया था। इसलिए उन्हें सालों-साल अलग-अलग इलाकों में बनी जेलों में बंद कर दिया गया था । उन्होंने कई वर्षो तक इस पीड़ा को सहा है। जिसमें कैकडी, पारधी, कंजरभाट, छप्परबंद, मांगगारुडी, मसन जोगी, घिचाड़ी, मराईवाले, नाथपंथी, नंदीवाले, बेलदार, कोल्हाटी, रामोशी, पाथरवट, उचले और वडार आदि शामिल हैं। इस कानून के कारण उन्हें समाज और प्रशासन में अपराधी नजर से देखा जाता है । इसलिए तथा कथित समाज के आसपास रहने नही देते हैं, दूसरी ओर इस जनजाति के लोगों को बेवजह चोरी के आरोप में पीटा जाता है। परिणाम स्वरूप इस जनजाति के लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है । डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने भारतीय समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, घुमंतू जनजाति, अल्पसंख्यक और महिलाओं के विकास के लिए और उन्हें विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए मौलिक संदेश दिया है.वह 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो !' लेकिन जिस घुमंतू जनजातियों का जीवन ही अस्थिर है, अपनी आजीविका के लिए वे लगातार भटक रहे हैं, तो उन्हें शिक्षा कैसे मिलेगी? कैसे संगठित बने रहेंगे? ऐसा लगता है कि, इस जनजातियों के विकास के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए जाने चाहिए, वह नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में घुमंतू जनजातियों को तिन उपवर्गों में विभाजित किया गया है जिसमे 'घुमंतू जनजाति 'ब' की संख्या 38 है, इनके लिए 2.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। घुमंतू जनजाति 'क'में केवल धनगर और उसकी उपजातियाँ शामिल हैं और उन्हें 3.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। और घुमंतू जनजाति 'ड' में वंजारा और वंजारी इन दो जातियों का समावेश किया गया हैं और उन्हें 2 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।'1आज के समय में घुमंतू जनजाति का मुद्दा केवल उन्हें आरक्षण देकर अपराध पर अंकुश लगाने से जुड़ा नहीं है, बल्कि उन्हें व्यवसायों में समायोजित करने तथा उन्हें शिक्षित करके उन्हें देश का नागरिक बनाने से भी जुड़ा है।

अध्ययन के उद्देश्य:प्रत्येक वैज्ञानिक शोध के मूल में कोई न कोई उद्देश अवश्य होता है। सामाजिक शोध सामाजिक वास्तविकता से सम्बन्धित है। अतः इसका उद्देश सामाजिक वास्तविकता को यथा सम्भव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप में समझना है। इसका उद्देश केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। अपितु ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं के समाधान केलिये प्रयोग में लाना है। इस अनुसंधान विषय के लिए निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये थे।:-

1- घुमंतू जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का अध्ययन करना है।

2- घुमंतू जनजाति में विवाह एवं परिवार के बदलते प्रतिमाणों का अध्ययन करना है।

उपकल्पना: उपकल्पना एक काल्पनिक सामान्यीकरण है। जिसकी प्रमाणिकता की जाँच करना अभी शेष है। प्रारंभिक स्तर पर एक उपकल्पना प्रतिभा, काल्पनिक विचार या सहज ज्ञान होसकता है, जोक्रिया या अनुसंधान का आधार बन सकती है।

1- नागरिकरण के माध्यम से घुमंतू जनजाति के सामाजिक जीवन में परिवर्तन हो रहा है।

2- सभ्य समाज के संपर्क से घुमंतू जनजाति के विवाह एवं परिवार के प्रतिमानों में बदलाव आ रहा है।

शोध परिकल्पना: प्रस्तुत अनुसंधान कार्य में अनुसंधान प्ररचना का स्वरूप वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक शोध प्ररचना में अध्ययन विषय के संबंध में उपलब्धियों का वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। तथा यह अनुसन्धान द्वितीयक तथ्य और सहभागी निरीक्षण के माध्यम से किया गया है। वर्तमान युग में जैसे.जैसे भौतिकता का विकास होता जा रहा है। उसी तरह से लोगों की सुख.सुविधाओं में भी वृद्धि होती जा रही है। उसी तरह लोगों के जीवनस्तर का स्वरूप भी जटिल होता जा रहा है। घुमंतू जातियों की आर्थिक स्थिति भी औद्योगिकरण के कारण आर्थिक दुर्बलता की ओर जाती हुई दिखाई देती है। कई दशकों से घुमंतू जातियों के समग्र विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे है। इस माध्यम से घुमंतू जनजाति के लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है वह कितना सफल हुआ यह जानने के लिए प्रस्तुत अनुसंधान किया गया है ।

परिवार और संस्कृती का बदलता स्वरूप: भारत की भूमि में घुमंतू जनजातियों की भी एक विशिष्ट लोक संस्कृति है। इन घुमंतू जनजातियों में से प्रत्येक का अपना व्यवसाय है। इनमें से कई जनजातियाँ पशुपालनए मनोरंजनए शिकार और धर्म के नाम पर भीख मांगकर गांव-गांव जाकर अपना गुजारा करती हैं। हालांकि इन जातियों और जनजातियों में से अधिकांश लोग पहले घुमंतू के रूप में रहते थे, अब कालानुरूप इस जनजातियों के लोग अलग-अलग गांवों में अलग-अलग व्यवसाय करके एक ही स्थान पर बस रहे है, फिर भी वे अपनी-अपनी जनजातियों की

विशिष्ट मौखिक लोककथाओं, लोकसंस्कृति और रीति-रिवाजों को संजोयें हुए हैं। वे अपने परिवार का सामान उनके गधों, घोड़ों, गायों, भैंसों, ऊंटों और बैलगाड़ियों पर लादकर एक गाँव से दूसरे गाँव आजीविका के लिए गुजरते है। वे साल के आठ महीने यात्रा करते हैं और बरसात के चार महीने में एक ही गांव में बस जाते हैं। जैसे ही बरसात खत्म होता हैए उनका घूमना फिर से शुरू हो जाता है। ऐसी घुमंतू जनजातियों के विवाहए परिवारों और संस्कृतियों का अध्ययन करते हुएए शोधकर्ता ने उनके विभिन्न रीति-रिवाजों, परंपराओं और रीति-रिवाजों का विस्तृत अवलोकन किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसंधानकर्ता ने कई जगहों पर देखा है कि, घुमंतू जातियों के लोगों पर आधुनिक चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। वे आज कल यात्रा करने के लिए घोड़ो के जगह पर मोटर सायकल और रिक्शाए टमटम का उपयोग कर रहे है।अब समय के साथ कई घुमंतू जनजातियों ने अपने पुराने व्यवसायों को छोड़ दिया है। ये लोग अब अपना पेट भरने के लिए नए धंधे की ओर लक्ष कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर संघर्ष करना पड़ता है। घुमंतू जनजातियों की अपनी अनूठी भाषा होती है। इनमें से प्रत्येक भाषा की अपनी शब्दावली होती है। ये भाषाएं पूरी तरह से मौखिक हैं और इनकी कोई लिपि नहीं होती है। लेकिन समय के साथ घुमंतू जनजातियों के पारंपरिक व्यवसाय पिछड़ जाते हुए दिखाई दे रहा है और इनके सांकेतिक भाषाओं की उपयोगिता भी समाप्त हो रही है। घुमंतू जनजाति के लोग बहुभाषी होते थे। वे अपनी मूल भाषा के अलावा दो या तीन अन्य भाषाएं भी आसानी से बोल सकते हैंए क्योंकि समाज के हर जनजाति या हर गाँव में और हर जगह पर उनका संचार होता है। घुमंतू जनजातिओं की भाषा भी समय के साथ बदलती हुई दिखाई दे रही है।

घुमंतू जनजाति के संस्कृति में विवाह संस्था और जात पंचायत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति किस तरह से किया जाए। यह समाज और संस्कृति द्वारा निश्चित होता है। इस तरह से विवाह के माध्यम से ही परिवार का जन्म हुआ है। और परिवार के माध्यम से ही विवाह संस्था का नियंत्रण होता है।विवाह दो विषम लिंगियों का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है। हर समाजए धर्म में विवाह की विभिन्न तरह की रितियाँए पद्धतियाँ होती है। ऐसे ही घुमंतू जनजाति में भी है। घुमंतू जनजाति के परिवार में विवाह के समय कुलए गोत्र और देवकको देखकर शादी करते हैं। एक गोत्र में लोग एक ही कुल के लोगों से विवाह करते हैं। न ही उप-जातियों में विवाह होते हैं। हालांकि कुलदेवता एक ही होने पर भी उनकी शादी नहीं होती थी । शादी समारोह पांच दिनों तक चलता था। शादी में वर-वधू की हल्दी लगाया जाताथा । इन जनजातियों में बदलते समय के साथ परिवर्तन की प्रक्रिया भी देखी जाती है। औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, शहरीकरणएतकनीकी उन्नतिए मीडिया और शैक्षिक जागरूकता के साथ.साथ आरक्षण के माध्यम से इस जनजाति के विवाहोंए परिवारों और संस्कृति में अनावश्यक मूल्यों को छोड़कर नए मूल्यों को अपनाया जा रहा है। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। जब समाज व्यवस्था में परिवर्तन होता है तोए इस परिवार में भी परिवर्तन अनिवार्य रूप से होता है। इस तरह से आज घुमंतू जनजातीय परिवार का स्वरूप परंपरागत परिवार से भिन्न होता जा रहा है।घुमंतू जनजाति के परिवारों में पहले परिवार की सत्ता पिताए माता या बड़े भाई के हाथ में रहता था। संपत्ति का मालिक वही हुआ करता था। परिवार के सभी सदस्य उनका कहना या निर्णय को अनिवार्य रूप से मानते थे। आज के दौर में परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति का कोई स्थान नहीं रहा है। उनको सिर्फ परिवार के एक सदस्यों के रूप में ही रहना पड़ता है। आज कानून और शिक्षा के माध्यम से परिवार में स्त्रियों का स्थान बराबरी का हो चुका है। वर्तमान समय में परिवार का आकार छोटा होता जा रहा है। एकल परिवार का स्वरूप बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सरकारी कानून और नियमों के माध्यम से परिवार के सदस्यों का प्रमाण भी कम होते हुए नजर आ रहा है। इस नई अर्थनीति ने संयुक्त परिवार की महत्ता को मिटा दे रही है।परिवार का सुख.दुख सब मिलकर बांट लेते थे। आज की स्थिति में इस परिवार की स्थिति में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और विकास उसके कार्य और कृतित्व पर निर्भर होने के कारण व्यक्तिवादी विचारों को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। इस कारण भी व्यक्ति अपने परिवार का विचार छोड़कर खुद का विचार करता हुआ दिखाई देता है।इस कारणघुमंतू जनजाति के परिवार में भी पति-पत्नी और उनकी संतति इतने ही सदस्यों का परिवार दिखाई दे रहा है। परिवार नियोजन के कारण भी इस जनजाति के परिवार में परिवार का आकार सीमित होते जा रहा है।इस कारण ही उनके परिवार में दिन-ब-दिन अस्थिरता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और परिवार में विवाह विच्छेद का भी प्रमाण बढ़ रहा है। 'संयुक्त परिवार के परिवर्तन के कारक औद्योगिकरण, नागरीकरण, कुटीर उद्योगों का र्हास, व्यक्तिवादी दृष्टिकोणए स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तनए मकान की समस्याए यातायात साधनों में उन्नतिए पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा का प्रभावए स्त्रियों में परस्पर कलह और द्वेष, निर्धनता और बेकारी, मनोवैज्ञानिक कारक'3 इन सारी कारकों के द्वारा इस जनजाति के परिवार और संस्कृति में भी परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है । नगर की सभ्यता और संस्कृति ग्रामीण समाज में तीव्रता से प्रवेश कर रही हैए इस कारण ग्रामीण समाज के विवाह से लेकर समस्त संस्कृति भी शहरी औपचारिकताओं की ओर जाने लगी है । परंपरागत विवाह के वस्त्र भी नहीं पहनते है और भोजन कुर्सी और मेज पर होने लगे है । परंपरागत ढोलक, तबला और शहनाई के स्थान पर बारात अब बैंड बाजों के साथ हो रहा है।

आधुनिक काल में मानव समाज के विकास के साथ-साथ परिवार के अनेक रूप और अस्तित्व में परिवर्तन आया है और उनके जीवन में भारी उथल-पुथल मची हुई है। आधुनिकीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण इन लोगों की पारंपरिक लोक संस्कृति विलुप्त होती जा रही है।परिवार के प्रत्येक स्थान एवं समाज में भौगोलिक, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार की पारिवारिक संरचनाओं को जन्म दिया है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसे एकल परिवारों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती हुई दिखाई देती है।

निष्कर्ष: भारत में आज भी कुछ ऐसी अभागी जातियाँ मौजूद हैंए जिन्हें स्वतंत्रता के बाद समान नागरिकता का अधिकार तो प्राप्त हुआ है पर जीविकोपार्जन के लिए उनको कोई सम्मानजनक साधन उपलब्ध नहीं हुआ है । यही कारण है किए इन जातियों को आजीविका चलाने के लिए अपराधिकरण और देह व्यापार के लिए विवश होना पड़ता है ।परिवार में सामाजिक नियंत्रण का कार्य परिवार के बुजुर्ग और मुखिया के माध्यम से होता था। परिवार में रीति.रिवाजए प्रथाए परंपराओं के आधार पर सामाजिक नियंत्रण होता था। परंतु आज के इस माहौल में समाज के विशाल एवं क्लिष्ट स्वरूप में सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव कम होता हुआ दिखाई देता है। सामाजिक संबंध में व्यक्ति का अपने परिवार से संबंध दिन.ब.दिन घटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज परिवार की नियंत्रण की अपेक्षा कानून के नियंत्रण का प्रभाव समाज पर ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है।औद्योगिकरणए नागरीकरण और जागतिकीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीय कृषि प्रधान समाज व्यवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। इसी के चलते संयुक्त परिवारों का विघटन होकर एकल परिवारों का प्रमाण बढ़ रहा है। तकनीकी जैसे अनेक घटकों के प्रभाव के कारण परिवार का ढांचा भी बदल रहा है। नगर की सभ्यता और संस्कृति ग्रामीण समाज में तीव्रता से प्रवेश कर रही है, इस कारण ग्रामीण समाज के विवाह से लेकर समस्त संस्कृतिभी नगरिय औपचारिकताओं की ओर जाने लगी है ।

संदर्भ सूची: **1.**परिपत्रक, उच्च और तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभागए महाराष्ट्र सरकार, मुंबई दिनांक 23 जून 1994 **2.**योजना मासिक, वर्ष 58, अंक 1, जनवरी 2014, पृष्ठ संख्या 12 **3.** सिंह, वी.एन.(2008) ग्रामीण समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 80.81

****

तरुणांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर कोविड – १९ चा प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. मनोहर भी. येरकलवार
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस.
कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर
yerkalwarpws@gmail.com

सारांश :–

कोरोना विषाणूचा परिणाम आज संपूर्ण जगावर होत आहे. जगभरातील सुमारे १९० देशांना याचा फटका बसला आहे. जग हळूहळू जागतिक मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. कोरोना नावाच्या अदृश्य विषाणूच्या प्रादुर्भावाने पूर्ण जग थांबले आहे. असा कसा हा अदृश्य विषाणू आहे? ज्याचे अस्तित्व व कार्य अजूनही विज्ञानाला पण कळलेले नाही. परंतु काही न काही अदृष्य शक्ती जरूर आहे, ज्यामुळे स्वैरपणे वागणाऱ्या मानवाला कुठेतरी लगाम लागले असल्याचे दिसून येते. मानवाने आपल्या बुद्धीच्या जोरावर सृष्टीतील सर्व प्राणीमात्रावर, वनस्पतीवर आपले वर्चस्व गाजवू लागला होता. त्याला जसे वाटेल तसे तो स्वैरपणे वागत होता. निसर्गाचा त्याच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करू लागला होता. कोरोनाच्या या महामारीच्या परिस्थितीमुळे देशातील प्राथमिक, माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर वाईट परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. या ऑनलाइन शिक्षण प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना जो आनंद मिळत होता, तो आनंद मिळेनासा झाला आहे. अनेक गरीब विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल विकत घेण्यासाठी पैसे नसतात, त्यातच मोबाईल मध्ये डाटा उपलब्ध होत नाही. तसेच शिक्षकांना फोनद्वारे माहिती विचारण्यासाठी त्यांच्या पालकांकडे मोबाईल सुद्धा उपलब्ध नसतो. अशा अनेक प्रकारच्या अडचणींचा सामना भारतातील अनेक विद्यार्थी करत असल्याचे दिसून येते. तसेच ऑनलाइन पद्धतीने शिकवणे हे नेटवर्क कमी ज्यास्त होत असल्याकारणाने परिणामकारक रित्या शक्य होत नाही. त्यामध्ये अनेक अडचणी येतात.

बीज शब्द : – कोविड १९, शैक्षणिक प्रगती, शिक्षकांची भूमिका, ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली.

प्रस्तावना : –

जगभरातील सुमारे १९० देशांना याचा फटका बसला आहे. जग हळूहळू जागतिक मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊन आणि कर्फ्यूची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. उद्योग, सामाजिक–आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्र या विषाणू प्रादुर्भावामुळे प्रभावित होताना दिसून येते. भारतासारख्या विकसनशील आणि दाट लोकसंख्येच्या देशात परिस्थिती अजूनही काही प्रमाणात सकारात्मक आहे. भारताचे प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री.नरेंद्र मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री. उद्धवजी ठाकरे तसेच अनेक उद्योजक व सामाजिक कार्यकर्ते यांनी देशाला या साथीपासून वाचवण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलुन देशाला या संकटापासून वाचवण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करीत आहेत. परंतु चीन मध्ये डिसेंबर २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या व्हायरसने आपले पाय पसरायला सुरूवात केले व काही महिन्यातच या व्हायरसने संपूर्ण जगाला व्यापून टाकले. जगातील अनेक बलाढ्य राष्ट्र या विषाणू पुढे हात

टेकले व आपले पूर्ण व्यवहार बंद करून स्वत:ला घरात डांबून घेतले. तरी पण हा विषाणू थांबला नाही. तो घराघरात जाऊन प्रत्येक मानवाला घाबरून सोडला. गाव खेड्यापासून तर मोठमोठी शहरे या विषाणूमुळे काही क्षणातच बंद झाले. अशा प्रकारे या विषाणूने जगाला परत पर्यावरणाकडे लक्ष द्यायला शिकवले व सामाजिक अंतर पाळायला शिकवले व स्वैरपणे वागणाऱ्या मानवी समाजाला यामुळे स्वत:च्या अस्तित्वाची जाणीव करून दिली.

भारतात कोरोनाचे एक – दोन पेशंट सापडायला जशी सुरुवात झाली तसेच ''भारताचे मा. प्रधानमंत्री व मा. राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी २२ मार्च २०२० पासून देशात लॉकडाऊन लावून टाकले व पुढे ते सतत वाढत जाऊन १५ जून २०२० पर्यंत देशातील सर्व व्यवहार पूर्णपणे ठप्प ठेवण्यात आले.''[१] या काळात भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला घराबाहेर पडण्यास बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे अनेक लोक या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे हवालदिल झाले. त्यातच आरोग्याच्या बाबतीत अनेक ठिकाणी गैरसोयी होऊ लागल्या. बाहेर निघाले तर पोलिसांचे मार खावे लागतील व घरात राहिले तर उपासमार, अशाप्रकारे अनेक लोकांचे या लॉकडाउनच्या काळात अनेक प्रकारचे हाल झाले. कामगार आपल्या आई–वडिलांना व मुलांना भेटण्यासाठी आपल्या मूळगावी हजारो किलोमीटर पायपीट करून दिवस–रात्र उपाशीपोटी राहून आपल्या मूळ गावी पोहोचले परंतु या बिमारीच्या भीतीने त्यांना त्यांच्या घरच्यांनीही नाकारले. तीन महिन्याच्या लॉकडाउन मुळे देशाची अर्थव्यवस्था फार मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे देशावर फार मोठे आर्थिक संकट आले आहे. अनेक कारखाने व उद्योगधंदे बंद झाल्यामुळे कामगाराच्या हातचे काम गेले. व्यापारी व दुकानदार व्यापार बंद झाल्यामुळे हवालदिल झाले. तळ हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्या कामगारांना उपासमार व अनेक प्रकारच्या संकटांचा सामना करत हालाखीचे जीवन जगावे लागले. यामध्ये अनेक लोकांचे प्राण देखील गेले. काम गमावल्यामुळे शहराकडून गावाकडे मजुरांचे फार मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. तसेच शेतमालाची विक्री वेळेवर न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची ही फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अशा प्रकारे शासनाच्या या नियोजनशून्य धोरणामुळे, तसेच वैद्यकीय सोयींचा पुरेसा साठा नसल्यामुळे, त्यासोबतच नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक लोकांच्या कुटुंबावर, आरोग्यावर दुष्परिणाम झाला.

तरुणांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर कोविड १९ चा प्रभाव : –

कोरोनाच्या या महामारीच्या परिस्थितीमुळे देशातील प्राथमिक, माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर वाईट परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. आयआयटी, आयआयएम, सर्व विद्यापीठे तसेच सर्व खाजगी व सरकारी शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचा वापर करून त्यांच्या विद्यार्थ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु त्यातून किती विद्यार्थ्यांना या अशा ऑनलाईन शिक्षणाचा फायदा होतो व किती विद्यार्थी प्रामाणिकपणे शिक्षण घेतात? किती विद्यार्थ्यांकडे अंडरॉईड मोबाईल आहेत ? खऱ्या अर्थाने याचा अगोदर अध्ययन होणे गरजेचे आहे. मग ठरवता येईल की ऑनलाईन शिक्षणाचा किती विद्यार्थांना फायदा झाला ? तसेच भारतासारख्या तरुणाईच्या देशात ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या इतकी जास्त आहे की अनेक विद्यार्थी मागील दोन वर्षापासून शिक्षणापासून वंचित आहेत. ''संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, शैक्षणिक व्यवस्थेवर कोविड –१९ च्या प्रभावामुळे शैक्षणिक निधीची तूट एक तृतीयांश वाढू शकते.

कोरोनाव्हायरसच्या आर्थिक परिणामांमुळे पुढील वर्षी सुमारे २४ दशलक्ष मुलांना शाळा बंद होण्याच्या स्थितीत आहेत. शाळा आणि शैक्षणिक संस्था बंद केल्याने जगातील विद्यार्थी लोकसंख्येच्या अंदाजे ९४ टक्के प्रभावित झाले आहेत. कमी आणि निम्न—मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये हे प्रमाण ९९ टक्कयाच्या जवळ आहे.''[२] शाळा बंद केल्यामुळे अनेक मुले ही बालविवाह आणि लिंग—आधारित हिंसाचाराला अधिक प्रमाणात बळी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, लहान मुलांमधील गुन्हेगारीच्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते.

''आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत भारत सरकारने डिजिटल एज्युकेशनच्या मल्टीमोड एक्सेस करिता ऑनलाईन कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली. यामध्ये अनेक अभ्यासक्रमाशी निगडित दूरदर्शन वाहिन्या, रेडिओ च्या माध्यमातून अनेक कोर्सची सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणनाच्या माध्यमातून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात ठेवणे. या माध्यमातून अनेक विद्यापीठाने ऑनलाईन कोर्स सुरु केले व त्यांना यूजीसीकडून मान्यता पण देण्यात आली आहे. या कोविड—१९ मुळे देशात दीर्घकाळ चालत असलेल्या टाळेबंदीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही या उद्देशाने सरकारने असे वेगवेगळे कार्यक्रम जाहीर केले.''[३] परंतु या ऑनलाईनच्या माध्यमातून किती विद्यार्थ्यांनी त्याचा पुरेपूर लाभ घेतला याचाही अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

भारत सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सरकारांनीही या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत की, विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारे ऑनलाइन माध्यमांद्वारे, यूजीसी आणि इतर प्रादेशिक बोर्ड, अभ्यासक्रमांशी संबंधित नोट्स आणि इतर ॲप्सवर इतर साहित्य मोफत ई—सामग्री प्रदान केली जात आहे. तरी पण पाहिजे त्या प्रमाणात हे साहित्य सर्व विध्यार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाहीत. त्यामुळे काही विध्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहत होते तर अश्या विध्यार्थ्यांना शासनानेच परीक्षा न देता पास करणे असे निर्णय देऊन त्यांचे भवितव्य अंधारात ठेवले आहे. उच्च शिक्षणामध्ये परीक्षा ही ऑनलाइन पद्धतीने होत असल्यामुळे अनेक विध्यार्थी गैरमार्गाचा वापर करून चांगल्या गुणाने परीक्षा पास होत आहेत. परंतु जे गरीब विद्यार्थी आहेत त्यांचे काय? त्यांचाकडे ना चांगला मोबाईल ना वशिला त्यामुळे त्यांना कमी गुण मिळत आहेत हे वास्तव चित्र आहे. जे विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी किंवा नवीन अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छितात त्यांना अनेक प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जोपर्यंत त्यांचा जुना निकाल जाहीर होत नाही आणि लॉकडाऊन संपत नाही, त्यांच्या प्रवेश परीक्षा आणि नावनोंदणी सध्याच्या व्यवस्थेत शक्य नाही तसेच त्यांना पाहिजे त्या संस्थेत प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंब मानसिक तणावाच्या स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे.

जे विद्यार्थी सध्या उच्च शिक्षणाच्या अंतिम वर्षात आहेत, विशेषत: तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विधार्थ्यांची नियुक्ती त्यावेळी खाजगी कंपनी मध्ये केली गेली होती, ते लॉकडाऊनमुळे संस्था आणि कंपनी दोन्ही बंद असल्याने ते युवक पण तणावात जात असल्याचे दिसून येते. तसेच कमी—अधिक प्रमाणात इंटेशिप प्रोग्रामच्या बाबतीतही असेच आहे. जरी आयआयटी, आयआयएम आणि व्हिएनआयटी सारख्या काही मोठ्या संस्थांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वत:हून इंटेशिपची व्यवस्था केली असूनही अनेक विद्यार्थी देखील या भीतीदायक परिस्थितीमुळे त्रस्त आहेत. विद्यार्थ्यांच्या इंटरशिपसाठी अनेक कंपन्याही पुढे येत आहेत, तरीही मोठ्या प्रमाणावर संस्थांनी व विद्यार्थांनी पुढे येण्याची गरज आहे

जेणेकरून विद्यार्थीना केवळ आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यावर भर न राहता या कठीण काळात व्यावहारिक प्रदर्शनातून आत्मविश्वासाने स्वत:ला शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये सामील करतील व स्वत:ला व्यस्त ठेवतील. अशा परिस्थितीत जर हे लॉकडाऊन असेच जर आणखी वाढले तर हे विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली येऊ शकतात, तर टीव्ही, लॅपटॉप, मोबाईलचा अति वापर केल्याने त्यांच्या मानसिक स्थितीवरही परिणाम होत आहे. जर विध्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षण, इंटर्शिप इत्यादी सकारात्मक कामात व्यस्त ठेवले तर त्यांना अधिक लाभ होईल.

शिक्षकांची भूमिका : —

कोविड —१९ मुळे आज सर्व शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. यावर मात करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे संस्थांना आधुनिक शैक्षणिक संधींची दारे खुली झाली आहेत. पारंपरिक शिक्षण पद्धतीचा वारसा जपत असतांना आता मदरबोर्ड शिक्षण पद्धतींचा समावेश करावा लागेल. आता जागतिक स्तरावर शाश्वत शैक्षणिक प्रणालींचे जाळे तयार करण्याची वेळ आली आहे. वाढते कोरोना प्रकरण आणि उदरनिर्वाहाच्या संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. अनलॉकसह, अनेक गोष्टी हळूहळू परत रुळावर येत आहेत. या स्थितीत, भारताला त्याच्या मूलभूत स्वदेशी शिक्षण व उद्योग क्षेत्राच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांना गती देऊन शेकडो परदेशी गुंतवणूकदार कंपन्याना भारतात गुंतवणूक करण्याची पूर्ण क्षमता उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागू नये म्हणून अनेक शिक्षक नोट्स, असाइनमेंट इत्यादी विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचा मोबाईलवर किंवा त्यांच्या पालकांच्या मोबाईलवर पाठवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. आज गरज आहे सरकार, संस्था, समाज, उद्योगपती, नेते यांनी एकत्र येऊन भारतीय तरुणाईच्या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी एकजुटीने काम करावे, परीक्षांसाठी पर्याय शोधावे, ऑनलाईन प्रकल्प, असाइनमेंट हे चांगले पर्याय सिद्ध होऊ शकतात, उद्योगांनी व उद्योगपतींनी पुढे आले पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट, प्रकल्प, इंटर्शिप इत्यादी देऊन तणावातून बाहेर काढण्यास मदत केली पाहिजे. तसेच या कठीण काळात मुलांचे मनोबल वाढवून त्यांना सकारात्मकतेसाठी प्रेरित करणे ही पालकांची सुद्धा मुख्य जबाबदारी आहे.

कौशल्य आधारित शिक्षण हे सर्व सामान्य लोकांना कौशल्य देऊ शकते आणि भारताच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विकासात त्यांची भूमिका सुनिश्चित करू शकते. भारतात कौशल्य आधारित शिक्षणाची कमतरता स्पष्टपणे जाणवते. आपल्याकडे अशी शिक्षण व्यवस्था आहे, जिथे केवळ पुस्तकी ज्ञान दिले जाते आणि मुलांना कुशल होण्यासाठी प्रेरित केले जात नाही. त्याच वेळी, शिक्षण लोकांना रोजगार निर्माण करण्यास देखील मदत करू शकते. म्हणून अशा परिस्थीतीत कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणे गरजेचे आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून मानवी समाजाने खूप मोठ्या प्रमाणावर विकास घडवून आणलेला आहे. शिक्षण घेतल्यामुळे मानवाला आपल्या मूलभूत हक्काची व कर्तव्याची जाणीव होते. परंतु जगावर उद्भवलेल्या या महामारीच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने जे लॉकडाऊन सुरू केले आहे. त्या माध्यमातून स्वत:ला सिद्ध करायचे आहे.

जागतिक स्तरावर संसाधने अत्यंत मर्यादित आहेत आणि म्हणून त्यांचा शाश्वत वापर अत्यंत करने आवश्यक आहे, या हेतूसाठी तरुण पिढीला शिक्षणाच्या माध्यमातून मर्यादित संसाधनांचा शाश्वत वापर

करायला शिकवणे महत्वाचे आहे. तसेच पुरेशा संशोधनाचा अभाव भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत स्पष्टपणे दिसून येतो. भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनेक सोयी सुविधांचा अभाव असल्याचेही दिसून येते. तसेच उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये संशोधनावर पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. याव्यतिरिक्त, गुणवत्तापूर्ण व अभ्यासू शिक्षकांची संख्या देखील खूप मर्यादित आहे. शैक्षणिक संस्थेत पायाभूत सुविधांचा अभाव हे भारताच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेसमोर एक मोठे आव्हान आहे, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेत पायाभूत सुविधांचा अभाव, त्यामुळे विध्यार्थी व शिक्षकांना त्याचा त्रास होतो. तसेच खाजगी संस्थेत शिक्षकांची व प्राध्यापकांची कमतरता आणि पात्र शिक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य शैक्षणिक व्यवस्थेची असमर्थता, अनेक वर्षांपासून दर्जेदार शिक्षणापुढे आव्हाने निर्माण करत आहे. या ऑनलाइन शिक्षण प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना जो आनंद मिळत होता, तो आनंद आता मिळेनासा झाला आहे. अनेक गरीब विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल विकत घेण्यासाठी पैसे नसतात, त्यातच मोबाईल मध्ये डाटा उपलब्ध होत नाही. तसेच शिक्षकांना फोन द्वारे माहिती विचारण्यासाठी त्यांच्या पालकांकडे मोबाईल सुद्धा उपलब्ध नसतो. अशा अनेक प्रकारच्या अडचणींचा सामना भारतातील अनेक विद्यार्थी करत असल्याचे दिसून येते. तसेच ऑनलाइन पद्धतीने शिकवणे हे नेटवर्क कमी ज्यास्त होत असल्याकारणाने परिणामकारकरित्या शक्य होत नाही, त्यामध्ये अनेक अडचणी येतात.

निष्कर्ष : —

शिक्षण हे तरुण पिढीला जीवन कौशल्य प्रदान करते आणि त्यांना आयुष्यात खंबीरपणे पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा देते. तसेच सुशासनासाठी सामान्य लोकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासही शिक्षण हे महत्वाची भूमिका बजावते. सध्याची भारतीय शिक्षण व्यवस्था पायाभूत सुविधांच्या अभावी अनेक प्रकारच्या समस्यांशी झुंज देत आहे, अशा परिस्थितीत सरकारने देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल. अभ्यासक्रमाची रचना अशा प्रकारे केली गेली पाहिजे की, ती उच्च शिक्षणाने युवकांचे कौशल्य आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण उद्योग क्षेत्रात परिणामकारकपणे कार्य करेल. शैक्षणिक धोरण निर्मात्यांनी सुद्धा शिक्षण क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय मानकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अशा या बिकट परिस्थितीतून भारतीय युवकांना पुढे जाण्यासाठी ऑनलाईन शिक्षण हे एक त्यांच्यासमोर असलेले आव्हान आहे. एक प्रकारची नवीन संधी आहे म्हणून युवकांनी बदलत्या परिस्थितीनुसार स्वत:मध्ये ही बदल करून आलेल्या संधीचे सोने करून होईल त्या प्रमाणात ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेऊन स्वत:ला सिद्ध करायचे आहे. पुन्हा एकदा भारताला संपूर्ण विश्वामध्ये भारताचे नाव उज्वल करायचे आहे. त्यातूनच खरा आत्मनिर्भर भारत साकार होईल.

संदर्भ : —

१. दैनिक लोकमत दि. ३१ मे २०२०.
२. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/24-million-may-drop-out-of-school-due-to-covid-19-impact-u-n-
३. दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स दि. २४ मे २०२०.

CONTENTS OF MARATHI

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भारतीय समाजाची संकल्पना **डॉ. बी. एम. कऱ्हाडे**	१-९
२	महात्मा फुले यांचे शेतकऱ्यांची आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थितीविषयीचे विचार - एक अभ्यास **डॉ. अमितकुमार शंकरराव गागरे**	१०-१४
३	भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आजन्म विद्यार्थी असलेला महामानव **डॉ. जाधव अंकुश नाथा**	१५-१७
४	भारतातील ग्रामीण समुदाय : स्वरुप, प्राचीनता, इतिहास व बदल **Dr. Deoman Shrikrushna Umbarkar**	१८-२५
५	दुर्बल घटकात न्याय, स्वातंत्र्य व समतेची पेरणी करणारे डॉ. आंबेडकर **प्रा. धर्मदास वि. घोडेस्वार**	२६-३०
६	ग्रामीण असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी महिलांच्या समस्या **प्रा. ढोबळे गोविंद नागनाथराव**	३१-३३
७	गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींच्या अर्थव्यवस्थेला समाजशास्त्रीय अभ्यास **श्री. खुशाल जिवन सातपुते** **प्रा. डॉ. रविंद्र वि. विखार**	३४-३८
८	स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्यातून राजर्षी छत्रपती शाहू **डॉ. प्रमिला हरीदास भुजाडे (गणवीर)**	३९-४६
९	फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे समतावादी विचार : एक चिकित्सक अध्ययन **डॉ. मिथुन बाबुराव राऊत**	४७-५३
१०	ग्रामीण समुदायाच्या विकासातील समस्या एक चिंतन **मनोहर भी. येरकलवार**	५४-५९
११	दुर्बल घटकातील न्याय, स्वतंत्र, समतेची पेरणी करणारे फुले, शाहू, आंबेडकर **प्रा. प्रियंका राजेंद्र आठे**	६०-६८

CONTENTS OF MARATHI

अ.क्र.	लेख और लेखक के नाम	पृष्ठ क्र.
१२	ग्रामीण समाजातील असंघटित कष्टकरी महिलांच्या समस्या : एक दृष्टिक्षेप आणि वास्तविकता **डॉ. राहुल एम. स्वानकर**	६९-७६
१३	गडचिरोली जिल्ह्यातील सीमेलगतच्या तालुक्यांवर छत्तीसगड राज्याचा सांस्कृतिक प्रभाव - एक समाजशास्त्रीय अध्ययन **श्री रमेश मोहनलाल काळबांडे** **प्रा. डॉ. रविंद्र विठोबा विखार**	७७-८२
१४	असंघटित क्षेत्रातील स्त्रियांच्या समस्या **प्रा. डॉ. रविंद्र विठोबा विखार**	८३-८६
१५	ग्रामीण भागातील असंघटीत क्षेत्रातील कष्टकरी महिलांच्या समस्या **डॉ. दयानंद उत्तमराव राऊत**	८७-९०
१६	माडीया महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व आरोग्यविषयक समस्यांचा अभ्यास **मेश्राम रोशन दादाजी**	९१-९६
१७	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक न्यायाची दृष्टी **डॉ. सोमा पी. गोंडाणे**	९७-१०३
१८	दुर्बल घटकांना न्याय, स्वातंत्र, समतेची पेरणी करणारे फुले, शाहू, डॉ. आंबेडकर **डॉ. स्वाती विकासराव कुरमे**	१०४-१०७
१९	दुर्बल घटकात स्वातंत्र्य, समता व न्यायाची पेरणी करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर **प्रा. कोल्हे तुकाराम त्रिंबकराव**	१०८-११२
२०	ग्रामीण समुदाय : दुर्बल घटक आणि आव्हाने **प्रा. डॉ. विलास के. घाटुर्ले**	११३-११५
२१	असंघटित क्षेत्रातील कामकरी महिलांवरील अत्याचार **डॉ. माया बी. मसराम**	११६-१२१
२२	ग्रामीण महिलांच्या समस्या - एक अध्ययन **प्रा. डॉ. जयमाला पुं. लाडे**	१२२-१३१

CONTENTS OF MARATHI

अ.क्र.	लेख और लेखक के नाम	पृष्ठ क्र.
२३	मानवजीवनाला संजीवन देण्यास आणि समाज परिवर्तनात शिक्षणाचे महत्त्व **प्रा. नामदेव भिवाजी वरभे** **डॉ. बी. एम. कऱ्हाडे**	१३२-१३५
२४	जनसंवाद माध्यमांचा स्त्रीजीवनांवरील परिणाम **प्रा. डॉ. विजय शंकरराव दिघोरे**	१३६-१३९
२५	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा समाजवादी दृष्टीकोन **प्रा. दिलीप रामटेके**	१४०-१४६
२६	दुर्बल घटकात न्याय, स्वातंत्र्य व समतेची पेरणी करणारे फुले-शाहू- आंबेडकर **प्रा. अशोक ए. शिंगाडे**	१४७-१४९
२७	सामाजिकदृष्ट्या ग्रामिण, वंचीत घटकांच्या विकासातील अरिष्ट्ये **प्रा. डॉ. दिवाकर उराडे**	१५०-१५५

१०. ग्रामीण समुदायाच्या विकासातील समस्या एक चिंतन

मनोहर भी. येरकलवार
सहाय्यक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. कला,
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, नागपूर-२६.

सारांश

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय ग्रामीण समाजामध्ये अनेक प्रकारचे सामाजिक परिवर्तन घडून आले. औद्योगिकीकरण, नागरीकरण व खाजगीकरणाच्या माध्यमातून तसेच शिक्षणाचा प्रसार दळणवळणाच्या साधनांचा विकास शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या वाढली. मानवाची भटकंती व शिकारी अवस्था संपल्यानंतर तो पशुपालन करू लागला व पशुपालनाच्या अवस्थेनंतर हळूहळू वस्तीस्थान करून स्थिर होऊ लागला. नंतर पाळीव पशूंचा उपयोग करून शेती व्यवसायाकडे वळला. शेती व्यवसायामुळे त्यांची भ्रमंती अवस्था संपून तो एकाच ठिकाणी स्थिर जीवन जगू लागला .अशा पद्धतीने तो एकाच ठिकाणी घरदार करून समूहामध्ये राहू लागला. अशा या स्थिर जीवनातून हळूहळू वाडी, वस्ती व खेडयांची उत्पत्ती झाली. त्यामुळे मानवी समाजाला स्थायी स्वरूपाचे सामाजिक संघटन निर्माण करण्याची गरज भासू लागली. अशा पद्धतीने मानवाची ही पहिली विकासाची अवस्था होय. मानव हा स्थिर जीवन जगत असते वेळेस शेती संबंधित इतर छोटे-मोठे कुटीर उद्योग करू लागला. अशा पद्धतीने त्यांनी एक स्वयंपूर्ण ग्रामजीवन निर्माण केले .अशा पद्धतीने शेतीशी संबंधित इतर व्यवसाय करणारे व्यवसायिक सुद्धा ग्रामीण भागात आनंदाने राहू लागले. त्यातूनच बारा बलुतेदार व अठरा आलूतेदार निर्माण झाले. त्यालाच ग्रामीण भागात कारू आणि नारू असे म्हटल्या जाऊ लागल. हे सर्व कारागीर एक दुसऱ्याशी वस्तू विनिमयाच्या पद्धतीने उदरनिर्वाह करू लागले. भारतामध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला हळूहळू औद्योगीकरणाला सुरुवात झाली. त्यामुळे ग्रामीण समुदायातील छोटे-मोठे कुटिर उद्योग बंद पडू लागले. वस्तू विनिमयाच्या पद्धतीच्या ठिकाणी पैसा हे विनिमयाचे साधन निर्माण झाले. अशा पद्धतीने संपत्तीच्या लालसेपोटी ग्रामीण जीवनामध्ये हळूहळू बदल व्हायला सुरुवात झाली. अठराव्या शतकापासून ग्रामीण समुदायामध्ये विकासाच्या प्रक्रियेने हळूहळू वेग घ्यायला सुरुवात केली. त्यातूनच अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होऊ लागल्या.

बीज शब्द -: ग्रामीण विकास, जातिव्यवस्थेचा प्रभाव, विकासातील समस्या, रोजगाराचा अभाव.

प्रस्तावना

भारत हा कृषिप्रधान देश असल्यामुळे भारतातील जवळपास ७० टक्के लोक हे अजूनही शेती व शेती संबंधित इतर छोटे मोठे व्यवसाय करत ग्रामीण भागातच राहतात. प्राचीन काळी मानव हा भटकंती करत जीवन जगत होता. मानवाची भटकंती व शिकारी अवस्था संपल्यानंतर तो पशुपालन करू लागला व पशुपालनाच्या

अवस्थेनंतर हळूहळू वस्तीस्थान करून स्थिर होऊ लागला. नंतर पाळीव पशूंचा उपयोग करून शेती व्यवसायाकडे वळला. शेती व्यवसायामुळे त्यांची भ्रमंती अवस्था संपून तो एकाच ठिकाणी स्थिर जीवन जगू लागला. अशा पद्धतीने तो एकाच ठिकाणी घरदार करून समूहामध्ये राहू लागला. अशा या स्थिर जीवनातून हळूहळू वाडी, वस्ती व खेडयांची उत्पत्ती झाली. त्यामुळे मानवी समाजाला स्थायी स्वरूपाचे सामाजिक संघटन निर्माण करण्याची गरज भासू लागली. अशा पद्धतीने मानवाची ही पहिली विकासाची अवस्था होय. मानव हा स्थिर जीवन जगत असते वेळेस शेती संबंधित इतर छोटे-मोठे कुटीर उद्योग करू लागला. अशा पद्धतीने त्यांनी एक स्वयंपूर्ण ग्रामजीवन निर्माण केले .अशा पद्धतीने शेतीशी संबंधित इतर व्यवसाय करणारे व्यवसायिक सुद्धा ग्रामीण भागात आनंदाने राहू लागले. त्यातूनच बारा बलुतेदार व अठरा आलूतेदार निर्माण झाले. त्यालाच ग्रामीण भागात कारू आणि नारू असे म्हटल्या जाऊ लागल. हे सर्व कारागीर एक दुसऱ्याशी वस्तू विनिमयाच्या पद्धतीने उदरनिर्वाह करू लागले .भारतामध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला हळूहळू औद्योगीकरणाला सुरुवात झाली. त्यामुळे ग्रामीण समुदायातील छोटे-मोठे कुटिर उद्योग बंद पडू लागले. वस्तू विनिमयाच्या पद्धतीच्या ठिकाणी पैसा हे विनिमयाचे साधन निर्माण झाले. अशा पद्धतीने संपत्तीच्या लालसेपोटी ग्रामीण जीवनामध्ये हळूहळू बदल व्हायला सुरुवात झाली. अठराव्या शतकापासून ग्रामीण समुदायामध्ये विकासाच्या प्रक्रियेने हळूहळू वेग घ्यायला सुरुवात केली. त्यातूनच अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होऊ लागल्या.

भारत हा खेड्यांचा देश असून ‘भारतामध्ये 2011 च्या जनगणनेनुसार 645856 खेडी असून एकूण लोकसंखेच्या 68.8 टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भगत राहतात.’[1] ग्रामीण भागाच्या विकासाशिवाय राष्ट्राचा विकास होणे शक्य नाही. आज आपल्या देशाला स्वतंत्र होऊन जवळपास पंच्याहत्तर वर्षे झाली आहेत. भारताच्या ग्रामीण विकासात पाहिजे त्या प्रमाणात विकास झाल्याचे दिसत नाही .ग्रामीण विकासाचा संबंध नेहमीच कृषी विकासाशी जोडला जातो. म्हणून कृषि उत्पादनात वाढ झाल्यास ग्रामीण भागाचा विकास होऊन ग्रामीण भाग समृद्ध होईल. ग्रामीण भागातील लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा होईल. आज आपला देश हा अशा गंभीर आर्थिक संकटात अडकला आहे की, सरकारला नवीन आर्थिक धोरण जाहीर करणे आणि परदेशी कंपन्याना, पर्यटकांना आणि रहिवाशांसाठी आपल्या देशाचे दरवाजे खुले करणे भाग पडले. इतकेच नव्हे तर भारताची अर्थव्यवस्था इतकी ढासळली आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून आपले सरकार जगाच्या कानाकोपऱ्यातून कर्ज घेण्यात सुरुवात केलेली आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय ग्रामीण समाजामध्ये अनेक प्रकारचे सामाजिक परिवर्तन घडून आले. औद्योगिकीकरण, नागरीकरण व खाजगीकरणाच्या माध्यमातून तसेच शिक्षणाचा प्रसार दळणवळणाच्या साधनांचा विकास शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या वाढली. अशा अनेक कारणामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात बलुतेदारी पद्धतीमध्ये विघटन झाल्याचे दिसून येते. ‘भारत सरकारच्या नियोजित विकासाच्या प्रयत्नातून पंचवार्षिक योजना व वीस कलमी कार्यक्रमातून ग्रामीण समाजात नवीन जागृती निर्माण झाली त्यामुळे परंपरागत व जाती व्यवस्थेवर आधारित व्यवसायाचा त्याग करून नवीन व्यवसाय उभारण्यास पूर्णतः स्वातंत्र्य असल्यामुळे

ग्रामीण भागातील अनेक व्यवसायिक हे नवीन व्यवसायाकडे वळले.'[2] त्यामुळे त्यांचे परंपरागत व्यवसाय बंद पडू लागले.

ग्रामीण विकास म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, पिण्याचे पाणी, औषधोपचार, शिक्षण, सिंचनाची साधने, पक्के रस्ते, विद्युत पुरवठा इत्यादी मूलभूत सुविधा देऊन त्यांचे जीवनमान सुधारणे होय .त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमी भाव देऊन तसेच ग्रामीण भागातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनाही किमान वेतन देण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण विकास म्हणजे केवळ ग्रामीण भागात मानवी संसाधनांच्या इष्टतम वापरासाठी संधी उपलब्ध करून देणे नव्हे तर त्या चिरकाल कसे टिकून राहतील याची कायमची व्यवस्था करणे होय. प्राचीन भारतीय खेडी आर्थिक दृष्टीने स्वयंपूर्ण होती दळणवळणाच्या साधनांच्या अभावाने इतर जगापासून पूर्णतः तुटलेली होती. त्यामुळे आर्थिक स्वयंपूर्णता ही त्या काळाची गरज होती म्हणूनच खेड्यातील लोकांच्या निर्वाह विषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी खेड्यांनी स्वतंत्र अशी आर्थिक यंत्रणा उभी केली होती. शेती हा मुख्य व्यवसाय असल्याने या आर्थिक यंत्रणेची केंद्र शेतीत होते. त्यामुळे शेती हा व्यवसाय व्यवस्थित पार पाडण्याकरिता ज्या ज्या लोकांच्या सेवा घेणे आवश्यक होते. त्या त्या लोकांच्या सेवेचा मोबदला पारंपरिक पद्धतीने दिल्या जात होते. या पद्धतीलाच बलुतेदारी किंवा जजमानी पद्धत असे म्हटल्या जात होते. अशाप्रकारे जातीत श्रम विभाजनाची व व्यवसाय विभाजनाची व्यवस्था निर्माण झाली होती. प्रत्येक जातीचा हा पारंपारिक व्यवसाय असल्याने परस्परावलंबनाची परिस्थिती आपोआपच निर्माण झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सर्व जातीच्या लोकांना आपल्या निर्वाह विषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकमेकांची मदत घेणे अपरिहार्य होते. या सेवांचा मोबदला परंपरागत रीतीनुसार दिला जात होता. त्यामुळे ग्रामीण भागात आनंदाचे वातावरण दिसून येत होते.

अध्ययनाचा उद्देश

1. ग्रामीण समुदायाच्या संरचनेचा अभ्यास करणे.
2. ग्रामीण समुदायाच्या विकासातील समस्या जाणून घेणे.

ग्रामीण समुदायाच्या विकासातील समस्या -

१. रोजगाराचा अभाव

भारतातील 70 टक्के लोक हे शेती व शेती संबंधित व्यवसायावर आपली उपजीविका चालवत असतात . 'भारतातील शेतीचा सरासरी आकार हा फक्त पाच एकर आहे. याच्या उलट अमेरिकेत तो 145 एकर, डेन्मार्कमध्ये तो 80 एकर तर इंग्लंडमध्ये 62 एकर आहे. '[3] तसेच भारतातील ग्रामीण विकासातील दुसरा दोष म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांची शेतजमीन ही सलग एकाच ठिकाणी नसते. ती अनेक ठिकाणी विखुरलेली असल्यामुळे अशा शेतामध्ये आधुनिक तंत्राचा वापर करणे कठीण होते. व त्याला खर्चही जास्त लागतो. त्यामुळे उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होतो. अशा परिस्थितीमुळे भारतातील शेतकरी हे वरचेवर आर्थिक समस्येमुळे ग्रस्त होत आहेत. 'स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच शेतीची मालकी सर्वाधिक प्रमाणात ज्यांच्याकडे होती त्या सवर्ण उच्च जातीने सीलिंग कायद्याने अल्पभूधारकांना मिळालेली जमीन खरेदी केली. व बदलत्या प्रवाहात आजही काळाशी जुळवून घेत हा वर्ग

शहर वा राष्ट्रीय महामार्गाजवळ जमिनी खरेदी करून नवे उद्योग, व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रघात सुरू केला आहे' .[4] तसेच भारतातील शेतीही जवळपास निसर्गाच्या पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारतामध्ये वर्षातून फक्त चार ते सहा महिने शेतीमध्ये रोजगार मिळत असतो. निसर्ग हा लहरी असल्यामुळे वेळेवर पाऊस पडत नाही. तर कधीकधी पीक कापणीला आल्यावर पाऊस पडतो. त्यामुळे पिकाचे नुकसान होते. तसेच ग्रामीण भागातील लोकांना त्यामुळे वर्षभर रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह शेती व शेती संबंधित व्यवसाय यावर आधारित करणे कठीण जाते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येते. अशाप्रकारे ग्रामीण समुदायामध्ये रोजगाराच्या आभावामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावत जाते.

२. शैक्षणिक सोयीसुविधांचा अभाव

ग्रामीण समुदायामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात सरकारी शाळा असल्यामुळे सरकारी शाळेमध्ये शैक्षणिक सोयी सुविधा पूरक प्रमाणात उपलब्ध नसतात. ग्रामीण भागातील सरकारी शाळेचे छत पावसाळ्यात गळत असते. तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेतून सुद्धा शिक्षण दिल्या जात नाही. ग्रामीण भागातील शाळेमध्ये शैक्षणिक सोयी सुविधा पाहिजे त्या प्रमाणात उपलब्ध नसतात. तिथे शिक्षकांची संख्या सुद्धा योग्य प्रमाणात उपलब्ध नसते. त्यामुळे ग्रामीण समुदायातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सोयीसुविधांच्या अभावामुळे चांगले शिक्षण मिळत नाही. मुलींसाठी वेगळ्या शाळा उपलब्ध नसतात. तसेच ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शोचलयाची योग्य सोय नसते. अश्या अनेक प्रकारच्या कारणांमुळे ग्रामीण भागातील शाळेत गळती व नापासाचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येते.

३. मनोरंजनाच्या साधनांचा अभाव

ग्रामीण समुदायामध्ये मनोरंजनाचा साधनांचा अभाव दिसून येतो. ग्रामीण भागातील लोक हे सकाळपासून ते सायंकाळपर्यंत शेतीवरच काम करीत असतात. त्यामुळे त्यांना सायंकाळी मनोरंजनासाठी थेटर, सिनेमागृह याची व्यवस्था नसते. तसेच ग्रामीण भागामध्ये लाईट ची पण सुविधा राहत नाही. त्यामुळे टीव्ही, रेडिओ, डीटीएच या माध्यमातून सुद्धा त्यांचे मनोरंजन होऊ शकत नाही. अशा अनेक प्रकारच्या समस्या ग्रामीण समुदायाच्या विकासामध्ये अडचणी निर्माण करत असतात. परंतु आजच्या या आधुनिकीकरणाच्या व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ग्रामीण जीवनामध्ये सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात बदल होत असल्याचे दिसून येते. त्यांच्यातील एक दुसऱ्यातील स्नेह संबंध यामध्ये दुरावा निर्माण होत असल्याचे दिसून येते.

४. आरोग्याच्या सोयी सुविधांचा अभाव

ग्रामीण भागातील लोक हे शेतीशी निगडित व्यवसाय करीत असल्यामुळे ते दिवसभर जंगलात शेतात अनेक वन्य पशु प्राण्यांसोबत काम करीत असतात. त्यामुळे त्यांना अनेक पशूपासून उपद्रव होतो जसे साप, विंचू, कुत्रा, मांजर, कोल्हा, वाघ यापासून उपद्रव होतो. अशा वेळेस त्यांना योग्य तो उपचार करण्यासाठी ग्रामीण भागामध्ये सरकारी दवाखाना उपलब्ध नसते. त्यांना दवाखान्यासाठी वीस ते पंचवीस किलोमीटर शहराकडे धाव

घ्यावी लागते. तिथेही सरकारी दवाखान्यात वेळेवर डॉक्टर नर्स उपलब्ध नसतात. सरकारी दवाखान्यांमध्ये इंजेक्शन व गोळ्या सुद्धा वेळेवर उपलब्ध नसतात. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो.

५. जातिव्यवस्थेचा प्रभाव

ग्रामीण भागामध्ये अजूनही काही प्रमाणात जातिव्यवस्थेचा प्रभाव असल्याचे दिसून येते. खेड्यात व्यक्तीची जागा जातिकडूनच ठरवली जाई. सर्व खेड्याची विभागणी जातीवरूनच निरनिराळ्या आळीत व बोळात होत असे. [5] काही विशिष्ट जातींना ग्रामीण समुदायांमध्ये रोजगारापासून वंचित ठेवल्या जाते. अस्पृश्य जातींना ग्रामीण भागामध्ये काही प्रमाणात अजूनही भेदभावाचा सामना करावा लागतो त्यांची वस्ती गावाच्या बाहेर हा पूर्व दिशेला असतो त्यांना गावातील वरिष्ठांकडे रोजगारासाठी विनवणी करावी लागते. ग्रामीण भागातील जातीव्यवस्थेला गतिशीलता मान्य नव्हती. जात बदलायची नाही व जातीनुसार चालत असलेला पारंपारिक व्यवसायात सुद्धा बदल करायचा नाही. जातीने ठरवून दिलेला व्यवसायच करायचा हा दंडक ग्रामीण भागात होता. मात्र आज काही प्रमाणात त्यामध्ये हळूहळू बदल होताना दिसतो. औद्योगीकरण व नागरीकरण या प्रक्रियेने ग्रामीण समाज जीवनामध्ये बऱ्याच प्रमाणात बदल घडून आल्याचे दिसून येते. अशाप्रकारे जातिव्यवस्थेच्या प्रभावामुळे अजूनही ग्रामीण समुदायाच्या विकासामध्ये अडचणी निर्माण होताना दिसून येतात.

आपला देश आजही अनेक समस्यांना तोंड देत आहे, देशातील एक तृतीयांश लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहे. सध्या देशात करोडो सुशिक्षित बेरोजगार रोजगाराच्या शोधत आहेत. आणि या कोरोंनाने तर भारतीयांना आणखी दरिद्रयाच्या खाईत नेऊन टाकले आहे. आशा या खोल आर्थिक संकटामुळे, प्रचंड संसाधने आणि श्रमशक्ती असून सुद्धा भारताला विकसित देशांचा दर्जा मिळू शकलेला नाही. अशा स्थितीत भारताने जागतिक बाजारपेठेत आपला हस्तक्षेप प्रस्थापित करणे म्हणजे जागृत डोळ्यांत स्वप्न पाहण्यासारखे आहे. त्यामुळे प्रगतीच्या बाबतीत भारत सतत इतर देशांच्या मागे का पडतो हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर एकेकाळी भारतात सोन्याचा धूर निघत होता असे म्हणटलेला भारत आज काचेची बाहुली का बनला आहे, हेही जाणून घेतेवेळेस आपल्याला असे दिसून येईल की भारतीय लोकांचे ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. तसेच लोकसंख्या वाढ, महागाई, बेरोजगारी, गरिबी, निरक्षरता, नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर न करणे आणि भ्रष्टाचार ही प्रमुख कारणे मानली जातात. तसेच ग्रामीण भागांमध्ये अजूनही रस्ते लाईट शुद्ध पाण्याचा अभाव असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना अनेक प्रकारच्या आरोग्याच्या समस्येचा सामना करावा लागतो.

निष्कर्ष

अशा अनेक कारणामुळे ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजूर यांची आर्थिक परिस्थिती वरचेवर खालावत चालली असल्याचे दिसून येते. त्यांच्यामध्ये अंधश्रद्धा, निरक्षरता, अज्ञान, लोकसंख्या वाढ अशा अनेक प्रकारच्या समस्येमुळे त्यांचा सकारात्मक विकास होत नाही. तसेच ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत शासनाच्या विविध विकासात्मक योजना सुद्धा वेळेवर पोहोचत नाहीत. तसेच त्या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी

अनेक प्रकारच्या भ्रष्टाचार व आमिषाला बळी पडावे लागते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोक स्वतःचा विकास करण्यापासून वंचित असल्याचे दिसून येते. शहरी जीवनाचा ग्रामीण जीवनावर फार मोठ्या प्रमाणात वर प्रभाव पडत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोक नागरी जीवनाचे अनुकरण करण्याकडे वळत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ग्रामीण जीवनाचे स्वरूप बदलत असून ते पूर्णपणे नगरा कडे वाटचाल करत आहे. त्याच बरोबर जामीन जनता सुद्धा शहराच्या आकर्षणामुळे शहराकडे स्थलांतरित होत आहे त्यामुळे ग्रामीण रचनेमध्ये विविध स्थित्यंतरे येताना दिसली नागरी जीवनाचा भौतिकवाद हुशार जपान मनोरंजनाची साधने आरोग्याच्या सोयी सुविधा त्यांच्या प्रभावामुळे ग्रामीण जीवनातील लोक प्रभावित होत आहेत. ग्रामीण भागाचा विकास झाला तरच शहराचा विकास होईल पर्यायाने देशाचा विकास होईल हा विचार अलीकडच्या काळात तग धरू पाहत आहे ग्रामीण भागात मुळेच भारताची संस्कृती आणि परंपरा टिकून असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण समुदायाच्या विकासाची समस्यांचा योग्य वेळी जर निर्मूलन झाले तर ग्रामीण समाजाचा सर्वांगीण विकास होण्यास वेळ लागणार नाही. कारण भारत हा खेड्यांचा देश असल्यामुळे भारताचा पोशिंदा हा शेतकरी राजा ग्रामीण भागातच राहून शेतीमध्ये मशागत करतो व भारतीयासाठी मुबलक प्रमाणात अन्नधान्य शिकवत असतो. ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करण्याकडे भारतीय शासन व प्रशासनाद्वारा वेगवेगळ्या विकासात्मक योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करणे फार गरजेचे असल्याचे दिसून येते.

संदर्भ

1. जनगणना अहवाल.2011
2. कऱ्हाडे, बी.एम. 2011, ग्रामीण व नागरी समाजशास्त्र, पिंपळापुरे अँड कंपनी पब्लिशर्स, नागपूर .पृष्ठ क्रमांक 185.
3. घाटोळे, रा.ना. (2007), ग्रामीण समाजशास्त्र व सामुदायिक विकास, श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर. पृष्ठ क्रमांक 129.
4. अहिरे, प्रतिभा (2003) ग्रामीण आणि नागरी समाजशास्त्र, श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे. पृष्ठ क्रमांक 201.
5. नाडगोंडे, गुरुनाथ (2002) ग्रामीण समाजशास्त्र, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, पृष्ठ क्रमांक 96.

ISSN-2250-2335

समीचीन

(साहित्य-समाज-संस्कृति और राजनीति के खुले मंच की अर्द्ध वार्षिक-अव्यावसायिक पत्रिका)

पीयर रिव्यूड व यू. जी. सी. केयर लिस्ट में सम्मिलित जर्नल

31

● वर्ष- 15 ● अंक -31 ● अप्रैल-जून 2022 ● पूर्णांक 69 ● मूल्य 100 रुपए

● प्रधान संपादक - देवेश ठाकुर ● संपादक - डॉ. सतीश पांडेय

ISSN-2250-2335 Reg. No. MAHHIN / 2008 /26222

समीचीन

(साहित्य-समाज-संस्कृति और राजनीति के खुले मंच की त्रैमासिक-अव्यावसायिक पत्रिका)

पीयर रिव्यूड व यू. जी. सी. केयर लिस्ट में सम्मिलित जर्नल

प्रबंध संपादिका :
डॉ. रोहिणी शिवबालन
प्रधान संपादक-प्रकाशक :
डॉ. देवेश ठाकुर
संपादक :
डॉ. सतीश पांडेय
संयुक्त संपादक :
डॉ. प्रवीण चंद्र बिष्ट
डिजिटल संपादक :
डॉ. मनीष कुमार मिश्रा
संपादकीय-संपर्क :
बी-23, हिमालय सोसाइटी, असल्फा,
घाटकोपर (प.), मुंबई-400 084.
टेलिफोन : 25161446
Email: sameecheen@gmail.com
website-www.http//:
sameecheen.com

विशेष :

'समीचीन' में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार संबद्ध रचनाकारों के हैं। संपादक-प्रकाशक की उनसे सहमति आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्याय-क्षेत्र मात्र मुंबई होगा। सभी पदाधिकारी पूर्णरूप से अवैतनिक।

परीक्षक विद्वत मंडल : (Peer Review Team)

1) प्रोफेसर ताकेशी फुजिई
अध्यक्ष, हिंदी विभाग
टोक्यो यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेन स्टडीज, टोक्यो।

2) प्रो. (डॉ.) देवेन्द्र चौबे
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

3) प्रो. (डॉ.) वशिष्ठ अनूप
हिन्दी विभाग, काशी हिंदू विवि., वाराणसी, (उ. प्र.)

4) डॉ. नरेन्द्र मिश्र
प्रो. हिंदी, मानविकी विद्यापीठ, इग्नू मैदानगढ़ी, दिल्ली110068

5) प्रो. (डॉ.) करुणाशंकर उपाध्याय
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई।

6) डॉ. अनिल सिंह
अध्यक्ष, हिन्दी अध्ययन मंडल, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई।

7) प्रो. (डॉ.) सदानंद भोसले
प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, सवित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे।

8) प्रो. (डॉ.) शरेशचंद्र चुलकीमठ
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़।

9) डॉ. अरुणा दुबलिश
पूर्व प्राचार्य, कनोहरलाल महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ (उ. प्र.)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक : देवेश ठाकुर ने प्रिंटोग्राफी सिस्टम (इंडिया) प्रा. लि., 13/डी, कुर्ला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नारी सेवा सदन रोड, नारायण नगर, घाटकोपर (प.) मुंबई-400 086 में छपवाकर बी-23, हिमालय सोसाइटी, असल्फा, घाटकोपर (प.), मुंबई-400084 से प्रकाशित किया।

• वर्ष —15 • अंक— 31 • अप्रैल—जून 2022 • पूर्णक— 66 • मूल्य 100 रूपए

सहयोग : एक प्रति रु. 100/-, वार्षिक रु. 400/-, पंच वार्षिक रु. 2000/-

सीधे समीचीन के खाते में भेजने के लिए : खातेधारक का नाम : **समीचीन** / sameecheen

A/C No. 60330431138, Bank of Maharashtra,

Dr. Ambedkar Road, Dadar, Mumbai. IFSC : MAHB0000045

अनुक्रमणिका

अ. क्र.	शोधनिबंधाचे नाव	लेखकाचे नाव	पान नं.
१.	स्वतंत्रता संग्राम में झलकारी बाई की भूमिका : एक अध्ययन	**डॉ. विनोद संभाजी सोनवणे,** इतिहास विभाग प्रमुख, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, ओंदे, ता. विक्रमगड, जि. पालघर	१-४
२.	पर्यावरण प्रदुषण का मानवी जीवन पर प्रभाव	**डॉ. मनोहर भी. येरकलवार,** सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर-२६	५-१०
३.	स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतीय सामाजिक विषमता	**प्रा. डॉ. अरविंद म. पुनवटकर** स्व. डॉ. हरिभाऊ आदमने कला व वाणिज्य महाविद्यालय, सावनेर, जि. नागपूर	११-१४
४.	भारतीय इतिहासातील महिला समाजसुधारक सावित्रीबाई फुले	**डॉ. डी. पी. गायकवाड,** इतिहास विभाग प्रमुख, के. एम. सी. महाविद्यालय, खोपोली, तालुका : खालापूर, जिल्हा : रायगड, ४१०२०३.	१५-१८
५.	भारतीय स्वातंत्र्यलढयात विदर्भातील स्त्रियांचे योगदान : एक अध्ययन	**डॉ. नंदकिशोर मने,** सहाय्यक प्राध्यापक, पदव्युत्तर इतिहास विभाग, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली- ४४२६०५	१९-२६
६.	हैद्राबाद मुक्ती संग्रामात शैक्षणिक संस्थांचे योगदान	**डॉ. राजू शिवाजी कोंडेकर,** प्राध्यापक, इतिहास विभागप्रमुख व संशोधन मार्गदर्शक, राजीव गांधी महाविद्यालय, मुदखेड, ता. मुदखेड, जि. नांदेड – ४३१८०६	२७-३२
७.	हवामान बदलाचे शेतीवरील परिणाम	**प्रा. डॉ. अनिल निवृत्ती शिंदे,** डॉ. सी. डी. देशमुख कॉलेज रोहा, रायगड.	३३-३८
८.	महिला सशक्तीकरणात पंचायतराज व्यवस्थेची भुमिका एक अध्ययन	**डॉ. बसवेश्वर पांडागळे,** राज्यशास्त्र विभागप्रमुख कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, औंदे ता. विक्रमगड, जि. पालघर.	३९-४३
९.	आधुनिक भारताच्या उभारणीत सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळीचे योगदान	**डॉ. डी. डी. कोल्हेकर,** इतिहास विभाग प्रमुख, कै. बाबासाहेब देशमुख गोरठेकर कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, उमरी जि. नांदेड.	४४-४९
१०.	वीर नारायण सिंह यांचा ब्रिटीश विरोधी उठाव: एक ऐतिहासिक अध्यन	**डॉ. नरेश एम. मडावी,** सहाय्यक प्राध्यापक, पदव्युत्तर इतिहास विभाग, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली- ४४२६०५	५०-५४

पर्यावरण प्रदुषण का मानवी जीवन पर प्रभाव

डॉ. मनोहर भी. येरकलवार

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस.
कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर-२६
ई. मेल - yerkalwarpws@gmail.com
मोबाइल नंबर – 8625977458

सारांश :

प्राचीन काल से ही पर्यावरणीय प्रदूषण और मानव संस्कृती का परस्पर संबंध रहा है। मनुष्य तथा प्रकृति में गहरा संबंध पाया जाता है तथा इस संबंध में एक संतुलन बनाना भी आवश्यक होता है। पर्यावरण में अनेक जैविक-अजैविक कारक पाए जाते हैं, जो आपस में एक दूसरे पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संतुलन मानव ने उनके क्षणिक स्वार्थ के लिए अपने हाथों से पर्यावरण को नष्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। आनेवाले समय में इस तरह के बुरे परिणामों की ओर हम बढ़ रहे हैं। जिस माध्यम से आज हमारे सामने कई नई सारी समस्याएं आ रही है। जिसमें बाढ़, सूखा, भुखमरी, अकाल, भूकंम्प, महामारी, कोरोनावायरस जैसे समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा हैं। आनेवाले कल के लिए आज हमें सावधान होने की आवश्यकता है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रकृति द्वारा प्रदत्त वन्य प्राणी संपदा आदि की रक्षा कर के प्रकृति का संतुलन सुधार सकें। तब जाकर आने वाले समय में ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। पर्यावरण प्रकृति द्वारा मानव को दिया गया यह अनमोल उपहार है। जिनके उपयोग के बिना मानव का अस्तित्व संभव नहीं है। इसका उपयोग इस तरह से करें की जिससे प्रकृति को भी बचाएं और मानव खुद का भी विकास करें। पर्यावरण की रक्षा संवर्धन के लिए उचित तकनीकी को प्रयोग करते हुए पर्यावरणीय घटकों का संतुलन बनाए रखना यह हमारा परम कर्तव्य है। तभी जाकर हमारा पर्यावरण बचेगा और पर्यावरण के सभी सजीव जीवित रह पाएंगे।

बिज शब्द : पर्यावरण प्रदुषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण।

प्रस्तावना :

प्राचीन काल से ही प्रकृति और मानव के बीच में गहरा संबंध रहा है। इस संबंध में एक संतुलन बनाना भी आवश्यक होता है। उस काल से लेकर आज तक मानव समाज द्वारा प्रकृति का अत्यंत कृतज्ञ भाव से संवर्धन करने का प्रयास किया है। प्रकृति के किसी भी भाग को हानि पहुंचाना पाप समझा जाता था। प्राचीन काल में जब मनुष्य एकाकी जीवन जीता था तब वह स्वार्थ से परे था। उसमें तेरे मेरे की भावना नहीं थी। तब पर्यावरण का संतुलन कायम था। परंतु जब से मनुष्य व्यवहारिक जीवन व्यतीत करने लगा तथा उसकी आवश्यकताएं बड़ी। इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने उसे नए-नए आविष्कारों के लिए प्रेरित किया। मगर बढ़ती हुई जनसंख्या के माध्यम से एवं भौतिक विकास के फलस्वरूप प्रकृति का मानव समाज द्वारा असीमित दोहन करना प्रारंभ हुआ। मानव समाज द्वारा जमीन से अपार खनिज संपदा पेट्रोल, डीजल, हीरा, मोती, चांदी आदि निकालकर धरती की कोख को उजाड़ देना प्रारंभ किया गया। उसी के साथ में वृक्षों को काटकर मानव समाज द्वारा हरियाली धरती को उजाड़ बना दिया है। इस तरह मानव समाज ने अपने सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति से खिलवाड़ करने लगा। इस तरह उन्होंने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त की है। विकास के लिए मानव ने पर्यावरण को विविध प्रकार से क्षति पहुंचाई। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को एक निश्चित खतरा उत्पन्न कर दिया है।

प्राचीन भारत में हर धर्म तथा मजहब में पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तथा आदिवासी लोगों में पेड़ पौधे की रक्षा करना उनका पवित्र कार्य होता था। हिंदू धर्म में भी कुछ विशेष वृक्षों और पौधों जैसे पीपल, तुलसी और कदम्ब आदि की पूजा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। जो कि पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा है। जैसे-जैसे दुनिया के बडे-बड़े शहरों की आबादी बढ़ी, वैसे-वैसे लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होने लगा। साथ ही परिवहन के लिए मोटर गाड़ियों के बढ़ते उपयोग ने शहरों को प्रदूषित बना दिया है। औद्योगिक विकास के कारण तो पर्यावरणीय प्रदुषण में काफी मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई। परमाणु विज्ञान के विकास के बाद परमाणु प्रौद्योगिकी पर आधारित पौधों का विकास होने लगा और इसके साथ ही रेडियोधर्मी प्रदूषक वातावरण में घुलने लगे। इसके जरिये वातावरण में प्रदुषण की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है।

मानव समाज ने अपनी आर्थिक गतिविधियों से अपने ही नहीं संपूर्ण जीव जगत के आवास को प्रभावित किया है। इसके परिणाम स्वरूप कई जीव पर्यावरण से विलुप्त हो जाते जा रहे हैं। 'एक अनुमान के अनुसार आधुनिक विश्व में सैकड़ों प्रजातियां प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती है। साडे 6 हजार वर्ष पूर्व प्राणियों के विलोपन का एक उल्लेखनीय दौर आया था और प्रकृति से डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी भी विलुप्त हो गए थे। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में प्राणियों के सामूहिक विलोपन का शायद यह सबसे उल्लेखनीय दौर था।'[1] उस युग से धीरे-धीरे सृष्टि के जीव सीमित संख्या में विलुप्त हो रहे थे। आज हमारे पर्यावरण में सैकड़ों प्रजातियां पर्यावरण के प्रदूषण के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। आज हम विश्व में पहले की अपेक्षा नैसर्गिक संसाधनों का अल्प विनियोग करके अधिक उत्पन्न और अधिक सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं। हमारा विज्ञान और तकनीकी ज्ञान हमें प्राकृतिक तंत्र को गहनता से देखने और बेहतर तरीके से समझने की क्षमता देती है। मनुष्य ने पर्यावरण को जब तक अपने हिस्सेदार की तरह समझ कर अनुकूल रखा था तब तक उसे पर्यावरण द्वारा लाभ भी मिला। लेकिन जब से मानव ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ या छेड़छाड़ करने की शुरुवात की और प्राकृतिक संपदाए नष्ट किया तभी से वातावरण में अवांछित परिवर्तन होते हुए नजर आ रहा है। जिसके बारे में मानव ने कभी सोचा ही नहीं था कि, इस तरह से पर्यावरण की हानी उनके आने वाली पीढ़ी को उठानी पड़ेगी।

अध्ययन के उद्देश :

१) पर्यावरण प्रदुषण के कारणो को जानना।

२) पर्यावरण प्रदुषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

तथ्य संकलन :

अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। शोध पत्रों, समाचार पत्रों, इंटरनेट, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट, संदर्भग्रंथ, शोध पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है।

पर्यावरण प्रदुषण :

पर्यावरण प्रदूषण मानव द्वारा पर्यावरणीय तत्वों में किया जानेवाला परिवर्तन है, जो उसके भौतिक रासायनिक एवं जैविक स्वरूप को बिगाड़ देता है। पर्यावरण के तत्वों में भूमि, जल, वायु को प्रतिकूल बना देता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा (भूमि) प्रदूषण, तापीय प्रदूषण (थर्मल प्रदूषण) और विकिरण प्रदूषण (रेडिएशन प्रदूषण) यह पर्यावरण प्रदुषण के प्रकार है। मानव ने बिना सोच समझकर अपनी सुविधा हेतु पर्यावरण का नाश कर रहा है। यांत्रिक उपकरणों, मोटर वाहनों के अति उपयोग के साथ औद्योगिकरण, प्लास्टिक उद्योग, परमाणु परीक्षण आदि से वातावरण में अनचाहे परिवर्तन होते हुए नजर आ रहा है। जिस माध्यम से हमारा पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन, वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में दिन-ब-दिन परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे चारों ओर प्रकृति ने भूमि, वायु, वन्य प्राणी, खनिज पदार्थ आदि जैसे अमूल्य चीजें प्रदान की है। लेकिन बढ़ती

हुई जनसंख्या के कारण इन प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग भी बढ़ रहा है। 'द वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड 2012 लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के संसाधन 50 गुना अधिक तेजी से समाप्त हो रहे हैं।'[2] वह समय भी दूर नहीं जब प्राकृतिक संपदाओं का समाप्त हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकरण आदि ऐसे कारक है। जिसके माध्यम से यह अमूल्य संपत्ति समाप्त हो रही है। जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। अगर इसी तरह से पर्यावरण की हानि होती रही तो आनेवाले दिनों में मानवीय समाज भी जीवित रहना मुश्किल हो पाएगा। तो समय पर इस होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर ध्यान देकर सही समय पर समस्याओं का निर्मूलन करने से भविष्य में आने वाली पर्यावरण की समस्या कुछ मात्रा में कम हो सकती है।

प्रत्येक जीव को जीवन चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से ही हमें मिलती है। लेकिन आज जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उस माध्यम से शहरीकरण में भी बढ़ोतरी हो रही है। जिस माध्यम से कृषि योग्य भूमि का उपयोग किया जा रहा है। कोई भोजन व मनोरंजन के लिए शिकार के बतौर वन्य प्राणियों को नष्ट किया जा रहा है। जलाने के लिए लकड़ी और इंधन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों को काटकर वन का छेत्रफल कम कर दिया जा रहा है। इस तरह प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संतुलन मानव ने उनके क्षणिक स्वार्थ के लिए अपने हाथों से पर्यावरण को नष्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। जिस माध्यम से आज हमारे सामने कई नई सारी समस्याएं आ रही है। जिसमें बाढ़, सूखा, भुखमरी, अकाल, भूकंप, महामारी, कोरोनावायरस जैसे समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा हैं। आज हमें सावधान होने की आवश्यकता है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रकृति द्वारा प्रदत्त वन्य प्राणी संपदा की रक्षा करके प्रकृति का संतुलन सुधार सकें। तब जाकर आनेवाले दिनो में ऐसी समस्याओं का सामना करना ना पड़े।

वायु प्रदूषण का मानवी जीवन पर प्रभाव :

आज के इस दौर में वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पढ़ता हुआ दिखाई देता है। विश्व में स्वचालित वाहनों की बढ़ती उपयोगिता और लगातार बढ़नेवाली जनसंख्या वृद्धि के कारण नगरों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ाना शुरू हो रहा है। बढ़ी- बढ़ी शहरों में चलनेवाले मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, बस, ट्रक आदि गाड़ियों के ईंधन दहन के कारण कई हानिकारक गैसों का उत्सर्जन पर्यावरण मे हो रहा है। जिसका गहरा प्रभाव मानवी जीवन और स्वास्थ्य पर होता है। वातावरण मे वायु प्रदूषण होने के कारण वनस्पतियों की उपज की क्षमता कम हो रही है। आर्सेनिक क्लोराइड के कारण वनस्पती मे विषारी द्रव्यों का उपयोग हो रहा है। यह विषारी द्रव्यों के सेवन से प्राणियों के आरोग्य पर इसका असर हो रहा है। मानव का बुध्यांक कम हो रहा है। हायपर टेन्शन बढ रहा है। 'मिथाईल आइसोसइनेट के कारण 1984 के भोपाल दुर्घटना के माध्यम से हजारो लोगों की जान को खतरा निर्माण हुआ था। ऐसी ही घटना के माध्यम से 1952 मे लंडन शहर में पर्यावरण प्रदूषण के कारण चार हजार लोगों का मृत्यु हो गया था।'[3] वाहनों से निकलने वाला धुंवा अत्यंत जहरीली और कैंसर का कारण माने जानेवाली कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन इसका प्रभाव पर्यावरण में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण का ओजोन स्तर भी पतला होता जा रहा है। जिसके कारण सूरज के अतिनिल किरण पृथ्वी पर आकर मानव समाज मे कई सारी बिमारियां फैला रही है। पेट्रोल चलित वाहन शीशे की भी बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। वह मानव के मस्तिष्क और शिरा तंत्र के लिए बहुत ही घातक होता है। मानव जीवन के लिए वायु का होना अति आवश्यक है। वायु रहित स्थान पर मानव जीवन की कल्पना करना भी बेकार है। क्योंकि मानव वायु के बिना 5 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकता। 'एक मनुष्य दिन भर में औसतन 20 हजार बार श्वास लेता है। इस स्वास के दौरान मानव 35 पाउंड वायु का प्रयोग करता है।'[4] यदि यह प्राण देने वाली वायु शुद्ध नहीं होगी तो यह प्राण देने के बजाय प्राण ही लेगी'। इस प्राणवायु को शुद्ध रखना है तो हमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना बहुत जरुरी है। इस वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल में बेंजीन, जायरीन और इथिनाल इत्यादि हाइड्रोकार्बन मिलाकर शीशे की मात्रा

कम करने का प्रयास विकसित देशों द्वारा किया जा रहा है। कइ देशों मे आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके चलते वायु प्रदूषण को कम करके मानव को होने वाले समस्या का हल हो सके।

जल प्रदूषण का मानवी जीवन पर प्रभाव :

जल प्रदूषण मानव की अनेक गतिविधियों के कारण होता है। जैसे औद्योगिक, कृषि और घरेलू उत्पादन से निकलने वाला गंदा पानी के कारण जल प्रदूषण होता है। इसी के साथ जानवरों का निष्कासित मल विसर्जन भी जल प्रदूषण करता है। कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी भी पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। ऊर्जा निर्मिती करते समय भी बहुत सारा पानी गंदा हो जाता है। 'एक हजार मेगावैट क्षमता वाले अनुविद्युत केंद्र के लिए हर मिनट को 60 लाख लीटर पानी लगता है।'[5] इस तरह पावर प्लांट का गंधा पानी, शहरों से निकलने वाला गंदा पानी सीवरेज के माध्यम से नदी नालों में जाकर नदियों का पानी प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण मानवीय समाज पर उसका बहुत ही बुरा असर होता है। जल प्रदूषण के कारण मानवीय समाज में कई सारे रोगों का प्रादुर्भाव होता है। बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ जल की आवश्यकता की तीव्रता भी बढ़ रही है। परंतु शुद्ध जल की उपलब्धता सीमित होने के कारण लोगों को शुद्ध पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसी ही तरह से सतत पानी का प्रदूषण होता रहा तो आनेवाले समय में जल के कारण लोगों में महा युद्ध होने की संभावना होती है।

कारखाने में औद्योगिक प्रक्रिया करते समय 1 टन पोलाद के लिए 2,50,000 लीटर पानी लगता है और एक कागज का पन्ना बनाने के लिए 2 से 10 लाख लीटर पानी लगता है और एक टन नायलॉन बनाने के लिए दो कोटी लीटर पानी लगता है।'[6] इस तरह से आज के इस औद्योगिक वस्तुएं निर्माण करते समय बहुत सारा पानी प्रदूषित होता है। जिसके कारण जल प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है। इसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए वैज्ञानिक अन्वेषण में पर्यावरण को प्रदूषित करना प्रारंभ कर दिया है।

प्लास्टिक प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव :

आज के इस दौर में प्लास्टिक प्रदूषण भी एक नई समस्या बन चुकी है। जहां भी जाए वहां हमें प्लास्टिक का उपयोग दिखाई देता है। प्लास्टिक की पॉलीथिन हर जगह पर लोकप्रिय हो चुकी है। चाहे महानगर हो या गांव हो, कोई तीर्थ स्थल हो, या पर्यटन स्थल हो, पॉलिथीन की थैलियां और प्लास्टिक की खाली बोतल हर जगह पर दिखाई देते हैं। जिसके कारण पर्यावरण का प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा में होता है। प्लास्टिक के खाने से प्राणियों को और पक्षियों को भी दर्द पहुंचाता है। प्लास्टिक में स्टार्च मिलाकर उसे जब अपघटन बनाने के प्रयत्न किए गए हैं, परंतु स्टार्स का गठन करनेवाले जीवाणु भी प्लास्टिक को विघटित नहीं कर पाते हैं। जब अपघटन न होने के कारण प्लास्टिक एक चिंताजनक प्रदूषण की समस्या बन चुकी है। प्लास्टिक अपने टिकावपन और हल्के होने के कारण लोकप्रिय हुआ है। मगर इस प्लास्टिक को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। इसलिए आजकल पर्यावरण की कई समस्याएं इस प्लास्टिक के कारण निर्माण हो रहे हैं।

प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होती है। इसके कारण पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहा है। फेकी हुई प्लास्टिक की थैलीयां नालियों और सीवेज को बंद कर देती है। और दूसरी तरफ थैलियों में बचा हुआ खाना या सब्जी आदि के छिलके फेंकने से जानवरों को उसके खाने से कई सारे दुर्घटना सामने आ रहे हैं। प्लास्टिक के जलने पर उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्जीन, डायोक्सीन जैसे जहरीले गैसों का निर्माण होता है। इसलिए प्लास्टिक मानवीय समाज के लिए आनेवाले दिनों में बहुत ही खतरा पैदा कर देता है।

ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव :

आजकल हर जगह पर इसका प्रमाण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेलगाड़ी की हॉर्न, हवाई जहाज का आवाज, ट्रैक्टर, प्रेशर, हार्वेस्टर, रेडियो, टेलीविजन, डीजे, औद्योगिक फैक्ट्रियां, औद्योगिक मशीनरी के कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में ध्वनि का प्रदूषण होता है। माना जाता है कि 80 डेसीबल से अधिक औसत की ध्वनि मानव के श्रवण शक्ति को हानि पहुंचा देती है। सभी प्रकार के जेट विमान उड़ान भरते समय 140 डेसीबल का ध्वनी प्रदूषित करता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानवी समाज को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्रवण क्षमता से अधिक आवाज मानव के शिरा तंत्र को हानि पहुंचाता है। इसके कारण कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियां होती है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। वर्तमान समय में मानव चारों ओर से कई सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण और सबसे महा भयंकर समस्या है आणविक युद्ध की। इन सारी समस्याओं से विश्व मंडराता हुआ संकट की ओर जा रहा है। समय से पहले इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो, सभ्यता एवं संस्कृति का यह विशाल भवन धराशाई हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान युग का एक बहुचर्चित आधुनिक सभ्यता द्वारा उत्पन्न हुआ एक भयावह समस्या है। मनुष्य ने खुद के विकास के लिए पर्यावरण का संतुलन बिगडाता हुआ नजर आ रहा है।

'भारतीय सांसद ने अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय सिद्धांतों को भारतीय विधि में बिना अवरोध के समावेशित करने हेतु 1976 मे संविधान में 42 वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके, मूल कर्तव्य व राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हेतु विशेष उपबंध सम्मिलित किया गया।'[7] जिसके तहत पर्यावरण के प्रदूषण को रोका जाए और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने की जिम्मेदारी हम सभी का है इसका दायित्व निभाए। समाज में बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी ने पर्यावरण के प्रति सजग होकर आनेवाले दिनों में पर्यावरण में होनेवाले दुष्परिणामों रोकना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से शासनद्वरा भी समाज में पर्यावरण चेतना जागृत करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठीओ, शिविरों के माध्यम से समाज के सभी स्तर पर पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता को प्रोत्साहित करें। जिस माध्यम से आनेवाली पीढ़ी पर्यावरण के इस प्रदूषण से बच पाएगी।

निष्कर्ष और सुझाव :

पर्यावरण प्रदूषण की वजह से तमाम सजीव प्राणियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। आज आवश्यकता है कि, विभिन्न सामाजिक चिंतक, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण विज्ञानियों के द्वारा समय-समय पर पर्यावरण की समस्याओं के बारे में सुझाव दे और जनप्रतिनिधिद्वारा इसको गंभीरता एवं शीघ्रता से प्रशासन के साथ विस्तृत चर्चा कर उन सुझावों का पालन करने के लिए राज्यों को निर्देश दें। साथ ही औद्योगिक विकास, नगरीकरण के संदर्भ में पर्यावरण विशेषज्ञों के सुझाव को प्राथमिकता दें। यही सतत विकास में राजकीय भूमिका की मांग है। ग्रामीण जनता को अनौपचारिक रूप से शिक्षित किया जाए और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सौर ऊर्जा, बायोगैस, सौर चूल्हे, पवनचक्की आदि ऐसे विकल्पों को काम में लाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस माध्यम से इस भौतिकवादी युग में भी उन लोगों की भौतिक स्थिति में भी परिवर्तन हो सके। इस तरह से वनों को नष्ट करने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमें इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों की रचना करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन कार्यक्रमों के अंतर्गत वनों के आसपास रहने वाले समाज को सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन करके उन्हें वनों का लाभ एवं परंपरागत नाते-रिश्तो के संबंध में घनिष्ठता प्रदान कराने का सफल प्रयास करें। जिस माध्यम से उन लोगों द्वारा जंगल को समाप्त करने से वर्तमान एवं भविष्य में होनेवाले भयंकर आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, और आरोग्य के खतरों के बारे में जागृति प्रदान करें। पर्यावरण की रक्षा संवर्धन के लिए उचित तकनीकी को प्रयोग करते हुए पर्यावरणीय घटकों का संतुलन बनाए रखना यह हमारा परम कर्तव्य है। तभी जाकर हमारा पर्यावरण बचेगा और पर्यावरण के सभी सजीव जीवित रह पाए।

संदर्भ :

1) जोशी, मेधातिथि (2006), पर्यावरण अध्ययन की रुपरेखा, रमेश बुक डिपो, जयपुर पुष्ट क्रमांक 133.
2) कऱ्हाडे बी. एम. (2010), भारतीय समाज प्रश्न आणि समस्या, पिंपळापुरे अँड कंपनी पब्लिशर्स नागपूर, पृष्ठ क्रमांक 305.
3) मदनलाल, (2021), पर्यावरण विधि, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि व न्याय मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली। पृष्ठ क्रमांक 24.
4) गुप्ता, राधेश्याम, (2010), 'हमारा पर्यावरण हमारा जीवन', इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर. पुष्ट क्रमांक 100.
5) घारपुरे, विठ्ठल (2006), 'पर्यावरण शास्त्र', पिंपलापुरे एंड कंपनी पब्लिशर्स, नागपुर. पृष्ठ क्र. 267
6) वही पुष्ट क्रमांक 267.
7) गुप्ता, जयंतकुमार, (2007), पर्यावरण, श्री बालाजी प्रकाशन, नागपुर. पृष्ठ क्रमांक 134.